दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 2 | अंक 11 | कुल अंक 23 | मई 2017 | ₹ 100

सुपरफास्ट रिवीज़न

पाँचवी कड़ीः भारतीय अर्थव्यवस्था

और

भारतीय

कला-संस्कृति

प्रमुख आकर्षण

- महत्त्वपूर्ण लेख
- टू द पॉइंट
- टॉपर्स की डायरी
- मॉक इंटरव्यू
- द जिस्ट

प्रारंभिक परीक्षा के लिये क्या करें?

IAS टॉपर टीना डाबी से सीधी बातचीत

दृष्टि
The Vision

दृष्टि पब्लिकेशन्स
की शानदार प्रस्तुति

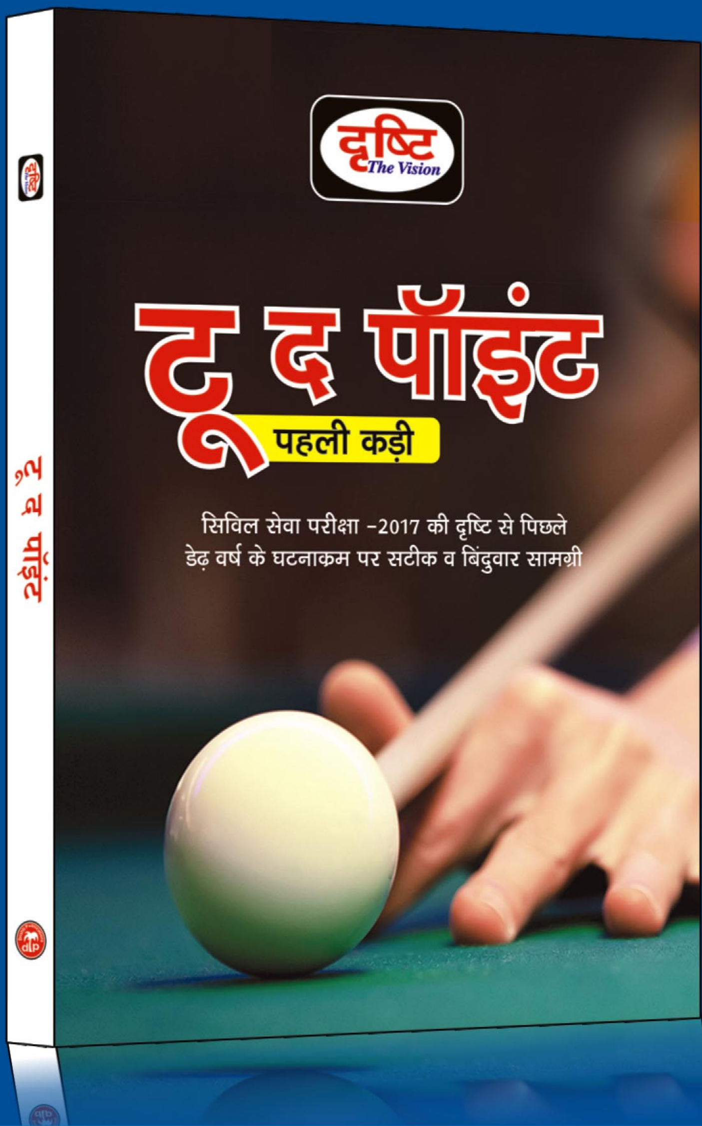

पुस्तक की विशेषताएँ....

- सिविल सेवा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं से संबंधित बिंदुवार एवं सटीक अध्ययन-सामग्री।
- पिछले डेढ़ वर्ष की महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी समसामयिक घटनाओं का सारगर्भित एवं बिंदुवार संकलन।
- संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों पर पूर्णतः केंद्रित।
- सामान्य अध्ययन के विषयों को आठ खंडों में बाँटकर सूचनाओं की सटीक प्रस्तुति।
- प्रत्येक खण्ड की विषय-वस्तु की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में पाठ्य-सामग्री का संकलन।
- प्रत्येक खण्ड की सभी सूचनाओं एवं आँकड़ों का सरकारी वेबसाइटों से सत्यापन।

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध

Ph.: 87501 87501, 011-47532596

Website:
Drishti ias
IAS Preparation Redefined

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादकः** *डॉ. विकास दिव्यकीर्ति*
- **कार्यकारी प्रमुखः** *शिवेश मिश्रा*
- **सलाहकार मंडल**

  डी. कुमार, कुमार गौरव, अखिल मूर्ति, राजेश मिश्रा, निशांत श्रीवास्तव, रीतेश जायसवाल, सौरभ चतुर्वेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, के.पी. द्विवेदी, शांतनु झा, जितेन्द्र कुमार, संजीव कबीर, अभिषेक कर्ण।
- **कार्यकारी संपादक**

  राजेश कुमार झा
- **संपादन/प्रबंधन परामर्श**

  मो. आफताब आलम, सुशील कुमार, दिलीप कुमार, विवेक तिवारी, एकता कालिया, अजय कड़ाकोटी, देवेन्द्र शर्मा, अमृत उपाध्याय, नरेंद्र प्रताप, मो. साजिद सैफी, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, गोपाल राय।
- **वरिष्ठ संपादक मंडल**

  राजीव तिवारी (समाचार संपादक), पुरुषोत्तम प्रतीक (लेख संपादक), सुधांशु धर द्विवेदी, सन्नी कुमार, राजेन्द्र भारद्वाज, हेमंत कुमार, जगन्नाथ कश्यप, हिमांशु सिंह, आलोक कुमार अग्रवाल, कुमार गौरव, शशि भूषण तिवारी, सुशांत कुमार।
- **संपादन सहयोग**

  नेहा चौधरी, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, विरेन्द्र रावत, मयंक शर्मा, देवेन्द्र कुमार शुक्ला, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, राजू प्रसाद, पुष्पा कुमारी, विनीत यादव, गायत्री, गौरव मिश्रा, अमित केशरी, राहुल सेंगर, मुकुल आनंद, राघव कुमार सिंह, रंजीत कुमार रंजन, राजीवेश कुमार, प्रवेश चौधरी, प्रियंका चौधरी, श्यामवीर सिंह झझोरिया, नवदीप कुमार, पंकज कुमार, योगेश पांडे, कृष्ण कुमार सिंह, राहुल सिंह, निधि सिंह, नीरज कुमार, विवेक सिंह, नरेंद्र कुमार, अरुणा दहिया, रमा शंकर, दीपक तिवारी, अभय प्रताप सिंह, हर्ष कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार, विवेक मिश्रा, आशीष वर्मा, आभा प्रजापति, रीतू सिंह, लक्ष्मी बोरा, रचना देवी, निखिलेश मौर्या, रोहित नंदन मिश्रा, प्रदीप कुमार यादव, चिरंजीव राठौर, सुदेश चौहान, स्वर्णा दुबे, देवेन्द्र कुमार, आनंद शुक्ला, सौरभ त्यागी, प्रियंका गुप्ता, अमित कुमार, विश्व रंजन शुक्ला, अजेन्द्र कुमार सिंह, विकास कुमार गुप्ता, सौरभ त्रिपाठी, फरमान खान, विनय पांडे, अरविन्द कुमार, विरेन्द्र पूनिया, पुष्पेन्द्र सिंह, अमित कुमार श्रीवास्तव, अमरजीत पासवान, सोनिया तिवारी, रविकांत, प्रिंस मिश्रा, अश्वनी कुमार, शोएबा परवीन, राकेश राजपूत, संजय कुमार, विवेक द्विवेदी, श्रवण कुमार सुमन, कपिल कुमार, प्रीति रावत, रंजना कुमारी, अनिल श्रीवास्तव, संत विजय, अजय, किरण, महिमा राजपूत, रेखा, पिंकी कुमारी, स्नेहा सत्यम, विष्णु दत्त राघवेन्द्रम, पीयूष कुमार, विनोद कुमार, अष्टभुजा सिंह, श्रीकांत कुमार, अभिमन्यु सिंह, दीपक कुमार, सुमन कुमार, अखिल कुमार, नागेन्द्र सिंह, शशिभूषण पांडे, जयश्री रानी, रूपेश जैन, नीलम रावत, उषा पंवार, रीना कुमारी, अवनिन्द्र जयसवाल, दीपिका श्रीवास्तव, एजाज़ अनवर, विकास कुमार, विनय पांडे, योग्यता श्रीवास्तव, महेन्द्र चिलकोटी, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, कृष्ण कुमार यादव, धर्मेन्द्र कुमार, ममता कुमारी, अवधेश कुमार, रवि गोले, धीरज पटेल, प्रिया रावत, शिवपाल, मनीषा यादव, शशिकांत, अमित सिंह, पंकज तिवारी, निकेश बहादुर, रामानुज मिश्रा, रेनू यादव, सुखेन्द्र मिश्रा, किरण बाला, पूनम, अरुण यादव, धीरज कुमार, हरि किशोर यादव, निलेश झा, बृजनंदन, राकेश सिंह, शिवानी सिंह, निखिल चौहान, हुमा, सुनील कुमार यादव, नदीम रियाज़, सुमन सौरभ, अजय कुमार, पीयूष दीक्षित, दिलीप ठाकुर, राम राठौर, सुधीर कुमार, कुमार शशि रंजन, कुमार रविशंकर, गिरीश चंद्र बोराई, डॉ. संतोष कुमार राय, मनीष प्रियदर्शी, अनित कुमार सिंह, हिमतेश कटाला, पीयूष दीक्षित, यशोधरा, अभय कुमार, मनोज कुमार, स्मिता वर्मा, पवन कुमार, अमृताश ओझा, विकाश पांडे, श्रवण कुमार, बृजेश कुमार, धीरज कुमार राय, डिंपल अग्रवाल, कीर्ति यादव, धीरेन्द्र कुमार गौर, हिरदेश वर्मा।
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग**

  जितेन्द्र रोहिला, विवेक कुमार पाल, अनिल कुमार, पूनम सक्सेना, पंकज गुप्ता, सचिन पाल, राजो कामती, मनोज शर्मा, जीतेश, संजू वर्मा, नवीन जोशी, चेतन कुमार, मेधा, राहुल कुमार, मोहित कुमार, लोकेश पाल, अमित कुमार बंसल, मो. आसिफ अंसारी, समरजीत सिंह, अखिलेश कुमार, राजपाल पाली।
- **वेब सहयोग**

  अविनाश कुमार, दुर्गेश, गीता पाल, अभिषेक कुमार, अनु राज, अभिलाषा कुमारी, रवि शंकर, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार पटवा।
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ)**

  अरुण सिंह, अभिषेक सिंह, अरविंद मिश्रा, राजेश धस्माना, संतोष पाठक।
- **प्रबंधन सहयोग**

  मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, रचना सिंह, ऋद्धिमा राज, राकेश सिंह चौहान, मोहित पांडे, कुंदन कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, प्रमोद सिंह कनवाल, अंशुल तिवारी, सुनील शल्के, संजीत कुमार, बालाजी सिंह, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा।
- **मीडिया सहयोग**

  मनीष कुमार झा, राजकुमार कोले, दीपांश।
- **दैनंदिन सहयोग**

  गजेन्द्र, रवि कुमार, भवेश गिरी, महेश कुमार, सनी, दिलीप तिवारी, विजय कुमार, अमित कुमार, विकेश कुमार, राजू बेरा, विजय कुमार, पंचानन मिश्रा, अंकित यादव, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, भानु प्रताप, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, पुष्पेन्द्र माथुर, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, अमन कुमार, निपेन्द्र सिंह, पंचम कुमार तिवारी, मन्नु कुमार, आशीष कुमार, सौरभ कुमार, मुन्ना, सतीश, शिव कुमार, वकील, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, रूप किशोर, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, मनीष कुमार, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अश्विनी कुमार, मनीष सिंह।

मई 2017 ■ मासिक ■ वर्ष-2 ■ अंक-11 ■ कुल अंक-23

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइटः** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
शिवेश मिश्रा (कार्यकारी प्रमुख) (8130392353)

वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क करें-
अजय कड़ाकोटी (बिज़नेस हेड) (8130392355)

प्रश्न मंच में अपने प्रश्न भेजने के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
राजेश झा (कार्यकारी संपादक) (8130392357)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-
नरेन्द्र प्रताप (वेब प्रमुख) (8130392351)

पिछले अंक में हुई भूलों के सुधार के लिये देखें-
www.drishtiias.com

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित। संपादक- विकास दिव्यकीर्ति

कहाँ क्या है?

संपादकीय 6

क्योंकि डिजिटल अंतराल को भरना भी ज़रूरी है...

प्रश्न मंच 9

- *पाठकों के प्रश्न एवं हमारे उत्तर*

रणनीति 11

प्रारंभिक परीक्षा के लिये क्या करें?

लेख खंड 14

राजनीतिक/वैधानिक लेख

- *नग्न महिलाओं के अधिकार का प्रश्न (15)*
- *आइडिया ऑफ इंडिया : विविध आयाम .... (19)*

सामाजिक लेख

- *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4: भारत में स्वास्थ्य .... (23)*
- *भारत में अंगदान : वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएँ (27)*

आर्थिक लेख

- *आर्थिक विकास के आँकड़ों की विश्वसनीयता ...... (31)*

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी लेख

- *नदी जोड़ो परियोजना: समस्या या समाधान (35)*

अंतर्राष्ट्रीय लेख

- *भारत और उभरती विश्व व्यवस्था (39)*

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय लेख

- *इसरो की नई उड़ान (43)*

समसामयिकी 47

- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (48)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (56)*
- *भारत-विश्व संबंध (71)*
- *वैश्विक घटनाक्रम (76)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (81)*
- *विज्ञान और तकनीक (86)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (98)*
- *अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम (104)*
- *राज्य घटनाक्रम (111)*
- *कला-संस्कृति (113)*
- *खेल घटनाक्रम (115)*
- *चर्चा में (118)*

द जिस्ट 123

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

- *द हिन्दू (124)*
- *डाउन टू अर्थ (130)*
- *साइंस रिपोर्टर (132)*
- *इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली (135)*

टू द पॉइंट 139

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

- *पाकिस्तान के बिना सार्क (139)*
- *रोहिंग्या संकट (140)*
- *खुले में शौच मुक्त अभियान (141)*
- *बैड बैंक (143)*
- *संश्लिष्ट जीव विज्ञान (145)*
- *रोबोट कर (146)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 147

मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर

पी.टी. एक्सप्रेस 153

प्रारंभिक परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री

- *भारतीय इतिहास (153)*
- *भारतीय अर्थव्यवस्था (154)*
- *भूगोल (155)*
- *अर्थव्यवस्था (156)*
- *सामान्य विज्ञान (157)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (158)*
- *कंप्यूटर (159)*
- *समसामयिकी (160)*

मानचित्रों से सीखें 162

मानचित्र-1 (162)

मानचित्र-2 (163)

इंटरव्यू खंड 165

- *मॉक इंटरव्यू तथा मूल्यांकन (165)*
- *आपकी हॉबी : सिनेमा (171)*

प्रेरणा खंड 176

- *आई.ए.एस. टॉपर निशांत जैन की कलम से (176)*
- *आई.ए.एस. टॉपर डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की डायरी (178)*

निबंध खंड 181

- *निबंध के लिये उपयोगी उद्धरण **(181)***
- *निबंध प्रतियोगिता **(182)***

सुपरफास्ट रिवीज़न 183

- *भारतीय अर्थव्यवस्था **(183)***
- *भारतीय कला-संस्कृति **(225)***

मैगज़ीन टैस्ट 280

- *मैगज़ीन के इसी अंक पर आधारित 100 महत्त्वपूर्ण प्रश्न*

संपादकीय...

क्योंकि डिजिटल अंतराल को भरना भी ज़रूरी है...

प्रिय पाठको,

आपने अक्सर सुना होगा कि सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का परिणाम अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में कमज़ोर रहता है। साथ ही, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि इस परीक्षा में शहरी परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों की सफलता-दर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों की तुलना में काफी अधिक रहती है। ये दोनों बातें सिर्फ अनुमान नहीं हैं बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित हैं जिन्हें किसी भी वर्ष की यू.पी.एस.सी. की वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित किया जा सकता है। अगर हम इस अंतराल के कारणों को खोजना चाहें तो हमें बहुत सारे कारण मिल जाएंगे पर इस संपादकीय में मैं उनमें से एक विशेष कारण पर चर्चा करना चाहता हूँ। वह कारण है- 'डिजिटल डिवाइड' यानी सूचना तकनीक की उपलब्धता और उसके प्रयोग में अंतराल।

'डिजिटल डिवाइड' एक प्रसिद्ध शब्द है जो आपने सामान्य अध्ययन की तैयारी के दौरान सुना ही होगा। एक समय तक जो भेदभाव आर्थिक अंतराल के स्तर पर दिखता था, आज वैसा ही एक नया अंतराल पैदा हुआ है जो विभिन्न समाजों या एक समाज के विभिन्न वर्गों में अमीरी-गरीबी और ऊँच-नीच पैदा करता है। इसका संबंध व्यक्तियों या समुदायों की सूचना-तकनीक तक पहुँच से है। उदाहरण के लिये, अमेरिका के जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, उस अनुपात में भारत के लोग नहीं जुड़े हैं। इस अर्थ में भारत अमेरिका की तुलना में डिजिटल डिवाइड का शिकार है। इसी प्रकार, भारत में शहरी लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में, औसत पुरुष औसत स्त्री की तुलना में, अंग्रेज़ी-भाषी समुदाय भारतीय भाषाओं के समुदायों की तुलना में इंटरनेट तक अपनी ज़्यादा और प्रभावी पहुँच रखते हैं। इसी दृष्टि से सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की तुलना करें तो यह निष्कर्ष निकालने के लिये बहुत अनुसंधान करने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी-भाषी और ग्रामीण परिवेश के उम्मीदवार अंग्रेज़ी-भाषी और शहरी उम्मीदवारों की तुलना में डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों से मिला हूँ जो इंटरनेट का मतलब समय की बर्बादी समझते हैं। कुछ दूसरे उम्मीदवारों को इंटरनेट के प्रयोग के नाम से ही घबराहट महसूस होती है और वे सिर्फ यू.पी.एस.सी. जैसी वेबसाइट्स पर अपना परिणाम देखने के अलावा किसी भी दूसरी वेबसाइट को नहीं देखते। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके पास अपना ई-मेल आईडी भी नहीं है। वे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के ई-मेल आईडी से काम चलाते हैं। यू.पी.एस.सी. का या कोई और फॉर्म ऑनलाइन भरना हो तो वे यह काम खुद नहीं करते बल्कि किसी साइबर कैफे के कर्मचारी की मार्फत करते हैं ताकि उनको तकनीक सीखने की उलझन से दो-चार न होना पड़े। सच यह है कि इस अभिवृत्ति (Attitude) के कारण वे सूचनाओं के एक ऐसे संसार से वंचित रह जाते हैं जिसके सामने किताबों की दुनिया बहुत छोटी साबित हो रही है। हिंदी और भारतीय भाषाएँ अगर सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में अपना बराबरी का हक हासिल नहीं कर पा रही हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यह डिजिटल डिवाइड भी है।

उदाहरण के लिये, अंग्रेज़ी में दुनिया का हर अच्छा अखबार इंटरनेट पर लगभग नि:शुल्क उपलब्ध है जिसे कोई उम्मीदवार जब चाहे पढ़ सकता है। दुनिया के नामी-गिरामी विचारकों द्वारा लिखे गए लेख तथा उनके वीडियो लेक्चर्स अंग्रेज़ी भाषा जानने वालों को नसीब हैं। इतना ही नहीं, विकीपीडिया और कोरा (Quora) जैसे प्लेटफॉर्म भी प्रभावी तरीके से अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं जिन पर आप किसी भी विषय से जुड़ी सामग्री खोज सकते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर हासिल कर सकते हैं। फिर, कुछ वेबसाइट्स तो सीधे-सीधे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिये हैं जो दैनिक तौर पर करेंट अफेयर्स के विश्लेषण से लेकर टॉपर्स के साथ बातचीत आदि का प्रकाशन करती हैं और उम्मीदवारों को लगातार अपडेटेड रखती हैं। हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं के उम्मीदवार इस स्तर पर लगातार नुकसान झेलते हैं क्योंकि न तो हिंदी में ऐसे अखबार और पत्रिकाएँ हैं और न ही ऐसी प्रभावी वेबसाइट्स। विकीपीडिया जैसी साइट्स हिंदी में काम करती भी हैं तो उन पर उपलब्ध सामग्री अपनी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में अंग्रेज़ी के आस-पास भी नहीं है। एक ऐसे समय में जब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा करेंट अफेयर्स के गहन विश्लेषण की मांग करता हो, तब सामग्री के स्तर पर इतना अधिक अंतराल स्वाभाविक रूप से परिणाम में बड़ा अंतर पैदा करता है।

इस पूरे अंतराल को भरना तो शायद किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि जिस गति से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री बनाई जा रही है, उससे कई गुणा अधिक गति से अंग्रेज़ी में ऑनलाइन सामग्री बढ़ती जा रही है। यह अंतराल लगातार बढ़ ही रहा है, इसके कम होने की संभावना नज़र नहीं आती। पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में इस अंतराल को कम या समाप्त करने की कोशिश करें। एक ऐसी ही कोशिश पिछले कुछ महीनों में टीम दृष्टि ने की है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ।

लगभग 5 महीने पहले, नवंबर 2016 में, इस पत्रिका की संपादन टीम ने इस प्रश्न पर मंथन किया कि विद्यार्थियों की करेंट अफेयर्स तथा अन्य ज़रूरतों के लिये पत्रिका सहायक तो है, पर पर्याप्त नहीं। परीक्षा में जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जितनी तरह की जिज्ञासाएँ विद्यार्थियों के मन में कुलबुलाती रहती हैं, उन्हें 290 पृष्ठों की पत्रिका से संतुष्ट कर पाना मुमकिन नहीं है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि अंग्रेज़ी में जिस स्तर की सामग्री कुछ अच्छी वेबसाइट्स प्रदान कर रही हैं, उनकी बराबरी सिर्फ पत्रिका के बलबूते नहीं हो सकती। संपूर्ण चर्चा का सार यह निकला कि हमें पत्रिका और पुस्तकों के समानांतर एक ऐसी वेबसाइट भी विकसित करनी चाहिये जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके जिन्हें किताबें और पत्रिकाएँ पूरा नहीं कर सकतीं। इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए हमने लगभग 18 सदस्यों की एक टीम तैयार की जिसे 2 महीने की अवधि में वेबसाइट विकसित करने का लक्ष्य दिया गया। सबसे पहले इस प्रश्न पर माथा-पच्ची हुई कि सामग्री कितनी विस्तृत और किन वर्गों में वर्गीकृत व उपवर्गीकृत होनी चाहिये। जब एक खाका तैयार हो गया तो हर टैब (वेबसाइट पर नज़र आने वाले बॉक्स जिन पर क्लिक करके सामग्री तक पहुँचा जाता है) के लिये छोटी-छोटी टीमें तैयार की गईं। हमारा आरंभिक अनुमान था कि हम जनवरी तक वेबसाइट को लक्षित रूप में ले आएंगे पर कार्य उससे कहीं ज़्यादा था जितना हमने सोचा था। लक्ष्य की तिथियाँ बदलती गईं। पहले 1 फरवरी का लक्ष्य रखा गया, फिर 1 मार्च का, फिर 20 मार्च का और अंतत: 31 मार्च

का। आखिरकार 31 मार्च को हमने वेबसाइट (www.drishtiias.com) को नए रूप में लॉन्च कर दिया। अभी भी वेबसाइट में सुधार की काफी गुंजाइश है और हमारी 18 सदस्यीय टीम जी-जान से इस काम में जुटी है; किंतु इतना ज़रूर है कि हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिये यह अभी भी बेहद उपयोगी रूप में मौजूद है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह सिविल सेवा परीक्षा के लिये प्रसिद्ध अंग्रेज़ी की किसी भी वेबसाइट से कमतर नहीं है। हिंदी माध्यम के सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे यू.पी.एस.सी. की तैयारी कर रहे हों या पी.सी.एस. की, मेरी विनम्र सलाह है कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा इस वेबसाइट पर गुज़ारना शुरू करें।

जो नए उम्मीदवार हैं, उन्हें मुख्य रूप से 'बिगनर्स के लिये सुझाव' टैब से शुरुआत करनी चाहिये। इसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह समझाया गया है कि उन्हें अभी क्या करना है और तैयारी का कौन-सा हिस्सा बाद के लिये छोड़ देना है? अगर आप इस परीक्षा की तैयारी में उतरने का पूरा मन बना चुके हैं और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिये 3 टैब्स विशेष महत्त्व की हैं- 'सिविल सेवा परीक्षा', 'तैयारी की रणनीति' तथा 'एन.सी.ई.आर.टी.'। 'सिविल सेवा परीक्षा' के अंतर्गत सिविल सेवाओं का परिचय, इस परीक्षा का प्रारूप, पाठ्यक्रम, सामान्य जिज्ञासाओं का समाधान, पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्र आदि दिये गए हैं जो आपकी बुनियादी शंकाओं का समाधान करेंगे। 'तैयारी की रणनीति' के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक के सभी चरणों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की चर्चा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के सभी खंडों की विशेष रणनीति, पूर्व वर्षों में उन खंडों से पूछे गए प्रश्न आदि भी दिये गए हैं। मुख्य परीक्षा की रणनीति में 'वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें', 'मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें' और 'उत्तर-लेखन शैली को कैसे बेहतर बनाएँ' जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

'एन.सी.ई.आर.टी.' शीर्षक वाली टैब उनके लिये विशेष रूप से उपयोगी है जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में इस बात से विशेष फर्क पड़ता है कि उम्मीदवार ने एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें ठीक से पढ़ी हैं या नहीं। इस टैब के अंतर्गत हमारी टीम ने एक विशेष टेस्ट प्रक्रिया रखी है। छठी से बारहवीं कक्षा तक की उन सभी पुस्तकों को, जो इस परीक्षा के लिये पढ़ी जानी चाहियें, हमने अध्यायवार तरीके से विभाजित किया है और हर अध्याय से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किये हैं। आपने जो भी अध्याय पढ़ लिया है, आप उस अध्याय के प्रश्नों का समाधान करें और उत्तरमाला से अपने उत्तर चैक करें। प्रत्येक उत्तर के साथ उसकी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है ताकि आपको अपनी गलतियों की सही समझ हो सके। हमारा अनुमान है कि जो उम्मीदवार एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों को इस तरह से पढ़ेंगे, वे निस्संदेह बाकी उम्मीदवारों पर भारी पड़ेंगे।

जो उम्मीदवार गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिये मुख्य रूप से 2 टैब्स महत्त्वपूर्ण हैं- 'करेंट अफेयर्स' तथा 'मिशन 2017-18'। करेंट अफेयर्स की टैब के अंतर्गत 6 तरह की सामग्रियाँ हैं। पहली सामग्री है 'आर्टिकल एनालिसिस' जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ी के अच्छे अखबारों में छपे कुछ लेखों का सार तथा विश्लेषण बिंदुवार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ये वे लेख होते हैं जिनके समकक्ष लेख हिंदी अखबारों में नहीं मिलते। दूसरी सामग्री है 'न्यूज़ एनालिसिस' जिसमें अंग्रेज़ी के अखबारों या वेबसाइट्स में प्रकाशित उन समाचारों को जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण हैं किंतु हिंदी अखबारों में प्राय: अनुपलब्ध हैं, लिया जाता है। तीसरी सामग्री है- 'उपयोगी अंग्रेज़ी लेखों के अनुवाद'। इसके अंतर्गत 'द हिंदू' तथा अंग्रेज़ी के अन्य अखबारों में प्रकाशित श्रेष्ठ लेखों का सरल हिंदी में पूरा अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। ये वे लेख हैं जिन्हें हम संक्षिप्त नहीं करना चाहते और महसूस करते हैं कि वे हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को पूर्णता के साथ ही मिलने चाहियें। चौथी सामग्री है 'राज्यसभा टीवी डिस्कशन्स' और पाँचवी है 'लोकसभा टीवी डिस्कशन्स'। इनके अंतर्गत, इन दोनों चैनलों पर अंग्रेज़ी में होने वाली उन अच्छी डिस्कशन्स का हिंदी में सार प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें सुनना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये उपयोगी है। छठी और अंतिम सामग्री है 'डेली करेंट क्विज़' जिसके अंतर्गत करेंट अफेयर्स के आधार पर हम प्रतिदिन लगभग 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। साथ ही, उन प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी दिये जाते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को समझ सकें।

मिशन 2017-18 भी उन विद्यार्थियों के लिये है जो इस परीक्षा की तैयारी में गहरे स्तर पर पहुँच चुके हैं। इसके अंतर्गत प्रिलिम्स 2018 और मेन्स 2017 के लिये विशेष सामग्री दी जा रही है। प्रिलिम्स 2018 के लिये प्रत्येक खंड के प्रत्येक टॉपिक पर बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर तथा व्याख्या सहित) अपलोड किये जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी का स्तर जाँच सकें। ये प्रश्न सिर्फ एन.सी.ई.आर.टी. पर आधारित न होकर उस खंड के लिये प्रचलित सभी ज़रूरी पुस्तकों और वेबसाइटों की मदद से बनाए गए हैं। इसी प्रकार, मेन्स 2017 के अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि लगभग प्रतिदिन हम आपको सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्रों पर एक-एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न (उत्तर सहित) उपलब्ध कराएँ। इनमें से अधिकांश प्रश्न करेंट अफेयर्स पर आधारित होंगे और कुछ परंपरागत होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिल जाएँ जो आपने इस खंड के अंतर्गत वेबसाइट पर पहले ही पढ़ लिये थे।

जो विद्यार्थी आई.ए.एस. के साथ-साथ पी.सी.एस. परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिये हमारी टीम ने एक विशेष टैब 'पी.सी.एस. परीक्षा' तैयार की है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ की लोक सेवा परीक्षाओं से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। आप इनमें से किसी भी राज्य की परीक्षा का पाठ्यक्रम, पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्र, टॉपर्स के इंटरव्यू, सामान्य जिज्ञासाओं के उत्तर तथा रणनीति से संबंधित मार्गदर्शन इस टैब के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं।

वेबसाइट पर और भी बहुत सामग्री है किंतु हर बात को इस छोटे से संपादकीय में समेटना संभव नहीं है। उदाहरण के लिये, एक टैब 'मोटिवेशन/ मनोरंजन' नाम से है जिसके अंतर्गत हमने यूट्यूब के ऐसे वीडियोज़ के लिंक दिये हैं जिन्हें देखकर आपका मनोरंजन भी होगा और आप कुछ नया सीखेंगे भी। मेरा निवेदन है कि आप इस वेबसाइट को देखें, लाभ उठाएँ और सतत् मूल्यांकन करें। अगर आपको कोई भी सुझाव देने की इच्छा हो तो बेझिझक 8130392353 नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें। हमारी टीम इस वेबसाइट को आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ विकास दिव्यकीर्ति)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

तैयारी का वह हिस्सा जो किताबों से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिये हम आपको आमंत्रित करते हैं

अपनी लोकप्रिय वेबसाइट पर

www.drishtiias.com

हिंदी में पहली बार वह सब जो अंग्रेज़ी की वेबसाइट्स पर भी आपको नहीं मिलेगा

सिविल सेवा परीक्षा	तैयारी की रणनीति	पी.सी.एस. परीक्षा	करेंट अफेयर्स
मिशन 2017-18	एन.सी.ई.आर.टी.	बिगनर्स के लिये सुझाव	मोटिवेशन/मनोरंजन

रोज़ एक घंटा इस साइट पर गुज़ारिये और प्रिलिम्स से इंटरव्यू तक की अपनी तैयारी में गुणात्मक अंतर महसूस कीजिये।

For any query please contact:
87501 87501, 011-47532596

प्रश्न मंच

प्रिय अभ्यर्थियो,

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना स्वयं में एक गर्व का विषय है। इनकी तैयारी के दौरान तमाम तरह की कठिनाइयाँ व समस्याएँ भी सामने आती हैं। कुछ अभ्यर्थी धैर्य के साथ इन कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करते हुए सफल हो जाते हैं तो कुछ इस तरह हतोत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें अपना भविष्य ही अंधकारमय लगने लगता है। इन समस्याओं के समाधान के लिये ही हमने 'प्रश्न मंच' नामक यह कॉलम शुरू किया है। परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को आप '8130392357' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेजें। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर हम इस कॉलम में शामिल करें।

✉ अभिषेक सिंह, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

सर, प्रणाम। मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे और दृष्टि के अन्य प्रकाशनों का नियमित पाठक हूँ। हिन्दी माध्यम के लिये आपकी पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक का कार्य कर रही हैं। सर, मैं सामान्य वर्ग से हूँ तथा मेरी उम्र 28 वर्ष है। मैं यूपी, राजस्थान तथा बिहार पी.सी.एस. में कई मुख्य परीक्षाएँ तथा साक्षात्कार दे चुका हूँ लेकिन अंतिम सफलता अभी नहीं मिली है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 5वीं बार देने जा रहा हूँ एवं यू.पी.पी.सी.एस. भी देना है। इन दोनों पर फोकस करने के लिये मैंने अन्य राज्यों की परीक्षाएँ छोड़ दी हैं। सर, इस बार मन एवं बुद्धि दोनों अंतिम चरण तक पहुँचकर लगातार मिलती असफलता से भयभीत हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिकी में 2 महीने बचे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें।

टीम दृष्टि *अभिषेक जी, हर परीक्षा में सफलता पाने का एक ही तरीका है- सही दिशा में परिश्रम। आप अपना परिश्रम निरंतरता से करते रहें और बगैर भयभीत हुए प्रारंभिकी के लिये अभ्यास प्रश्नपत्रों पर विशेष ध्यान दें। 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की रिवीज़न सामग्री को भी ठीक से देख लें। आपकी मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी।*

✉ प्रशांत कपाड़िया (उत्तर प्रदेश)

सर, मैं हिन्दी माध्यम का छात्र हूँ। मुझे वैकल्पिक विषय लेने में कुछ संदेह है कि मैं हिन्दी साहित्य विषय का चयन करूँ या किसी अन्य का। क्या आप मेरे इस संदेह को दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं?

टीम दृष्टि *हिन्दी माध्यम में हिन्दी साहित्य मानविकी व तकनीकी दोनों वर्गों के लोग लेते रहे हैं तथा सफल होते रहे हैं। आप मन से संदेह दूर करके इस विषय को लेकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। शुभकामनाएँ।*

✉ अरविंद कुमार राठी, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

सर, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हम हिन्दी माध्यम के छात्रों के संकट को समझा और उसका सोल्यूशन इस पत्रिका में प्रस्तुत किया। सर, हमलोग इसके सभी आलेखों, जिस्ट, टू द पॉइंट, निबंध, संपादकीय, प्रेरणा खंड को विशेष रूप से पढ़ते हैं। सर, आपसे निवेदन है कि आप नेट/जे.आर.एफ. से संबंधित जानकारी भी दिया कीजिये।

टीम दृष्टि *अरविंद जी, आप अपना स्नेह यूँ ही बनाए रखें। हम आपकी सलाह पर गंभीरतापूर्वक विचार करके भविष्य में इस अभाव की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।*

✉ मुकेश सीरवी, पाली (राजस्थान)

सर, मैं बी.ए. अंतिम वर्ष का छात्र हूँ तथा आपकी पत्रिका का अंक 3 से नियमित पाठक हूँ। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ तथा साथ में IAS की भी तैयारी करना चाहता हूँ। सर, आप मेरा IAS मेंस के लिये उचित मार्गदर्शन करें।

टीम दृष्टि *मुकेश जी, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे में समय-समय पर मुख्य परीक्षा के अध्ययन की रणनीति एवं अध्ययन सामग्री दी जाती है। आप अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार रणनीति बनाकर पढ़ें। अगर उसमें कोई दिक्कत महसूस करते हों तो दृष्टि द्वारा दिये गए संपर्क सूत्रों पर अपनी जिज्ञासा रखें। टीम दृष्टि आपकी समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयत्न करती है।*

✉ राम कश्यप, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

मैं बीएससी का छात्र हूँ। सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहता हूँ। एक चिंता है कि मैंने बी.एस.सी. (ओपन यूनिवर्सिटी) से की है। क्या मुझे यू.पी.एस.सी. की तैयारी नहीं करनी चाहिये?

टीम दृष्टि *राम कश्यप जी, आप निश्चिंत होकर यू.पी.एस.सी. की परीक्षा दें, अगर आपका विश्वविद्यालय वैध है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम भी बताया होता तो हम ज़्यादा स्पष्ट उत्तर दे पाते।*

✉ मेघा (छत्तीसगढ़)

सर, मैं सी.जी.पी.सी.एस. की तैयारी कर रही हूँ पर मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है।

टीम दृष्टि *मेघा जी, सबसे पहले आप मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखें तथा उसके अनुसार एक रणनीति बना लें। उससे संबंधित अध्ययन सामग्री भी खरीद लें। यदि इस प्रक्रिया में कुछ अड़चनें आती हों तो दृष्टि द्वारा दिये गए संपर्क सूत्रों पर जिज्ञासा समाधान भी कर सकती हैं।*

रणनीति

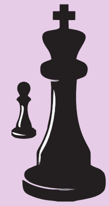

प्रारंभिक परीक्षा के लिये क्या करें?

IAS टॉपर टीना डाबी से सीधी बातचीत

इस कॉलम के अंतर्गत हम अपने अनुभवी लेखकों द्वारा तैयार की गई रणनीतियाँ लगातार शामिल करते रहे हैं। ये रणनीतियाँ अक्सर विद्यार्थियों के तनाव को कम करने एवं सटीक मार्गदर्शन के लिये रामबाण की तरह काम करती हैं। दृष्टि टीम इसमें नए-नए प्रयोग एवं स्मार्ट स्टडी की नई तरकीबें शामिल करने का प्रयास करती रहती है। अपने इसी नवोन्मेषी प्रयास के तहत टीम दृष्टि ने इस बार सुश्री टीना डाबी से प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति पर बातचीत की है। टीना जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनकी यह सफलता सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिये एक नज़ीर है। प्रस्तुत हैं उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश-

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: एक ऐसा प्रतियोगी जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को अभी-अभी गंभीरता से लेना शुरू किया है, क्या उसके लिये 60-70 दिन में इसे कर पाना संभव हो सकेगा? इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अपनी नौकरियाँ छोड़ दी हैं।

टीना डाबी: *हाँ, यह हो सकता है। हालाँकि यह चुनौतीपूर्ण है। इसके लिये प्रतिदिन काफी समय देना होगा। अगर अभ्यर्थी तैयारी की शुरुआत कर रहे हों और उनके पास सिर्फ 60 दिन हों तो अध्ययन करने व दोहराने के लिये प्रतिदिन 10 घंटे देना ज़रूरी है।*

दृष्टि: इस परीक्षा के लिये कौन-सी विशेष रणनीति अपनाई जानी चाहिये?

टीना: *परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिंदुवार समय-सारणी बनानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक टॉपिक का एक बार गहन अध्ययन किया जाए तथा कम-से-कम एक बार उसे दोहराया जाए।*

दृष्टि: पाठ्यक्रम को पढ़ते समय किस भाग को प्राथमिकता देनी चाहिये?

टीना: *पाठ्यक्रम को पढ़ते समय समसामयिक घटनाओं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कला एवं संस्कृति, राजव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र जैसे भागों को प्राथमिकता देनी चाहिये।*

दृष्टि: पाठ्यक्रम के किन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये?

टीना: *सभी विषयों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, अगर देश में कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो राजव्यवस्था के विषय को ध्यान में रखते हुए आपको उस मामले से संबंधित सभी तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।*

दृष्टि: आपने तैयारी करते समय अपनी समय-सारणी को किस तरह विभाजित किया था? (जैसे- राजव्यवस्था के लिये 15 दिन का समय, इतिहास के लिये 15 दिन का समय आदि।)

टीना: *कुछ विषयों की तैयारी में अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक समय लगता है और यह प्रत्येक व्यक्ति के मामले में अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिये, यदि मैं पूर्व में इतिहास की विद्यार्थी रही होती तो मैं इतिहास वाले भाग के लिये कम समय देती जबकि विज्ञान एवं तकनीक के लिये अधिक समय। हालाँकि, फिर भी एक समय-सीमा तो तय करनी ही पड़ती है। उदाहरण के लिये, मैं एक महीने में 2-3 विषयों को कवर करना चाहूंगी।*

दृष्टि: तैयारी करते समय समसामयिक घटनाओं पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है या पारंपरिक अध्ययन पर? या फिर उपलब्धता के आधार पर मिला-जुला नज़रिया रखना चाहिये?

टीना: *दोनों पर ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है किन्तु समसामयिक घटनाओं पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये।*

दृष्टि: संक्षेप में, तैयारी अथवा समय का स्मार्ट उपयोग कैसे किया जाए?

टीना: *प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करने के बाद उन प्रश्नों पर ध्यान देना जो कि बीते वर्षों के प्रश्न-पत्रों में आए हैं। इससे अभ्यास भी होता जाएगा और संभावित प्रश्नों के बारे में अनुमान भी होता जाएगा।*

दृष्टि: इस समय केवल प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये अथवा मुख्य परीक्षा के लिये उत्तर लेखन का अभ्यास भी करना चाहिये?

टीना: *चूँकि, प्रारंभिक परीक्षा के लिये अब लगभग 70 दिन ही बचे हैं, अतः केवल प्रारंभिक परीक्षा पर ही ध्यान दिया जाना चाहिये।*

दृष्टि: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिये काफी सघन तैयारी चाहिये, जबकि मुख्य परीक्षा के लिये उद्देश्यपरक तैयारी?

टीना: *पहले सिविल सर्विसेज़ की तैयारी इस तरह से होती थी कि आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में अंतर कर सकते थे, किन्तु वर्तमान*

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

राजनीतिक/वैधानिक लेख 15

■ **नगा महिलाओं के अधिकार का प्रश्न** *–सन्नी कुमार*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-1 के तहत 'सामाजिक सशक्तीकरण', प्रश्नपत्र-2 के तहत 'संविधान, शासन प्रणाली तथा सामाजिक न्याय' खंड से संबंधित है।)

■ **आइडिया ऑफ इंडिया : विविध आयाम** *–हेमंत कुमार*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-1 के तहत 'भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ', भारत की विविधता', प्रश्नपत्र-2 के तहत 'शासन व्यवस्था, संविधान' तथा निबंध खंड से संबंधित है।)

सामाजिक लेख 23

■ **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 : भारत में स्वास्थ्य की एक नई तस्वीर** *–आलोक अग्रवाल*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-2 के तहत 'स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय' खंड से संबंधित है।)

■ **भारत में अंगदान : वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएँ** *–हिमांशु सिंह*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-2 के तहत 'स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय' खंड से संबंधित है।)

आर्थिक लेख 31

■ **आर्थिक विकास के आँकड़ों की विश्वसनीयता पर उत्पन्न विवाद** *–शशि भूषण (विवेक राही)*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-3 के तहत 'भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना एवं सरकारी बजट' खंड से संबंधित है।)

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी लेख 35

■ **नदी जोड़ो परियोजना: समस्या या समाधान** *–गौरव*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-3 के तहत 'पर्यावरण क्षरण एवं संरक्षण तथा आपदा और आपदा प्रबंधन' खंड से संबंधित है।)

अंतर्राष्ट्रीय लेख 39

■ **भारत और उभरती विश्व व्यवस्था** *–डॉ. संतोष कुमार सिंह*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-2 के अंतर्गत 'द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार तथा भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव' खंड से संबंधित है।)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय लेख 43

■ **इसरो की नई उड़ान** *–निधि सिंह*

(यह लेख सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-3 के तहत 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास एवं अंतरिक्ष से संबंधित विषय' खंड से संबंधित है।)

नगा महिलाओं के अधिकार का प्रश्न

सन्नी कुमार

लेख के उद्देश्य	
	◆ **नगालैंड के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने से उत्पन्न विवाद की समीक्षा करना।** ◆ **इसके पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों को समझना।** ◆ **नगालैंड की वास्तविक स्थिति को समझते हुए एक निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचना।**

एक ऐसे समय में जब महिला सशक्तीकरण का मुद्दा सर्वाधिक तीव्रता के साथ नीति-निर्माण और बौद्धिक विमर्श को प्रभावित कर रहा हो, वैसे में किसी चुनाव का सिर्फ इसलिये रद्द हो जाना क्योंकि उसमें अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व की बात कही गई हो; यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि लैंगिक समानता का आदर्श अपने व्यावहारिक रूपांतरण से विपरीत दिशा में न सही किन्तु काफी दूर तो है ही। हमें ऐसे उदाहरण खोजने के लिये बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें महिलाओं के साथ भेदभावपरक व्यवहार किया जाता हो। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक तथा समाज से लेकर परिवार के स्तर तक ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं। वर्तमान से एक प्रसंग लेकर इसे पुष्ट करना चाहें तो नगालैंड में शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies-ULB) के चुनाव विवाद का उल्लेख करना समीचीन होगा। दरअसल, पुरुष प्रभुत्व वाले जनजातीय समूह के विरोध के कारण नगालैंड में शहरी निकाय के चुनाव सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। इन समूहों द्वारा नगालैंड के शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का विरोध किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे लेकर महिलाओं का एक छोटा ही सही किन्तु सशक्त समूह संघर्षरत है। दोनों समूहों के अपने-अपने तर्क हैं जो उनके पक्ष का औचित्य सिद्ध करते हैं। इन दो पक्षों से जुड़े हुए और इनसे अलग भी ऐसे अनेक कारक हैं जो इस मुद्दे को जटिल बनाते हैं। अगर समानता के आदर्श को निर्विवाद मान लें तो प्रथमदृष्टया यह मामला स्त्री-पुरुष विषमता का सूचक प्रतीत होता है, किन्तु इसी के साथ यह प्रश्न भी जुड़ा है कि क्या समानता की प्राप्ति के लिये आरक्षण ही सबसे बेहतर और अंतिम विकल्प है? फिर एक तरफ जहाँ यह मुद्दा परंपरागत व्यवस्था के आदर्श और आधुनिक संदर्भों में अधिकारों के परस्पर द्वंद्व को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ यह दो अलग-अलग संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव से जुड़ा भी है। साथ ही, यह विषय उस मिथक की पड़ताल का भी मौका उपलब्ध कराता है जहाँ जनजातीय समुदाय को समानता के कहीं अधिक निकट समझा जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियागत स्तर पर भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो इस विषय से जुड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या से पूर्व वर्तमान विवाद और उसके संक्षिप्त इतिहास को जान लेना आवश्यक होगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस मुद्दे से किस प्रकार विभिन्न हित जुड़े हुए हैं।

वर्तमान विवाद और इसका संक्षिप्त इतिहास

वस्तुतः 1 फरवरी को नगालैंड में शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव होना था जो जनजातीय प्रतिनिधित्वकारी निकायों के तीव्र विरोध के कारण नहीं हो पाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि विरोध की असली वजह इन चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। इस प्रकार लम्बे समय से टलता आ रहा चुनाव इस बार भी टल गया। इस विवाद की पृष्ठभूमि में जाएँ तो इसका मूल भारतीय संविधान के '74वें संशोधन' में निहित है जिसमें नगरपालिका के चुनाव को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग-9(क) जोड़ा गया जिसका शीर्षक है- नगरपालिकाएँ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक शामिल हैं। इनमें नगरपालिका से संबंधित विभिन्न उपबंध किये गए हैं। नगालैंड में जो मुद्दा अभी विवाद के केन्द्र में है उसका संबंध अनुच्छेद-243 T से है जिसमें आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 T यह कहता है कि 'प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम-से-कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।' ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 243 M (2) के तहत पंचायती राज को लागू न करने की छूट नगालैंड को मिली हुई है, किन्तु यह छूट उसे नगरपालिका के संदर्भ में प्राप्त नहीं है। अर्थात् महिला आरक्षण को नगरपालिका के चुनाव में लागू करना अनिवार्य है, किन्तु पुरुष प्रधान जनजाति समूहों द्वारा बार-बार अनुच्छेद 371 (A) को आधार बनाते हुए, जिसमें नगा संस्कृति के रक्षोपाय हेतु विशेष प्रावधान किये गए हैं, महिला आरक्षण का विरोध किया जाता है।

नगालैंड विधानसभा ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव कराने के उद्देश्य से 2001 में 'द म्यूनिसिपल एंड टाउन काउंसिल एक्ट, 2001' (The Municipal and Town Council Act, 2001) पारित किया। इस अधिनियम में भी महिलाओं के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस प्रकार, इसी अधिनियम के तहत 2004 में चुनाव हुआ जिसमें महिला आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। गौरतलब है कि 2001 के अधिनियम के पूर्व नगालैंड द्वारा 'असम म्यूनिसिपल एक्ट' को मानते हुए शहरी समितियों की व्यवस्था की जा रही थी। 2001 के बिना आरक्षण वाले चुनाव के विरोध में एक महिला प्रत्याशी 'खेतोली' (Khetoli) ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिस पर निर्णय सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह नगरपालिका के चुनाव में 33% महिला आरक्षण को लागू करे। इस निर्णय को मानते हुए 'म्यूनिसिपल एंड टाउन काउंसिल एक्ट (प्रथम संशोधन), 2006' पारित किया गया जिसमें 33% महिला आरक्षण को लागू किया गया। इस नियम के आधार पर 2009 में चुनाव घोषित किये गए, किन्तु पुरुष जनजाति समूहों के विरोध के कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ा। इसके विरोध में महिला समूहों द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एकल पीठ (Single Bench) के समक्ष याचिका

आइडिया ऑफ इंडिया : विविध आयाम

हेमंत कुमार

लेख के उद्देश्य	
	◆ 'आइडिया ऑफ इंडिया' और राष्ट्रवाद की बुनियादी अवधारणा से अवगत कराना।
	◆ विभिन्न दृष्टिकोणों से 'आइडिया ऑफ इंडिया' की व्याख्या करना।
	◆ 'आइडिया ऑफ इंडिया' को भ्रमित करती विचारधाराओं को तार्किक आधार पर चिह्नित करना।

देश हवा में नहीं बनता, यह कार्य-कारणों की लम्बी श्रृंखला और विभिन्न सद्विचारों के अनुसरण का परिणाम होता है। घटनाएँ विमर्श पैदा करती हैं, विमर्श का निष्कर्ष विचारों को जन्म देता है और विचार कार्य में परिणत होकर देश का निर्माण करता है। इस प्रकार, 'भारत' लम्बी अवधि से एक बनता हुआ राष्ट्र और सँवरता हुआ विचार है। किसी भी 'राष्ट्र की अवधारणा' उसके इतिहास, भूगोल, मौलिक व वैश्विक चिंतन के साथ-साथ समकालीन घटनाओं और राजनीतिक कार्यविधियों से प्रभावित होती है। इस आलोक में भारत की वर्तमान सुर्खियों पर नज़र डालें तो रामजस कॉलेज में वामपंथी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों के बीच उभरा विवाद, विरोध जताने पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर बलात्कार और जान से मारने की धमकी तथा हालिया चुनावी परिणामों में धार्मिक कट्टरता का बढ़ता वर्चस्व आदि हाल के दिनों में घटी कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिन्होंने 'आइडिया ऑफ इंडिया' को विमर्श के दायरे में ला खड़ा किया है।

हालात यह है कि यह चर्चा शैक्षणिक परिसरों की दहलीज़ पार कर सड़कों पर हिंसक रूप अख्तियार करने लगी है। एक तरफ तथाकथित प्रगतिशील लोगों की जुबान पर आज़ादी का नारा है तो दूसरी तरफ स्वघोषित राष्ट्रवादियों को देशभक्ति का सहारा है। एक तरफ वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क है तो दूसरी तरफ देश की एकता-अखंडता हेतु मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण का वितर्क है। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का राग है तो दूसरी तरफ भारतीय धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना का अलाप। यानी इस मुद्दे पर पूरा देश दो धड़ों में बँटा नज़र आता है। इसलिये मूल सवाल यह है कि 'आइडिया ऑफ इंडिया' क्या है और हम इसे कहाँ से ग्रहण करते हैं? क्या 'आइडिया ऑफ इंडिया' और राष्ट्रवाद में वैचारिक साम्य है या कुछ अंतर है? क्या भारत का विचार वामपंथियों और दक्षिणपंथियों की नज़र में विपरीत ध्रुवों पर अवस्थित है? क्या भारत की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा से भिन्न है? क्या 'आइडिया ऑफ इंडिया' लोकतंत्र और भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ है? कुल मिलाकर, आइडिया ऑफ इंडिया का उचित स्वरूप क्या होगा यही मुख्य सवाल है? अत: 'आइडिया ऑफ इंडिया' के विभिन्न आयामों को समझने की आवश्यकता है।

राष्ट्रवाद और 'आइडिया ऑफ इंडिया' में अंतर

हालाँकि 'आइडिया ऑफ इंडिया' कोई अर्वाचीन तर्क नहीं है फिर भी इसे राष्ट्रवाद से व्यापक अवधारणा ज़रूर माना जा सकता है। चूँकि, यदि राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर राष्ट्रवाद किसके लिये? किन्तु राष्ट्र के कारण राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्र यह प्रश्न आज भी यथोचित उत्तर की तलाश में है। दरअसल, राष्ट्र

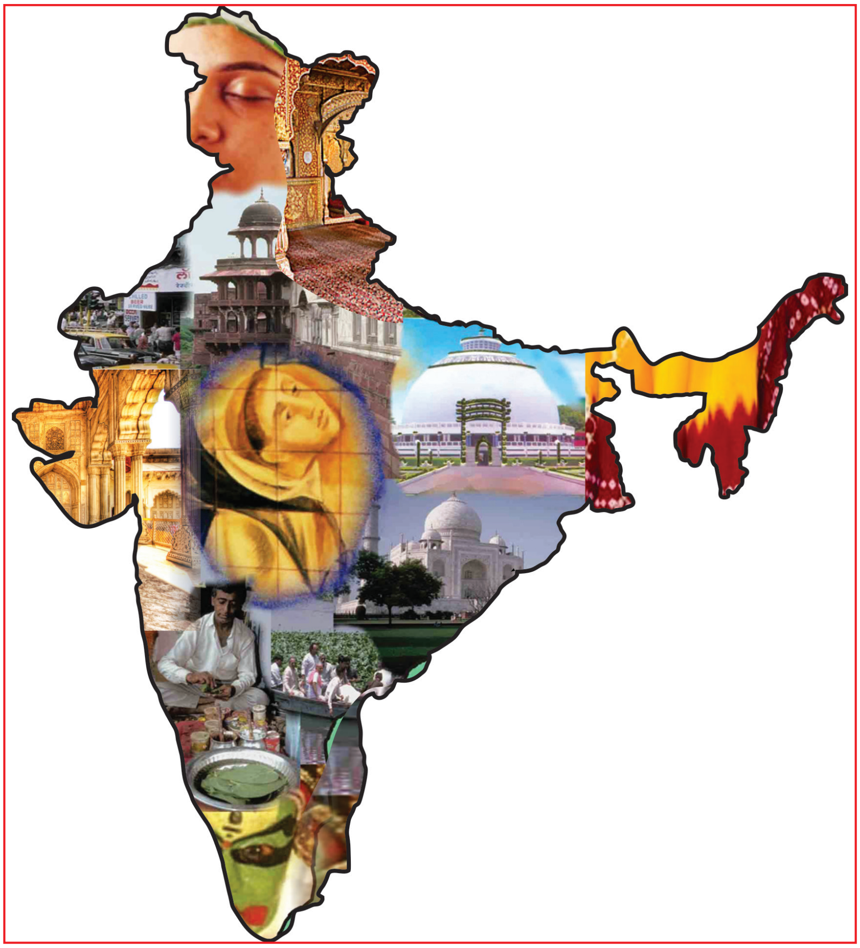

आर्थिक विकास के आँकड़ों की विश्वसनीयता पर उत्पन्न विवाद

शशि भूषण (विवेक राही)

लेख के उद्देश्य	◆ जीडीपी के अनुमानित आँकड़ों की विश्वसनीयता से जुड़े विवाद पर प्रकाश डालना। ◆ जीडीपी की तकनीकी अवधारणा से परिचय कराना। ◆ इससे संबंधित पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का विश्लेषण करना।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से हाल में जारी आर्थिक विकास दर के आँकड़ों में चालू वित्त वर्ष (2016-17) की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7 फीसद रहने और पूरे वित्त वर्ष (2016-17) में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। सीएसओ द्वारा व्यक्त इन अनुमानों ने देश में आर्थिक विकास दर के आँकड़ों को एकत्र करने की विधि और इसकी विश्वसनीयता को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार है जो सीएसओ के आँकड़ों का समर्थन करते हुए कह रही है कि जीडीपी के तीसरी तिमाही के आँकड़े यह साबित करते हैं कि विमुद्रीकरण का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ अर्थशास्त्री, रेटिंग एजेंसियाँ और विपक्ष सीएसओ के द्वारा ज़ारी किये गए इन आँकड़ों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार सरकारी आँकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते और आँकड़ों में विमुद्रीकरण के वास्तविक असर को शामिल करने की बजाय उसे छुपाया गया है। आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट देने में अपनी अलग पहचान बना चुकी देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने जहाँ इन आँकड़ों को बेहद चौंकाने वाला बताया है तो वहीं जापान की वित्तीय सलाहकार व आर्थिक एजेंसी नोमुरा (Nomura) ने तो इन आँकड़ों को काल्पनिक बता दिया है। सीएसओ द्वारा आँकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत देश की आर्थिक तस्वीर आँकड़ों की बाज़ीगरी है या ये आँकड़े अर्थव्यवस्था की असल तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसकी जाँच करने से पहले अच्छा यह होगा कि हम जीडीपी से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को भली-भाँति जान लें।

जीडीपी से आशय और इसे मापने की विधि

सामान्यत: एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के

समसामयिकी

1	अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम	48
2	संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	56
3	भारत-विश्व संबंध	71
4	वैश्विक घटनाक्रम	76
5	आर्थिक घटनाक्रम	81
6	विज्ञान और तकनीक	86
7	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	98
8	अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम	104
9	राज्य घटनाक्रम	111
10	कला-संस्कृति	113
11	खेल घटनाक्रम	115
12	चर्चा में	118

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

गंगा-यमुना को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा

हाल ही में न्यूज़ीलैण्ड में माओरी समुदाय के लिये पवित्र माने जाने वाली एक नदी को 'जीवित इंसान (Living Entity) का दर्जा दिये जाने के बाद' उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को दिये एक अभूतपूर्व निर्णय में देश की दो पवित्र नदियों-गंगा और यमुना को 'जीवित मानव का दर्जा' देने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने दोनों पवित्र नदियों गंगा और यमुना के साथ एक 'जीवित मानव' की तरह व्यवहार किये जाने का आदेश देते हुए इस संबंध में न्यूज़ीलैंड की वांगनुई नदी का भी उदाहरण दिया जिसे 15 मार्च को इस तरह का दर्जा दिया गया है।

गंगा और यमुना को एक जीवित मानव की तरह कानूनी दर्जा देते हुए अदालत ने नमामि गंगे मिशन के निदेशक, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और उत्तराखंड के महाधिवक्ता को नदियों के कानूनी अभिभावक होने के निर्देश दिये और उन्हें गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों की सुरक्षा करने और उनके संरक्षण के लिये एक मानवीय चेहरे की तरह कार्य करने को कहा। ये अधिकारी गंगा और यमुना के जीवित मानव के दर्जे को बरकरार रखने तथा इन नदियों के स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ावा देने के लिये बाध्य होंगे।

हरिद्वार निवासी मोहम्मद सलीम द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में कहा गया था कि इन पवित्र नदियों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी सहायक नदियों की संपत्ति का प्रभावी वितरण नहीं हो पाया है।

गंगोत्री-यमुनोत्री ग्लेशियरों को भी जीवित इंसान का दर्जा: इसके बाद न्यायालय ने 31 मार्च को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिये गंगोत्री-यमुनोत्री ग्लेशियरों को भी ऐसा ही दर्जा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने हवा, पानी नदियों, धाराओं, जलस्रोतों और जंगलों को भी जीवित इंसान के बराबर दर्जा और मौलिक अधिकार देते हुए नमामि गंगे परियोजना से जुड़े सभी विभागों को इनका ध्यान रखने का भी निर्देश दिया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को आधार बनाया जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि सामाजिक विकास के लिये न्यायिक या कानूनी व्यक्ति (Juristic or Legal Person) अथवा जीवित इकाई का दर्जा किसी संस्था या उपयोगी इकाई को दिया जा सकता है। कोई भी कानूनी इकाई जिसे यह दर्जा मिला होता है, वह सामान्य व्यक्ति की तरह सभी प्रकार के नियम-कानूनों से संचालित होती है।

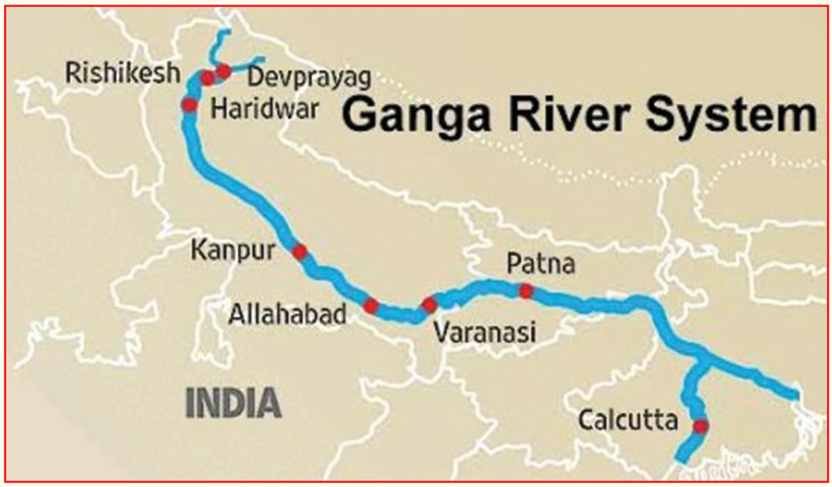

सर्वोच्च न्यायालय ने 1969 में योगेन्द्र नाथ बनाम आयकर कमिश्नर मामले में दिये गए अपने फैसले में व्यवस्था दी थी कि हिंदू प्रतिमा न्यायिक इकाई है और इसीलिये वह अपने पास संपत्ति रखने में सक्षम है। इस संपत्ति का रखरखाव जो भी करेगा उसके माध्यम से उसे सभी देयताओं का निर्वहन करना होगा।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने राम जानकी जी भगवान् और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा था कि देवता और प्रतिमा न्यायिक व्यक्ति हो सकता है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से व्याख्या की थी कि प्रतिमा किस प्रकार की हो सकती हैं? न्यायालय ने कहा था कि ये किसी भी आकार-प्रकार की हो सकती हैं और इन्हें न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है।

प्रिवी काउंसिल ने देश में सर्वप्रथम हिंदू देवताओं को जीवित इकाई घोषित किया था और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी। ऐसा होने पर इकाई के समस्त उत्तरदायित्व, अधिकार और कर्त्तव्य तय हो जाता है। मंदिर या मूर्ति के मामले में उनके सेवक या पुजारी मामला (वाद) दायर कर सकते हैं।

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

2.1 सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्जा तय करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

27 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से राज्य में मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपसी बातचीत के बाद फैसला लेने का निर्देश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र और राज्य दोनों से यह तय करने को कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक कौन हैं? क्या राज्य के 68 प्रतिशत मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर उन्हें इस वर्ग की सुविधाएँ देनी चाहियें। शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में कहा गया है कि इस सीमावर्ती राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक, इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक वर्गों के लिये जारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जबकि हिंदुओं को यह सुविधाएँ मिलनी चाहिये। इस याचिका में भाषायी और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान किये जाने की मांग की गई है। साथ ही, एक अल्पसंख्यक आयोग बनाने की भी मांग की गई है।

अंकुर शर्मा नाम के व्यक्ति ने पिछले साल दायर याचिका में राज्य में अल्पसंख्यकों का सही निर्धारण नहीं किये जाने की शिकायत की थी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय तय करने के लिये कोई कानून नहीं बनाया है। इस वजह से अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजनाओं का फायदा मुस्लिम उठा रहे हैं जबकि उनकी आबादी 68 फीसदी है। याचिका में मांग की गई है कि ये लाभ हिन्दू, सिख और बौद्ध समुदाय को मिलना चाहिये। कानूनन हर राज्य को आबादी और दूसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों का निर्धारण करना चाहिये। लेकिन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वजह से केंद्रीय कानून लागू नहीं है।

कल्याणकारी योजनाओं के लिये अनिवार्य नहीं 'आधार'

27 मार्च को एक बेहद महत्त्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, जबकि आयकर या अन्य प्रकार की गैर-लाभकारी योजनाओं तथा गतिविधियों के लिये सरकार आधार कार्ड अनिवार्य कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि आयकर से जुड़े मामले गैर-कल्याणकारी श्रेणी में आते हैं और इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने से सरकार को नहीं रोका जा सकता।

विदित हो कि आधार कार्ड के संबंध में संविधान पीठ पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि यदि समाज के लिये किसी कल्याणकारी योजना का मामला है, तो आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यानी, सरकार पेंशन या अन्य किसी तरह के लाभ देने के मामले यह नहीं कह सकती है कि किसी व्यक्ति को ये लाभ इसलिये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में सरकार आधार कार्ड मांग सकती है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में केन्द्र सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थियों के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। इसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को दिया जाने वाले मिड-डे मील भी शामिल है, हालाँकि बाद में मिड-डे मील के मामले में कुछ समय के लिये छूट दे दी गई। इसके अलावा सरकार पिछड़े वर्ग और विकलागों को स्कॉलरशिप देने, एलपीजी और खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने, उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने जैसी योजनाओं के लिये भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है।

सरकार की ओर से लगातार लाभकारी योजनाओं के लिये आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने के चलते ही इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और यह स्वैच्छिक है, लेकिन अब केंद्र सरकार आयकर से जुड़ी योजनाओं में आधार कार्ड मांग रही है, जो न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है, इसलिये इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। इस पर आधार कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई नहीं की जाएगी, और सामान्य तरीके से समय आने पर ही सुनवाई होगी। पीठ ने इस मामले के लिये 7 न्यायाधीशों की पीठ बनाने से भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि फिलहाल ऐसा करना संभव नहीं है।

पर्यावरण संवेदनशील योजनाओं को पूर्व मंज़ूरी नहीं

25 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने पर्यावरण संवेदनशील परियोजनाओं को पूर्व मंज़ूरी के विचार को खारिज कर दिया। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुझाव दिया था कि ऐसी परियोजनाओं को शुरू में ही मंज़ूरी देने के लिये सरकार, न्यायपालिका और अन्य संबंधित पक्षों को एक तंत्र विकसित करना चाहिये। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 1991 में बने तटीय नियमन क्षेत्र से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। वर्तमान कानूनों में समुद्र किनारे पर 500 मीटर की दूरी तक निर्माण की इज़ाजत नहीं है, जबकि मालदीव जैसे देशों में समुद्र तटों पर होटलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा निर्माण के दौरान या पूरा होने पर परियोजनाएँ दशकों तक लटकी रहती हैं।

इस पर मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि सरकार द्वारा जब कोई परियोजना बनाई जाती है, तब पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में सोचना प्रशासन का दायित्व होता है। न्यायालय इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक मौजूदा पर्यावरण में परिवर्तन न हो। भारत के पर्यटन स्थलों की अन्य देशों के स्थलों के साथ तुलना से लगता है कि हम प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं, जबकि पर्यावरण

रिपोर्ट के अनुसार, सुशासन का अभाव, अकुशल वित्तीय प्रबंधन, निकायों में राजनीतिक हस्तक्षेप और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में संशोधन न होने से शहरों की सूरत बिगड़ रही है। जुगाड़ प्रबंधन से शहरी जीवन के और खराब होने का अंदेशा है। सक्षम योजना का अभाव और धन संग्रह के स्रोत न होने से ज़्यादातर शहरों की हालत पंगु है।

एशिया-प्रशांत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2016

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिकार समूह 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है, जहाँ दो-तिहाई भारतीयों को सार्वजनिक सेवाएँ लेने के लिये किसी-न-किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में 69 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, जबकि वियतनाम में ऐसा कहने वालों की संख्या 65 प्रतिशत, पाकिस्तान में 40 प्रतिशत और चीन में 26 प्रतिशत थी।
- सर्वे के अनुसार, रिश्वत देने की दर जापान में सबसे कम 0.2 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया में केवल तीन प्रतिशत पाई गई।
- चीन में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है क्योंकि सर्वे में 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके देश में रिश्वत का चलन बढ़ा है।
- सर्वे के मुताबिक, एशिया-प्रशांत के देशों में भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर के मामले में चीन इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के बाद भारत का सातवाँ स्थान रहा।
- इस सर्वे में एशिया-प्रशांत के 16 देशों के 20 हज़ार से अधिक लोगों ने कहा कि उन्हें पिछले एक साल में कम-से-कम एक बार तो रिश्वत देनी ही पड़ी।
- सर्वेक्षण में केवल 14 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि कोई भी धार्मिक नेता भ्रष्ट नहीं है, जबकि 15 प्रतिशत उनके भ्रष्ट तरीकों से वाकिफ नहीं थे।
- जिन लोगों को सर्वे के दायरे में लिया गया उनमें से निर्धनतम 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी। लोगों से पूछा गया था

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक घूसखोरी भारत में

भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन और पारदर्शिता के भले ही कड़े कदम उठाए गए हो, लेकिन रिश्वतखोरी कम नहीं हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 7 मार्च को जारी 'ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर' रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में दो–तिहाई से ज़्यादा भारतीयों को सरकारी सेवाओं के बदले किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ी है।

एशिया प्रशांत की स्थिति

एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वेक्षण में शामिल हर चौथे व्यक्ति ने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिये रिश्वत दी।

भ्रष्टाचार कम हुआ **22%**	भ्रष्टाचार बढ़ा **40%**
कोई बदलाव नहीं **33%**	कह नहीं सकते **5%**

क्या भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है

चीन **73%**	द. कोरिया **50%**
इंडोनेशिया **65%**	हांगकांग **46%**
मलेशिया **59%**	भारत **41%**
वियतनाम **56%**	पाक **35%**

युवा सबसे ज़्यादा शिकार हुए

34% : 35 साल से कम उम्र के
29% : 35–54 आयु वर्ग
19% : 55 वर्ष से ज़्यादा उम्र के

जापान में सबसे कम रिश्वतखोरी

रिश्वत देने की दर जापान में सबसे कम 0.2 फीसदी और दक्षिण कोरिया में केवल तीन फीसदी पाई गई।

चीन में बढ़ा रिश्वत का चलन

चीन में 73 फीसदी लोगों ने कहा कि तीन वर्षों में उनके देश में रिश्वत का चलन बढ़ा है।

सबसे ज़्यादा भ्रष्ट
पुलिस– **39%**
विधायिका– **37%**
सरकारी कर्मी– **35%**

एशिया प्रशांत के 16 देशों में रिश्वतखोरी की दर

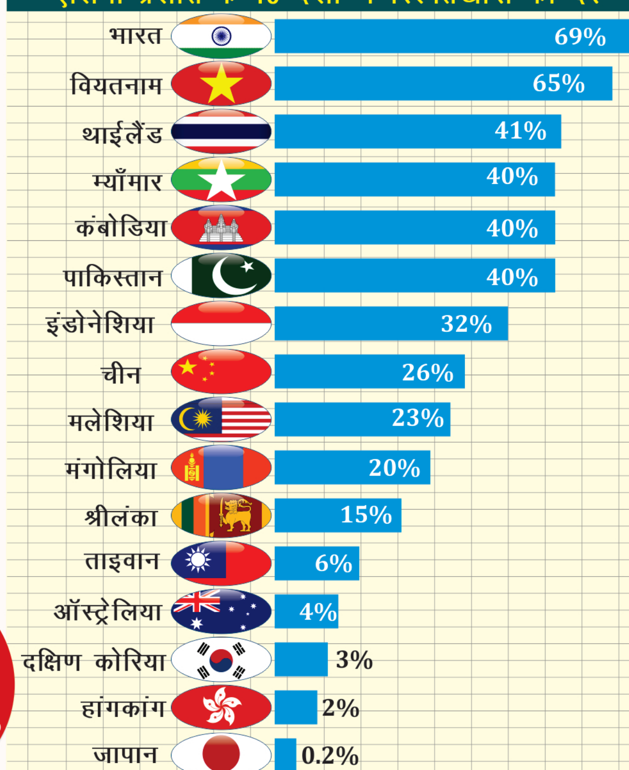

कि उन्होंने कितनी बार रिश्वत दी, किस रूप में रिश्वत दी, किसे रिश्वत दी और क्यों रिश्वत दी?

यह सूचकांक विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक से लिये गए आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। किसी देश या क्षेत्र का स्कोर यह संकेत देता है कि शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ-सुथरा) के स्केल पर सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का क्या स्तर है।

3 भारत-विश्व संबंध

3.1 भारत व आस-पड़ोस

बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव; भारत को आपत्ति

रणनीतिक तौर पर महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले विवादित क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना पाँचवां प्रांत घोषित करने की योजना बना रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर से सटा यह इलाका वृहद् विवादित क्षेत्र का हिस्सा है।

पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अज़ीज़ की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान को पाँचवें प्रांत का दर्जा देने की सिफारिश किये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) से सटे गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पड़ोसी देश द्वारा अपना पाँचवां प्रांत घोषित करने का कोई भी प्रस्ताव उसे पूर्णतया अस्वीकार्य है। ऐसा कोई भी कदम जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकेगा, जिसे अब खत्म किया जाना चाहिये।

यह रेखांकित करते हुए कि यह मामला भारत की सम्प्रभुता से जुड़ा है, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में सरकार का रुख सभी जानते हैं। पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है, रहा है और हमेशा रहेगा। इसे बदलने का कोई एकतरफा प्रयास या कोशिश, जिसका आधार अवैध है, या जो भी हो, पूर्णतया अस्वीकार्य है। यह पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित हिस्से में पिछले 70 साल से चल रहे व्यापक और चिंताजनक मानवाधिकार उल्लंघनों तथा स्वतंत्रता नहीं देने को छुपा नहीं सकेगा।

वर्तमान में पाकिस्तान में चार प्रांत हैं—पंजाब, सिंध, खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ऐसा माना जा रहा है कि गिलगित-बाल्टिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चीन की चिंताओं के कारण पाकिस्तान उसे प्रांत का दर्जा देने का प्रयास कर रहा है।

गिलगित-बाल्टिस्तान

पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति में गिलगित-बाल्टिस्तान एक अलग भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल यह एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है और इसकी एक क्षेत्रीय विधानसभा और निर्वाचित मुख्यमंत्री है। 72,971 वर्ग किमी. में फैले इस इलाके की अनुमानित जनसंख्या 18 लाख है। इसकी सीमाएँ पश्चिम में खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, उत्तर-पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से, दक्षिण में गुलाम कश्मीर और दक्षिण-पूर्व में जम्मू-कश्मीर से लगती हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर से अलग मानता है, जबकि भारत के अनुसार यह वृहद् विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। 46 अरब डॉलर की लागत से बनने वाला चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) इस इलाके से होकर गुज़रेगा। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर चीन और पाक इस परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि गिलगित-बाल्टिस्तान के अनिश्चित दर्जे को लेकर चीन की चिंता को देखते हुए ही पाकिस्तान ने उसका दर्जा बदलने का फैसला किया है।

तापी पाइपलाइन पर पाकिस्तान में काम शुरू

बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान में हाल ही में काम शुरू हो गया। इस अवसर पर तुर्कमेनिस्तान के अधिकारी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान में पाइपलाइन के मार्ग और इंजीनियरिंग के विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुँचे। गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करने से पहले पाइपलाइन के मार्ग और विस्तृत इंजीनियरिंग का काम एक सलाहकार कंपनी द्वारा किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन सलाहकार सबसे पहले सर्वेक्षण और अध्ययन का काम पाकिस्तान में करेगा और उसके बाद अफगानिस्तान में किया जाएगा। तापी कंपनी को इस बहुराष्ट्रीय गैस पाइपलाइन के संचालन का काम दिया गया है। इसने जर्मनी की कंपनी आईएलएफ को परियोजना प्रबंधन का ठेका दिया है।

विदित हो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने दिसंबर 2015 में परियोजना के लिये काम शुरू करने पर सहमति दी थी।

तुर्कमेनिस्तान में काम पूरा: तुर्कमेनिस्तान में पाइपलाइन निर्माण और गैस क्षेत्र के विकास का काम शुरू हो चुका है। यह गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गलकीनाइश क्षेत्र से कंधार (अफगानिस्तान) मुल्तान (पाकिस्तान) होते हुए फाजिल्का (भारत) पहुँचेगी। भारत में इस गैस की आपूर्ति बिजली संयंत्रों को की जाएगी।

तुर्कमेनिस्तान को इस परियोजना पर होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा अदा करना है। तुर्कमेनिस्तान अब तक चीन को ही विभिन्न स्रोतों से ज़्यादातर गैस सप्लाई करता रहा है। इस परियोजना पर होने वाले खर्च में से पाँच-पाँच प्रतिशत अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत को खर्च करना है, जबकि शेष खर्च तुर्कमेनिस्तान को करना है। 1,680 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से 33 अरब घन मीटर गैस ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

पृष्ठभूमि

भारत ने तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर आने वाली गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के शुरुआती समझौते पर 2010 में हस्ताक्षर किये थे। भारत 2008 में तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। एशियाई विकास बैंक ने 1,680 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का समर्थन किया है जो भारत को हर दिन 3.8 करोड़ मानक घन मीटर गैस मुहैया कराएगी। इस पाइपलाइन को 735 किलोमीटर लंबा रास्ता अफगानिस्तान में और 800 किलोमीटर लंबा रास्ता पाकिस्तान में तय करना होगा। भारत सरकार की चिंता यह है कि दोनों ही जगह भारत विरोधी तत्त्व पाइपलाइन को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

4 वैश्विक घटनाक्रम

4.1 एशिया

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति बर्खास्त

दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मति से लिये गए निर्णय के तहत राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। आठ सदस्यीय पैनल के आदेश के बाद पार्क के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अभियोजकों ने पहले ही उन्हें संदिग्ध अपराधी बताया है। इसके साथ ही पार्क लोकतंत्र बहाल होने और लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बाद हटाई गई दक्षिण कोरिया की पहली नेता बन गई हैं।

संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश ली जुंग मी ने कहा कि पार्क के कृत्य ने लोकतंत्र और कानून की भावना को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है, इसलिये उन्हें बर्खास्त किया जाता है। विदित हो कि दिसंबर में कोरियाई संसद ने रिश्वत और शक्ति के दुरुपयोग सहित कई आरोपों में पार्क पर महाभियोग चलाने को मंज़ूरी दी थी और दक्षिण कोरिया के कानून के अधीन आने वाली संवैधानिक अदालत ने उसे अपने इस फैसले में बरकरार रखा।

देश की पहली महिला राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को अब ब्लू हाउस छोड़ना होगा तथा मुकदमे से मिलने वाली कार्यकारी छूट भी उन्होंने खो दी है। उल्लेखनीय है कि पार्क को अपने मित्र चोइ सून-सिल को विदेश मंत्रालय में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने और सार्वजनिक कर्मी के तौर पर कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था।

उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण; दक्षिण कोरिया-अमेरिका वार्षिक युद्धाभ्यास

उत्तर कोरिया के विरोध के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने हाल ही में अपना संयुक्त वार्षिक सैन्य-अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त वार्षिक सैन्य-अभ्यास पर उत्तर कोरिया हमेशा से विरोध जताता रहा है और वह इस रक्षात्मक अभ्यास को हमले का अभ्यास कहता है।

विदित हो कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से तीन मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाकर गिरीं। इन मिसाइलों ने करीब हज़ार किलोमीटर की दूरी तय की।

दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा कि इस अज्ञात मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया की चीन की सीमा से लगते टॉन्गचेंग-री इलाके के पास से किया गया। टॉन्गचेंग-री में सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने फरवरी 2017 में एक नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उसका कहना था कि यह परीक्षण देश के नेता किम जोंग उन की मौजूदगी में किया गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मिसाइल या परमाणु परीक्षण करने पर पाबंदी लगा रखी है। उत्तर कोरिया लगातार यह कहता रहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम शांति के लिये है।

दक्षिण कोरिया में अमेरिकी मिसाइल-रोधी प्रणाली तैनात: अमेरिकी सेना की प्रशांत कमान ने उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल परीक्षण किये जाने के बाद दक्षिण कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल-रोधी रक्षा प्रणाली तैनात करनी आरंभ कर दी है। अमेरिकी प्रशांत कमान की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (थाड) प्रणाली की तैनाती कई परतों वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली में योगदान देगी और इससे उत्तर कोरियाई मिसाइल खतरों से अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन की रक्षा व्यवस्था मज़बूत होगी।

एशिया में पहला एयरबस प्रशिक्षण केंद्र भारत में

फ्राँसीसी विमान निर्माता कंपनी एयरबस पायलटों तथा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों के लिये एशिया का अपना पहला प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली हवाई अड्डे के पास एयरोसिटी में खोलेगी, ताकि एयरबस पॉयलटों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा सके। भारत में यात्री विमानों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है जिसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि कुशल पायलटों और इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिये एक प्रशिक्षण केंद्र की भी आवश्यकता है ताकि कुशल श्रम शक्ति का विकास हो।

- एयरबस का यह प्रशिक्षण केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।
- केंद्र का निर्माणकार्य अगले साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
- यहाँ शुरुआत में दो फुल फ्लाइट सिम्युलेटर लगाए जाएंगे, जिन पर हर साल 800 पायलटों तथा 200 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों को विमान विशेष का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- एयरबस ने इसके लिये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड से 31 मार्च, 2036 तक ज़मीन लीज़ पर लेने के लिये एक समझौता किया है।
- भारत में एयरबस के 250 से अधिक विमान संचालन में हैं और इंडियन एयरलाइन्स ने 570 से अधिक विमानों का आर्डर दिया है।

इस मौके पर नवोदित विमान सेवा कंपनी 'विस्तारा' ने एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में पायलटों के प्रशिक्षण के लिये पाँच साल का समझौता

5 आर्थिक घटनाक्रम

5.1 भारतीय अर्थव्यवस्था

जीएसटी का राज्यों के बजट पर प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने की संभावना को देखते हुए राज्यों ने अपने 2017-18 के बजट में अप्रत्यक्ष कर ढाँचे में बहुत बदलाव नहीं किया है। केयर रेटिंग की ओर से 15 राज्यों के बजट के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्यों का मानना है कि यदि राजस्व प्राप्तियाँ कम रहती हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त मुआवजा देगी।

केयर के अनुसार, राज्य सरकारों ने भी योजनागत और गैर योजनागत व्यय की अवधारणा को खत्म किये जाने के केंद्र सरकार के बजट की तर्ज पर अलग तरीके से बजट पेश किये हैं। अध्ययन में उन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, जहाँ हाल में चुनाव हुए हैं। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली को भी शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यय को लेकर राज्यों की अपनी प्राथमिकता तय होती है, वहीं ब्याज पर आने वाला खर्च व पेंशन आदि पर होने वाले व्यय का दबाव राज्यों के वित्त पर बढ़ा है। इसकी वजह से राज्य अतिरिक्त राजस्व सृजन पर ज़्यादा ध्यान देने को बाध्य हुए हैं। साथ ही उन्हें राजकोषीय लक्ष्यों का भी पालन करना होता है।

प्रमुख निष्कर्ष

- जिन 15 राज्यों के बजट का अध्ययन किया गया है, उनमें ₹1.86 लाख करोड़ बजट वाला कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है।
- उसके बाद पश्चिम बंगाल व राजस्थान का स्थान है, जिनका बजट भी ₹1.8 लाख करोड़ से अधिक है। मध्य प्रदेश व गुजरात बड़े आवंटन वाले अन्य राज्य हैं। इन सभी राज्यों ने कुल मिलाकर वित्त वर्ष 18 के लिये ₹19.65 लाख करोड़ के बजट पेश किये हैं।
- छोटे बजट वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं।
- राजस्व प्राप्तियों पर ज़्यादा निर्भर 5 प्रमुख राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
- कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का ज़्यादा हिस्सा वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा और केरल शामिल है।
- इन राज्यों का राजकोषीय घाटा ₹2.95 लाख करोड़ है।
- मूल्य के आधार पर सबसे ज़्यादा राजस्व घाटा वाले राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं।
- सबसे कम राजकोषीय घाटा वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और ओडिशा हैं।
- इन 15 राज्यों में से 9 राज्यों ने इस साल राजस्व अधिशेष दर्ज किया है और पश्चिम बंगाल शून्य राजस्व संतुलन पर काम कर रहा है।
- ज़्यादा राजस्व घाटे पर काम कर रहे 5 राज्यों में केरल, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

कुल राजस्व में अपनी आमदनी की हिस्सेदारी ज़्यादा रखने वाले और केंद्र के आवंटन पर कम निर्भर राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात,, केरल और तेलंगाना प्रमुख हैं।

- हरियाणा की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है, जबकि माध्य मूल्य 39.1 प्रतिशत है।
- जिन राज्यों का माध्य हिस्सेदारी से कम अपना राजस्व है, उन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

लेन-देन की सीमा दो लाख तक रहेगी

लोक सभा में पारित वित्त विधेयक में सरकार ने कालेधन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए 1 अप्रैल से नकद लेन-देन की सीमा को कम कर ₹2 लाख तथा आयकर रिटर्न भरने के लिये आधार का ज़िक्र अनिवार्य करने तथा कालेधन के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए निर्वाचन ट्रस्ट में केवल चेक के जरिये ही चंदा दिये जाने की व्यवस्था की है। 1 फरवरी को पेश वित्त विधेयक 2017 को 40 संशोधनों के साथ पारित किया गया। संशोधनों से संबंधित 'आकस्मिक प्रावधानों' को धन विधेयक के रूप में वित्त विधेयक का हिस्सा माना जाता है। वित्त विधेयक में जो संशोधन किये गए हैं उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण नकद लेन-देन की सीमा ₹2 लाख करने का प्रावधान है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह सीमा 1 अप्रैल से ₹3 लाख करने का प्रस्ताव रखा था। अब इस प्रावधान का उल्लंघन होने पर इतनी ही राशि का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना उस व्यक्ति या इकाई से वसूला जाएगा जो नकद प्राप्त करेंगे।

रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार संख्या अनिवार्य: वित्त विधेयक में पैन के लिये आवेदन तथा आयकर रिटर्न भरते समय 1 जुलाई से आधार संख्या के उल्लेख को अनिवार्य किया गया है।

राजनीतिक दलों को चंदा केवल चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से: इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 में भी संशोधन किया गया। इसके तहत कंपनियों द्वारा निर्वाचन ट्रस्ट को चंदा केवल खातों में चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिये ही किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें निर्वाचन बॉण्ड की बात कही गई है। इसे चंदा देने वाले चेक देकर अनुसूचित बैंक से खरीद सकते हैं और इसे केवल अधिसूचित बैंक में राजनीतिक दल के खाते में ही भुनाया जा सकता है।

वोडाफोन-आइडिया का विलय

आइडिया सेल्युलर के बोर्ड ने वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज़ के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंज़ूरी दे दी। इसके तहत वोडाफोन इंडिया और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड और आदित्य बिड़ला ग्रुप के आइडिया सेल्युलर का

6 विज्ञान और तकनीक

6.1 अंतरिक्ष

प्लूटो को फिर से मिलेगा ग्रह का दर्जा?

लगभग 10 वर्ष पूर्व ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिये गए खगोलीय पिंड प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा मिलने की संभावना बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के एक समूह का मानना है कि प्लूटो को सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में पुन: परिभाषित किया जाना चाहिये। उसे पृथ्वी और बृहस्पति के उपग्रहों सहित सौरमंडल के 100 से अधिक खगोलीय पिंडों के साथ ग्रह के रूप में रखा जाना चाहिये। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो को गलत तरीके से सौरमंडल की ग्रह-सूची से निकाला गया है।

विदित हो कि प्लूटो को लंबे समय तक ग्रह माना गया, लेकिन 2006 में उसको ग्रहों की सूची से हटाकर 'गैर-ग्रहीय' पिंड का दर्जा दे दिया गया। इससे सौरमंडल के कुल ग्रहों की संख्या नौ से घटकर आठ रह गई। प्लूटो को गैर-ग्रह बताने वाली परिभाषा को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से स्वीकृति मिली थी।

अब अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि, प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लेने का कोई अर्थ नहीं है। प्लूटो की सतह पर वे सारी घटनाएँ हो रही हैं जो किसी ग्रह पर होती हैं, उसके बारे में गैर-ग्रहीय कुछ नहीं है। शोधकर्त्ताओं ने प्लूटो को ग्रह के रूप में इस तरह परिभाषित करने पर ज़ोर दिया है, जिसमें उसकी खुद की आंतरिक विशेषताओं की भूमिका हो। अभी तक उसको परिभाषित करने में उसकी कक्षा और उसके इर्दगिर्द की अन्य वस्तुओं पर ही ध्यान दिया गया है।

ग्रह कहलाने की ज़रूरी शर्तें: वैज्ञानिक उस उप-तारकीय द्रव्यमान वाले पिंड को ग्रह मानते हैं जिसमें कभी परमाणु संलयन नहीं हुआ हो। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण भी होना चाहिये जिससे उसका आकार मोटे तौर पर गोल बना रहे। हालाँकि उसका भूमध्य क्षेत्र, तीन-तरफा बलों के दबाव के कारण उभरा हुआ हो सकता है। इस तीन-तरफा बल में से एक तो खुद उसके गुरुत्वाकर्षण से बनता है, जबकि दूसरा उस तारे से, जिसका वह चक्कर लगाता है और तीसरा बल उसके करीबी किसी ग्रह का होता है।

> जब 1930 में प्लूटो के खोज के बाद इसे ग्रह का दर्जा दे दिया गया था और 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसके लिये चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में लगभग ढाई हज़ार खगोलविद् इकट्ठा हुए थे और इस विषय पर मतदान भी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की इस मीटिंग में सभी के बहुमत से इस पर सहमति बनी और सौरमंडल के ग्रहों में शामिल होने के लिये तीन मानक तय किये गए:
>
> 1. यह सूर्य की परिक्रमा करता हो।
> 2. यह इतना बड़ा ज़रूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए।
> 3. इसमें इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके।
>
> 2370 किमी. व्यास वाले प्लूटो के पाँच उपग्रह हैं, इसका सबसे बड़ा उपग्रह 'शेरन' है जो 1978 में खोजा गया था इसके बाद 'हायडरा' और 'निक्स' 2005 में खोजे गए। 'कर्बेरास' 2011 में खोजा गया और 'सीटक्स' की खोज 2012 में हुई।

नासा ने जब मिशन 'न्यू होराइजन्स' रवाना किया था, उस समय प्लूटो को सौरमंडल के नौंवे ग्रह का दर्जा हासिल था। इस मिशन के लिये अंतरिक्ष यान के रवाना होने के कुछ महीने बाद ही नए पिंडों की खोज को मान्यता देने और उन्हें नाम देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पहली बार ग्रहों की परिभाषा तय करने पर बहस छेड़ दी। इसके बाद प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन गया और इसकी पहचान क्वीपर बेल्ट के मलबे के ढेर में मौजूद एक बौने ग्रह की रह गई। अब इसे आधिकारिक तौर पर बौने ग्रह 134340 Pluto के नाम से जाना जाता है।

नासा ने खोजा भारत का चंद्रयान-1

भारत की ओर से चंद्र मिशन पर भेजे गए अंतरिक्ष यान (चंद्रयान-1) को नासा ने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए खोज लिया है, इसे पहले लापता मान लिया गया था। नासा ने भूमि आधारित राडार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस अंतरिक्ष यान का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का चंद्रयान-1 के साथ 29 अगस्त, 2009 को संपर्क खत्म हो गया था। इसे 22 अक्तूबर, 2008 को प्रक्षेपित किया गया था।

कैलिफॉर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी (Jet Propulsion Laboratory–JPL) के वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान का पता लगाया है। यह अंतरिक्ष यान अब भी चंद्रमा की सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है।

चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान की लंबाई 1.5 मीटर है और यह क्यूब के आकार जैसा है। इसे एक स्मार्ट कार के आकार के लगभग आधे के बराबर माना जा सकता है। इस चंद्रयान का पता लगाने के लिये अंतर-ग्रहीय राडारों का इस्तेमाल किया गया था, इसके बाद भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर स्थित इस अंतरिक्ष यान का पता लगाने के लिये जेपीएल की टीम ने नासा के 70 मीटर लंबे एंटीना का इस्तेमाल किया था। कैलिफॉर्निया स्थित नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन्स कॉम्पलेक्स से माइक्रोवेव्स की शक्तिशाली बीम्स भेजकर टीम ने चंद्रयान-1 की लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की।

7 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अंटार्कटिका में भारत का 36वाँ अभियान

केंद्र के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र प्रतिवर्ष अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक मिशन का आयोजन करता है और इसरो लंबे समय से इसमें भाग लेता रहा है। इस साल, इस 36वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान में, इसरो से दो टीमें (अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद से दो सदस्य और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से चार शोधकर्त्ता) भाग ले रहे हैं।

अंटार्कटिक में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन 36वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान (36-आईएसईए) का मुख्य क्षेत्र है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 'भारती' और 'मैत्री' स्टेशनों के चारों ओर विभेदक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) माप के लिये बर्फ पर स्टेक्स स्थापित करना है जो ग्लेशियर सतह वेग को उपग्रह डेटा से प्राप्त भूमि और समुद्री बर्फ पर बर्फ की मोटाई का अनुमान लगाने के लिये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और समुद्र और भूमि बर्फ पर बर्फ की स्थितियों को भी सत्यापित करना है।

एनआरएससी के चार शोधकर्त्ता भी 36-आईसीईए में भाग ले रहे हैं। उनमें से तीन ने यात्रा में भाग लिया है, ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल पर अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले ऑनबोर्ड वैज्ञानिक अवलोकनों में भाग लिया। टीम ने भारती और मैत्री स्टेशनों पर माप किया और लगभग 3000 किलोमीटर के बीच कार्रवाई को भी शामिल किया।

कान्हा टाइगर रिज़र्व में पक्षियों का सर्वे

17 से 20 मार्च तक मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन ने 'बर्ड काउंट इंडिया' के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया। इसके लिये 11 राज्यों के पक्षी विशेषज्ञ टाइगर रिज़र्व में आए और कान्हा में रजिस्टर्ड 325 प्रजातियों से इतर दुर्लभ और बाहरी प्रजाति के पक्षियों का पता लगाया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले देश में केरल और कर्नाटक में इस प्रकार के सर्वे हो चुके हैं।

मोसेक: अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक प्रवाह अभियान

अभियान के विषय में

'मोसेक' आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिये बहुविषयक प्रवाह अभियान (Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) का संक्षिप्त रूप है। वर्ष 2019 में शुरू होने वाले इस अभियान के तहत मध्य आर्कटिक क्षेत्र में 'आर्कटिक जलवायु प्रणाली' का अध्ययन किया जाएगा। इस अभियान को 'अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक साइंस कमेटी', 'अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट', 'आर्कटिक एंड अंटार्कटिका इंस्टीट्यूट' मिलकर संचालित करेंगे।

आइस ब्रेकर जलयान 'पोलरस्टर्न'

अभियान के केन्द्र में अल्फ्रेड वेगनर संस्थान, जर्मनी का 'पोलरस्टर्न' नामक ' आइस ब्रेकर' शोध जलयान है। यह जलयान बर्फ से ढकी हुई अवस्था में' आर्कटिक प्रवाह (Arctic Drift) की सहायता से अपनी यात्रा पूरी करेगा। इस दौरान जलयान के 50 किलोमीटर के दायरे में वैज्ञानिक छोटी–छोटी टुकड़ियों में मौसम व आर्कटिक जलवायु प्रणाली संबंधी विभिन्न प्रयोगों को अंजाम देंगे। इस अभियान की अनोखी बात यह है कि जलयान और उसके 50 किलोमीटर की परिधि में स्थित क्षेत्रीय शोध अवलोकन केन्द्र आर्कटिक प्रवाह की सहायता से ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे।

उद्देश्य

- आर्कटिक जलवायु प्रणाली में परिवर्तन और समुद्री बर्फ के नुकसान के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों को समझा जा सकेगा।
- अभियान से मिले आकड़ों की सहायता से मौसम व जलवायु संबंधी पूर्वानुमान अधिक सटीकता के साथ व्यक्त किये जा सकेंगे।
- इस क्षेत्र में समुद्री यातायात और मत्स्यन उद्योग के लिये वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होगें।
- अभियान से मिले आँकड़े इस क्षेत्र में रहने वाले तटीय समुदायों का जलवायु परिवर्तनों के प्रति लचीलापन बढ़ाने में सहयोग करेंगें।
- सबसे बढ़कर अभियान से प्राप्त आँकड़े वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न हित धारकों को नीतिगत निर्णय लेने और इस संदर्भ में नीतियाँ बनाने में सक्षम बनाएंगे।

अध्ययन महत्त्वपूर्ण क्यों?

आर्कटिक जलवायु प्रणाली में नाटकीय परिवर्तन और आर्कटिक समुद्री बर्फ के तेज़ी से पीछे हटने से वैश्विक जलवायु प्रभावित होती है। आर्कटिक जलवायु में हो रहे परिवर्तनों की पुन: रचना करने में आधुनिक जलवायु माडलों की अक्षमता वैश्विक जलवायु परिवर्तनों को समझने और उनका अनुमान लगाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। नतीजतन, मध्य आर्कटिक में प्रमुख जलवायु प्रक्रियाओं के वार्षिक अवलोकन की तत्काल आवश्यकता को आईपीसीसी सहित सभी प्रमुख अनुसंधान पहलों द्वारा प्रमुखता से उठाया गया है।

8 अन्य राष्ट्रीय घटनाक्रम

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के महत्त्वपूर्ण सुझाव

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में पाँच गुना बढ़ोतरी करने तथा व्यावसायिक वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत ड्राइवरों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने का सरकार को सुझाव दिया है। फेडरेशन ने भारत में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मोटर वाहन संशोधन विधेयक को पारित कराने की आवश्यकता जताई है। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन ने केंद्रीय वाहन नियमावली में संशोधन के संसदीय समिति के सुझावों को महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विश्व में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। अतएव नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अधिक जुर्माना लगाए जाने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

> विदित हो कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 2020 तक आधा करने की संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ सड़क सुरक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है। वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,46,000 लोगों की मौत हुई।

नया कानून लागू होने से ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने, रेड लाइट जंप करने जैसे अपराधों पर 10 गुना तक जुर्माना लगेगा, जबकि कम आयु में वाहन चलाने पर जेल की सजा होगी। इससे लोग नियमों का उल्लंघन करने से डरेंगे।

सड़क सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का भी सड़क सुरक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जैसे कि अब प्लानिंग, डिज़ाइन से लेकर सड़क निर्माण के प्रत्येक चरण का रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य हो गया है। इसी तरह पहले से बनी सड़कों पर दुर्घटना बहुल स्थानों की पहचान कर वहाँ डिज़ाइन संबंधी खामियों को ठीक किया जा रहा है।

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संसदीय समिति को कई सुझाव दिये थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को 'सारथी' और वाहन पंजीकरण सिस्टम को वाहन के साथ एकीकृत करने, ड्राइवरों के लिये अनिवार्य प्रशिक्षण तथा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि के नवीकरण की प्रक्रिया के आटोमेशन के सुझाव भी फेडरेशन ने दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की रकम को अधिकतम 10 लाख पर सीमित करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार करते हुए रकम का फैसला मोटर ट्रिब्यूनल पर ही छोड़ने का सुझाव दिया है।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ– 2015' के अनुसार, 2015 में देश में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें 1,46,133 लोगों की जान गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 1374 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें 400 लोग मारे जाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- इनमें से सबसे ज़्यादा 87,819 सड़क दुर्घटनाएँ दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच हुईं जो पिछले साल की कुल सड़क दुर्घटनाओं का 17.51 प्रतिशत है। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ होने का प्रमुख कारण यह है कि समय के इस अंतराल में रास्तों पर यातायात का अपेक्षाकृत कम दबाव होने से लोग बेहद लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हैं। सड़क पर यातायात कम होने से चालक तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर या गलत तरह से ओवरटेक करने के चलते दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में यह रुझान भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों में लोग काम के बाद शाम को घर पहुँचने की ज़ल्दबाजी में तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इस कारण भी शाम 5 से 6 बजे के बीच सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- रिपोर्ट के अनुसार शाम 6 से रात 9 बजे के बीच भी बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। 2015 में इस समय अंतराल में 86,836 सड़क हादसे हुए जो पिछले साल की कुल सड़क दुर्घटनाओं का 17.32 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2015 में रात 9 से 12 बजे के बीच हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 51,425 है, जबकि रात 12 से 3 बजे के बीच 27,954 सड़क हादसे हुए।
- 2015 में रात 3 से सुबह 6 बजे तक 30,291 सड़क दुर्घटनाएँ सामने आईं।
- सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 55,518 सड़क हादसे हुए।
- सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 81,964 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं।
- दोपहर 12 से 3 बजे के बीच 79,616 सड़क हादसे सामने आए।
- दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। 2015 में जहाँ भारत में पाँच लाख से ज़्यादा सड़क हादसे हुए, वहीं इस अवधि में स्वीडन में केवल 1 सड़क हादसा हुआ।
- 2014 के बजाय 2015 में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गाड़ी चालक ज़िम्मेदार: रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 77 सड़क दुर्घटनाओं में गाड़ी चलाने वाले की ही गलती होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा हादसे ओवरस्पीडिंग से हुए। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं और सड़क की डिज़ाइन में खामी इसकी बड़ी वज़ह है।

मुंबई में सबसे अधिक हादसे: 2015 में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे तो मुंबई में हुए लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर जान गवाईं। दिल्ली की चौड़ी, चमकदार दिखने वाली

9 राज्य घटनाक्रम

पाँच राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति

हाल ही में पाँच राज्यों की विधानसभाओं के लिये संपन्न हुए चुनावों में 4 राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा) में भाजपा की सरकार बनी, जबकि पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई।

उत्तर प्रदेश: 19 मार्च को भाजपा के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य तथा लखनऊ के मेयर डॉ. दिनेश शर्मा को उप-मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।

योगी आदित्यनाथ 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोक सभा का चुनाव जीतकर संसद पहुँचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे, वह 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। वह 1998 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2014 में पाँचवीं बार सांसद बने।

उत्तराखंड: भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार सँभाल लिया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को मात देते हुए 70 में से 57 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी पहली सरकार वर्ष 2000 में बनाई थी, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था। नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे।

पंजाब: कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को 16 मार्च को पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शपथ ली। राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस के विधानसभा में 77 विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी 2002-2007 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

मणिपुर: सबसे बड़े दल कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने मणिपुर में सरकार बना ली। भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी तथा पत्रकार नोंगथोंगबम बीरेन सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उनके साथ पूर्व डीजीपी तथा एनपीपी के यूमनाम जयकुमार ने उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

गोवा: 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 16 मार्च को बुलाए गए विशेष अधिवेशन में मनोहर पर्रिकर सरकार ने 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में 22 विधायकों के समर्थन के साथ सदन में बहुमत साबित कर दिया। 17 सदस्यों वाली विपक्षी कांग्रेस केवल 16 मत ही जुटा पाई, इस दौरान पार्टी का एक विधायक अनुपस्थित रहा। मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और 14 मार्च को उन्हें तथा अन्य नौ विधायकों को राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने शपथ ग्रहण करवाई थी। भाजपा के 12 विधायकों, गोवा फारवर्ड पार्टी के तीन विधायकों, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के तीन विधायकों, तीन निर्दलीयों के अलावा राकांपा के एक विधायक ने भी मनोहर पर्रिकर के पक्ष में मत दिया। मनोहर पर्रिकर इससे पहले भी गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और दिल्ली में शुरू होंगी 20 परियोजनाएँ

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तेज़ी लाने के लिये करीब ₹19 अरब लागत वाली परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान कर दी है। कार्यकारी समिति की हाल ही में हुई बैठक में मंज़ूर की गई 20 परियोजनाओं में से 13 उत्तराखंड से सम्बद्ध हैं जिनमें नए मल-जल उपचार संयंत्रों की स्थापना, मौजूदा सीवर उपचार संयंत्रों का उन्नयन और हरिद्वार में मल-जल नेटवर्क कायम करने जैसे कार्य शामिल हैं। इन सभी पर करीब ₹415 करोड़ की लागत आएगी।

हरिद्वार देश के सर्वाधिक पवित्र शहरों में से एक है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। अनुमोदित योजना का लक्ष्य न केवल शहर के 1.5 लाख स्थानीय निवासियों द्वारा, बल्कि विभिन्न प्रयोजनों के लिये इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वाले लोगों द्वारा उत्सर्जित मल-जल का उपचार भी करना है। इन सभी परियोजनाओं के लिये केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषण किया जाएगा। यहाँ तक कि इन परियोजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव का खर्च भी केंद्र सरकार वहन करेगी।

उत्तराखंड में अनुमोदित अन्य परियोजनाओं में से चार परियोजनाएँ अलकनंदा नदी का प्रदूषण दूर करने से संबंधित हैं, ताकि नीचे की तरफ नदी की धार का स्वच्छतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इसमें गंदे पानी के नालों को नदी में जाने से रोकने के लिये उनका मार्ग बदलना, बीच मार्ग में अवरोधक संयंत्र लगाना और साथ ही चार महत्त्वपूर्ण स्थानों–जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कीर्तिनगर में नए लघु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना शामिल है, जिन पर करीब ₹78 करोड़ की लागत आएगी।

इनके अलावा गंगा का प्रदूषण दूर करने के लिये ऋषिकेश में ₹158 करोड़ से अधिक की लागत वाली एक बड़ी परियोजना का अनुमोदन किया गया है। गंगा जैसे ही पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ऋषिकेश से नगरीय प्रदूषक गंगा में मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा को इन प्रदूषकों से छुटकारा दिलाने के लिये ऋषिकेश में इस सर्व-समावेशी परियोजना को शुरू करने की मंज़ूरी दी गई है। इससे न केवल सभी शहरी नालों को ऋषिकेश में गंगा में जाने से रोका जा सकेगा बल्कि उत्सर्जित जल को उपचार के ज़रिये फिर से इस्तेमाल योग्य भी बनाया जाएगा। इस विशेष परियोजना में लक्कड़घाट पर 26 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण किया जाएगा जिसके लिये ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की भी व्यवस्था है।

इनके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ₹665 करोड़ की अनुमानित लागत से उत्कृष्ट प्रदूषक मानकों के साथ 564 एमएलडी क्षमता

के अत्याधुनिक ओखला मल-जल उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना भी अनुमोदित की गई है। यह संयंत्र मौजूदा एसटीपी फेज-I, II, III और IV का स्थान लेगा। इसके अलावा पीतमपुरा और कोंडली में ₹100 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत वाली नई मल-जल पाइपलाइनें बिछाने की दो परियोजनाएँ भी मंज़ूर की गई हैं, ताकि रिसाव रोका जा सके।

पटना में कर्मालिचक और झारखंड के राजमहल में ₹335 करोड़ से अधिक लागत से मल-जल निकासी संबंधी कार्यों का भी कार्य समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया। वाराणसी में, जहाँ वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री आते हैं, गंगा के प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिये सार्वजनिक-निजी-भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल वाली ₹151 करोड़ की परियोजना का भी कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन किया गया।

उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत ₹ 662.32 करोड़ की परियोजनाओं को मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिये नमामि गंगे योजना के तहत कई परियोजनाओं के लिये ₹ 662.32 करोड़ मंज़ूर किये हैं। उत्तराखंड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई गंदे नालों की टेपिंग से जुड़ी 13 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। उत्तराखंड जल निगम को इन कामों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने नमामि गंगे परियोजना के लिये राज्य की ओर से दो हज़ार करोड़ की कई परियोजनाएँ केंद्र सरकार को भेजी थी।

केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के तहत जिन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, उनमें हरिद्वार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जगजीतपुर सीवरेज शोधन संयंत्र, जगजीतपुर फेज-दो 27 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तपोवन ऋषिकेश सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उच्चीकरण, हरिद्वार सराय 14 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। साथ ही जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर, ऋषिकेश लक्कड़ घाट के लिये छह एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता 26 एमएलडी विस्तारीकरण योजना को मंज़ूरी दी है।

गंदे नालों को रोककर सीवरेज शोधन संयंत्र की मुख्य लाइन तक ले जाने के लिये नए नालों के निर्माण को भी मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा दैवीय आपदा के खतरों से निपटने के लिये इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में पुलों, भूस्खलन क्षेत्रों में सुरक्षा के उपाय के लिये ज़रूरी निर्माण कार्य की परियोजनाओं को भी मंज़ूरी दी गई है।

उत्तराखंड में बनेंगे दो और टाइगर रिज़र्व

बाघों को संरक्षण देने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में माना जाता है। इसे देखते हुए यहाँ ज़ल्दी ही दो और टाइगर रिज़र्व अस्तित्व में आने वाले हैं। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और सुरई रेंज को टाइगर रिज़र्व में बदला जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से इसकी सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई है। इन दोनों टाइगर रिज़र्व के बनने से अब राज्य में टाइगर रिज़र्व की संख्या 4 हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड बाघों के रिज़र्व के मामले में सबसे आगे हो जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 3 और राजस्थान में 2 टाइगर रिज़र्व हैं।

उत्तराखंड अपनी जैव विविधता के साथ बाघों के संरक्षण के लिये भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के लागू होने के बाद बाघों की संख्या के लिहाज से कर्नाटक (403) के बाद उत्तराखंड (340) देश में दूसरे स्थान पर है। बाघों के संरक्षण में यहाँ के विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिज़र्व की मुख्य भूमिका रही है और इस मामले में देश में इसका पहला स्थान है।

एनटीसीए से मिली मंज़ूरी: प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की हुई बैठक में उत्तराखंड में दो और टाइगर रिज़र्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत हल्द्वानी और चंपावत वन प्रभागों के कुछ हिस्सों को मिलाकर 2012 में बनाई गई नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के उत्तराखंड में स्थित बफर जोन सुरई रेंज को टाइगर रिज़र्व के रूप में तब्दील करने की बात कही गई थी। इसके बाद यह प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा गया। अब एनटीसीए की तरफ से इसकी सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई है।

सुरई: तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई रेंज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का बफर जोन है। इसे देखते हुए उत्तराखंड ने सुरई के साथ ही इससे सटी अन्य रेंजों के 237 वर्ग किमी. को मिलाकर नया टाइगर रिज़र्व प्रस्तावित किया है।

नंधौर: इस प्रस्तावित टाइगर रिज़र्व में 270 वर्ग किमी. कोर और 578 वर्ग किमी. क्षेत्र बफर ज़ोन होगा। यह क्षेत्र वन्यजीवों के लिहाज़ से कार्बेट व राजाजी टाइगर रिज़र्व की भाँति समृद्ध है।

एनटीसीए से हरी झंडी मिलने के बाद अब इन दोनों प्रस्तावित टाइगर रिज़र्व का मसला स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञ समिति इन रिज़र्व के सीमांकन का परीक्षण करने के साथ ही जनता के सुझाव लेकर रिपोर्ट देगी और फिर सरकार इनकी अधिसूचना जारी करेगी।

राजस्थान में पहला संपूर्ण महिला थाना की शुरुआत

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर के गांधीनगर में प्रदेश के पहले ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन अर्थात् महिला थाने का उद्घाटन किया। महिला सशक्तीकरण को मज़बूत करने और अधिक से अधिक महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिये प्रदेश में महिला थानों में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन थानों में आने वाले महिला परिवादी अब अपनी पीड़ा को बेखौफ होकर महिला पुलिसकर्मी से साझा कर सकेंगी। क्योंकि कई पीड़िताएँ पुरुष पुलिस को अपनी व्यथा बता नहीं पाती थीं। अब इस थाने के ज़रिये वे भी न्याय पा सकेंगी।

इस महिला थाने को अपग्रेड कर थाने में 22 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुरुष सब-इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबलों की टीम को रिज़र्व में रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर में मिली जीव की प्राचीन प्रजाति

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्राचीन जीव प्रजाति की खोज की है जिससे मनुष्यों के विकास संबंधी अवधारणा बदल सकती है। प्राचीन जीव की यह प्रजाति एक करोड़ 10 लाख से एक करोड़ 40 लाख वर्ष पहले जम्मू एवं कश्मीर में रहती थी। वैज्ञानिकों ने इस इस प्रजाति को रामाडैपिस साहनी (Ramadapis Sahnii) नाम दिया है। यह मनुष्य के समान जीव वाले सिवापिथेकस (Sivapithecus) परिवार का सदस्य है। यह जीव पत्तों पर निर्भर था और घरेलू बिल्ली के आकार का था। अध्ययन के मुताबिक, इस खोज से मनुष्यों के विकास पर नई रोशनी पड़ सकती है। यह जीव वनमानुष का पूर्ववर्ती रूप है। पाया गया जीवाश्म वनमानुष परिवार से भिन्न है और यह एशिया में बहुत कम ही जाना जाता है। ■■■

10 कला-संस्कृति

डांग दरबार-2017 का आयोजन

गुजरात की डांग दरबार की होली को बड़े ही अनोखे अंदाज़ में मनाया जाता है। खाऊला, पियूला, मौजूला यानी खाओ, पीयो और मौज मनाओ का संदेश लिये गुजरात के डांग आदिवासी होली का त्योहार मनाते हैं। इस होली में आदिवासी अपनी सारी तकलीफों को एक तरफ रखकर ढोल-मंजीरा हाथों में लिये मस्ती में झूमते, गाते इस त्योहार का आनंद लेते हैं।

अपने वाद्य यंत्र (ढोल-नगाड़े, पावी, बाँसुरी, मांदल, चंग) को बजाते हुए आदिवासी गाँव-गाँव फिरते हुए लोकगीत गाते हैं व होली के त्योहार का स्वागत करते हैं। नाचते हुए आदिवासी आपस में रंग-गुलाल उड़ाते हैं और गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को खींचकर नाचने पर मज़बूर कर देते हैं। कुछ आदिवासी लकड़ी के घोड़े या टाटू बनाकर उसे पहनकर नाचते हैं तो कई बार महिलाओं की वेशभूषा पहनकर भी खूब मस्ती करते हैं। इस सबके अलावा जिस खास आयोजन का इंतजार समस्त आदिवासियों को होता है, उसे 'डांग दरबार' कहा जाता है।

गुजरात के आदिवासी बाहुल्य ज़िले डांग में हर वर्ष होली के ठीक तीन दिन पहले से ही 'डांग दरबार' का आयोजन बड़े ज़ोर-शोर से किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन तीन दिनों तक होता है जिसमें बच्चे, महिलाएँ व बुजुर्ग आदिवासी बहुत जोश के साथ भाग लेते हैं। आदिवासी महिलाएँ व पुरुष एक ताल से नाचते हुए पिरामिड जैसा आकार बनाते हैं। इस दौरान आयोजित होने वाले मेले में आमतौर पर रोजमर्रा की सामग्रियों के अलावा स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियाँ, जड़ी-बूटियाँ और कई अन्य वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। इसके अलावा शरीर पर देसी तरीकों से गुदना (टैटू) करवाने के लिये भी इस आयोजन को बेहद खास माना जाता है।

गोवा का वीवा कार्निवल

पुर्तगालियों ने सोलहवीं शताब्दी में गोवा में कार्निवल मनाने की शुरुआत की थी। वैसे तो गोवा साल में कई कार्निवल मनाता है, जैसे दिसम्बर में पूरा गोवा क्रिसमस कार्निवल के रंग में रंग जाता है। वैसे ही फरवरी-मार्च के महीने में गोवा वीवा कार्निवल मनाता है।

इन दिनों ईसाई समुदाय के लोग 40 दिनों के लिये माँस-मदिरा का भी सेवन नहीं करते हैं। जब 40 दिन पूरे होते हैं तो किंग मोमो, जिनका सम्बन्ध ग्रीक भगवान मोमोस से बताया जाता है और जिन्हें हास्य का देवता भी कहा जाता है, वह सड़कों पर निकलकर जनता को खुशी मनाने, खाने-पीने का फरमान सुनाते हैं।

चार दिन तक चलने वाले वीवा कार्निवल की शुरुआत पंजिम शहर से होती है। इस कार्निवल परेड में लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। बड़ी बड़ी झाँकियाँ सजाई जाती हैं, छोटे छोटे गाँवों से लेकर बड़े शहरों तक के लोग इस कार्निवल में भाग लेते हैं। इस कार्निवल में जहाँ युवा अलग-अलग डांस ग्रुप्स में परेड में नाचते और जोश से भरे दिखाई देते हैं, वहीं बड़ी उम्र के लोग अलग-अलग रंगों वाले रूपों में सबका मनोरंजन करते हैं। इस कार्निवल में कुछ झाँकियाँ पुर्तगाली संस्कृति की छटा बिखेरती दिखती हैं तो कुछ शुद्ध गोवा की ग्रामीण संस्कृति के दर्शन भी करवाती हैं।

इस बार कार्निवल की विशेषता यह थी कि अधिकतर झाँकियाँ किसी न किसी सन्देश को फैलाने का काम कर रही थीं। जैसे आतंकवाद से मुक्ति, कैशलेस ट्रांजैक्शन, सेव द नेचर, चाइल्ड अब्यूज आदि।

पंजिम से शुरू होकर यह कार्निवल गोवा के विभिन्न गाँवों और शहरों से गुज़र कर वापस पंजिम पहुँचता है, जहाँ चौथे दिन प्रसिद्ध रेड व ब्लैक डांस नाइट का आयोजन किया जाता है जिसमें युवा खास काले और लाल रंग के परिधानों में ताल से ताल मिलाते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। वीवा कार्निवल का एक और मुख्य आकर्षण है गोवा का पारंपरिक फूड। वीवा कार्निवल के दौरान सैलानियों को गोवा के पारंपरिक सी-फूड को चखने का मौका गोवा की स्ट्रीट पर मिलता है।

11 खेल घटनाक्रम

मिशन ओलंपिक के लिये ओलंपियनों की राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति

सरकार ने निम्नलिखित ओलंपियनों को दिये गए खेल वर्गों के लिये राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है:

खेल वर्ग	राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का नाम
एथलेटिक्स	पी.टी. ऊषा, अंजू बॉबी जॉर्ज
तीरंदाजी	डॉ. संजीव कुमार सिंह
बैडमिंटन	अपर्णा पोपट
मुक्केबाजी	एम.सी. मेरीकॉम, अनिल कुमार
हॉकी	जगबीर सिंह
शूटिंग	अभिनव बिंद्रा
टेनिस	सोमदेव देवबर्मन
भारोत्तोलन	कर्णम मल्लेश्वरी
कुश्ती	सुशील कुमार
फुटबॉल	आई.एम. विजयन
तैराकी	खजान सिंह
टेबल टेनिस	कमलेश मेहता

राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भारत सरकार, खेल प्राधिकरण, और राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) की सहायता करेंगे। इससे भारतीय ओलंपिक संघ को लंबी अवधि की विकास योजनाओं की तैयारी करने तथा उनका कार्यान्वयन करने में सहायता मिलेगी। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के संबंध में चयन नीति सहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिनमें राष्ट्रीय कैंप, लंबी अवधि की एथलीट विकास योजना, कोचिंग विकास, तकनीकी अधिकारियों का विकास और एथलीटों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन शामिल है। अपने संबंधित वर्गों के लिये इनपुट प्रदान करने के अलावा, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक देश में खेलों के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिये एक समूह के रूप में परामर्श देंगे। मिशन ओलंपिक 2020, 2024 और 2028 के लिये कार्य योजना तैयार करने में राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

बीसीसीआई के संविधान को अंतिम रूप दिया गया

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नए संविधान को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत लम्बे समय तक भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा समिति ने सिफारिश की थी। उत्तराखंड, तेलंगाना को भी पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। बिहार को भी मत देने का अधिकार मिल गया है, लेकिन यह तभी काम करना शुरू करेगा जब इसके सारे लंबित मामले खत्म हो जाएँगे।

इस नए संविधान के तहत एक राज्य से केवल एक ही पूर्ण सदस्य हो सकता है। इसके अनुसार 41 बार का रणजी चैम्पियन बंबई अब बड़ौदा और सौराष्ट्र के साथ बीसीसीआई का एसोसिएट सदस्य बन गया है। मुख्य राज्य गुजरात की ये दोनों टीमें अब एसोसिएट सदस्य हैं और ये प्रतिवर्ष बारी-बारी से मत डालेंगे। मुंबई क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों को हालाँकि आम वार्षिक बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी लेकिन वे अपना मत नहीं डाल सकेंगे।

- इस नए संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी संघ प्रतिनिधि के रूप में मतदान वाली प्रणाली नहीं अपना सकता।
- इसके अनुसार बीसीसीआई की आम सालाना बैठक प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक कराई जाएगी और शीर्ष परिषद का हर तीन साल में चुनाव होगा।
- शीर्ष परिषद मुख्य रूप से बीसीसीआई में संचालन के मामलों के लिये ज़िम्मेदार होगी। इसमें नौ सदस्य होंगे जिसमें पाँच चयनित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। चार अन्य को नामांकित किया जाएगा।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीसीसीआई के दिन-प्रतिदिन के मामले देखेगा जिसमें छह पूर्णकालिक मैनेजर उनकी मदद करेंगे।
- राष्ट्रीय चयन समिति का मानदंड वही रहेगा जिसमें चेयरमैन अपना निर्णायक मत डालेगा, जबकि कप्तान बैठकों में शामिल होगा, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नए नियमों को अंतिम रूप दिया गया

क्रिकेट मैचों के दौरान कई बार देखा गया है कि मैदान में किसी खिलाड़ी का व्यवहार सही नहीं होता है। कभी एक खिलाड़ी स्लेजिंग (विरोधी टीम के खिलाड़ी पर छींटाकशी) करता है तो कभी अंपायर पर दवाब डालने के लिये ज्यादा अपील करता है। यही नहीं, कई बार मैदान के अंदर खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। ऐसी हरकतों पर कड़ाई से लगाम लगाने के लिये एमसीसी (Marylebone Cricket Club-MCC) ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव किये हैं। अब मैदान में खराब व्यवहार के वजह से पेनल्टी के रूप में पाँच रन के साथ-साथ खिलाड़ी को पूरे मैच से सस्पेंड भी किया जा सकता है। सिर्फ इस मामले में ही नहीं, कई और मामलों में नियम बदले गए है जो 1 अक्टूबर, 2017 से लागू होंगे।

मैदान में खिलाड़ियों के व्यवहार पर नियम: अब यदि कोई खिलाड़ी मैदान में खराब व्यवहार करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसके लिये अपराध के चार लेवल बनाए गए हैं लेवल-1 के तहत बताया गया है कि अगर कोई भी खिलाड़ी ज्यादा अपील करता है और अंपायर के निर्णय पर आपत्ति जताता है तो सबसे पहले उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बावजूद अगर वह फिर ऐसा करता है तो पेनल्टी के रूप में विपक्षी टीम को पाँच रन मिलेंगे। लेवल-2 के तहत बताया गया है कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर दूसरे खिलाड़ी की तरफ गेंद फेंकता है और जानबूझकर विपक्षी टीम के खिलाड़ी से भिड़ जाता है तो विपक्षी टीम को तुरंत पाँच रन पेनल्टी रन के रूप में मिलेंगे।

12 चर्चा में

महत्त्वपूर्ण दिवस

विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च)

वर्ष 2017 की वन्यजीव दिवस की थीम है 'युवा आवाज़ों को सुनो'। यह थीम इसलिये निर्धारित की गई है क्योंकि इस बार युवाओं को वरीयता देने का फैसला किया गया है। दुनिया की कुल आबादी में से लगभग एक चौथाई की उम्र महज 10-24 साल है। इसीलिये इस वर्ग को भविष्य का नेता और नीति-निर्धारक मानते हुए, वन्यजीवों को बचाने के लिये इनके विचारों को सुनने और अपनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग और समन्वय का लक्ष्य दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हुए अभिसमय (CITES Convention, 1973) की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 16वीं बैठक (बैंकाक, 2013) में थाईलैंड ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने संबंधी एक प्रस्ताव रखा था। 3 मार्च को इस दिवस हेतु चुनने के पीछे कारण यह था कि इसी दिन CITES अभिसमय को अपनाया गया था। थाईलैंड के इस प्रस्ताव के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर, 2013 को यह निर्णय किया कि 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CITES सचिवालय से इस दिवस के क्रियान्वयन संबंधी व्यवस्थाएँ देखने का आग्रह किया था।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व के लगभग सभी भागों में 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिये शुरू हुई थी क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे, जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19 मार्च, 1911 को पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1913 में इसे बदलकर 8 मार्च कर दिया गया और तब से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। 1975 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था।

संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम को 'वीमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क: प्लानेट 50-50 बाय 2030' (Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030) का नाम दिया है ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च)

इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 'डिजिटल युग में उपभोक्ता विश्वास' (Building a Digital World Consumers can Trust) की थीम पर मनाया गया। आज से 24 साल पहले 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरुआत कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी। इसके पीछे उद्देश्य दुनिया भर के सभी उपभोक्ताओं को यह बताना था कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिये उनके क्या अधिकार हैं।

साथ ही सभी देशों की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया।

विश्व गौरैया दिवस (20 मार्च)

बढ़ते शहरीकरण तथा लोगों की जीवनशैली में बदलाव के कारण घरों के आंगन, गाँवों तथा छतों पर चहकने वाली गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये 20 मार्च का दिन विश्व गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् मो.ई. दिलावर के प्रयासों से गौरैया के लिये 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने इस चिड़िया को 'रेड लिस्ट' में डाल दिया है।

विश्व जल दिवस (22 मार्च)

स्वच्छ पेयजल और जल संरक्षण की चिंता दुनिया के प्रमुख देशों को हुई तो लोगों को उसका महत्त्व समझाने के लिये विश्व जल दिवस मनाने का फैसला किया गया। संयुक्त राष्ट्र में 1992 को एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें यह अपील की गई कि साल का एक दिन जल दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके बाद पहला जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया और तब से हर साल 22 मार्च को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इस दिन जल के संरक्षण का संदेश देश दुनिया में दिया जाता है।

प्रत्येक वर्ष इस दिन के आयोजन के लिये अलग-अलग विषय रखा जाता है। इस साल का विषय है 'अपशिष्ट जल' अर्थात गंदे पानी का मानव जीवन पर कुप्रभाव और आगामी वर्ष का विषय 'प्रकृति के आधार पर जल का समाधान' रखा गया है।

अर्थ ऑवर (25 मार्च)

पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये इस वर्ष 25 मार्च को अर्थ ऑवर डे मनाया गया। इस वर्ष इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 184 रही। इन देशों के प्रमुख शहरों में रात 8.30 से 9.30 बजे तक बिजली बंद रखी गई। इस साल अर्थ ऑवर के दौरान अंतरिक्ष में भी अंधेरा रहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने पहली बार इसमें भागीदारी की। अर्थ ऑवर की शुरुआत 2007 में सिडनी से हुई थी।

नियुक्ति/पदमुक्ति

अरविंद सुब्रमण्यम

केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम अब अक्तूबर 2019 तक अपने पद पर बने

द जिस्ट

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

द हिन्दू

- काबुल के रास्ते चीन
- आयकर दायरे से बाहर के लोग
- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की घटती भागीदारी
- पुलिस सुधार की गुत्थी
- बदलाव के समय स्थायित्व
- विज़न दस्तावेज़ 2030 : दिव्यांग समावेश
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 : एक रोडमैप

डाउन टू अर्थ

- सिर्फ वादे, फंड नहीं
- आहार टोकरी खतरे में
- कानून बनाम संस्कृति

साइंस रिपोर्टर

- क्वांटम कम्प्यूटर
- भारी धातु से प्रदूषित पर्यावरण की सफाई
- विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान और तकनीक पर चर्चा
- जैविक माँ की ज़रूरत नहीं
- दृष्टिबाधितों के लिये 'दिव्यनयन'

इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली

- 'सार्वभौमिक मूलभूत आय' का प्रस्ताव
- असुरक्षित बहुसंख्यक वर्ग
- सुई से दिये जाने वाले गर्भनिरोधक
- असम में अशांति
- वैश्वीकरण का अगला कदम

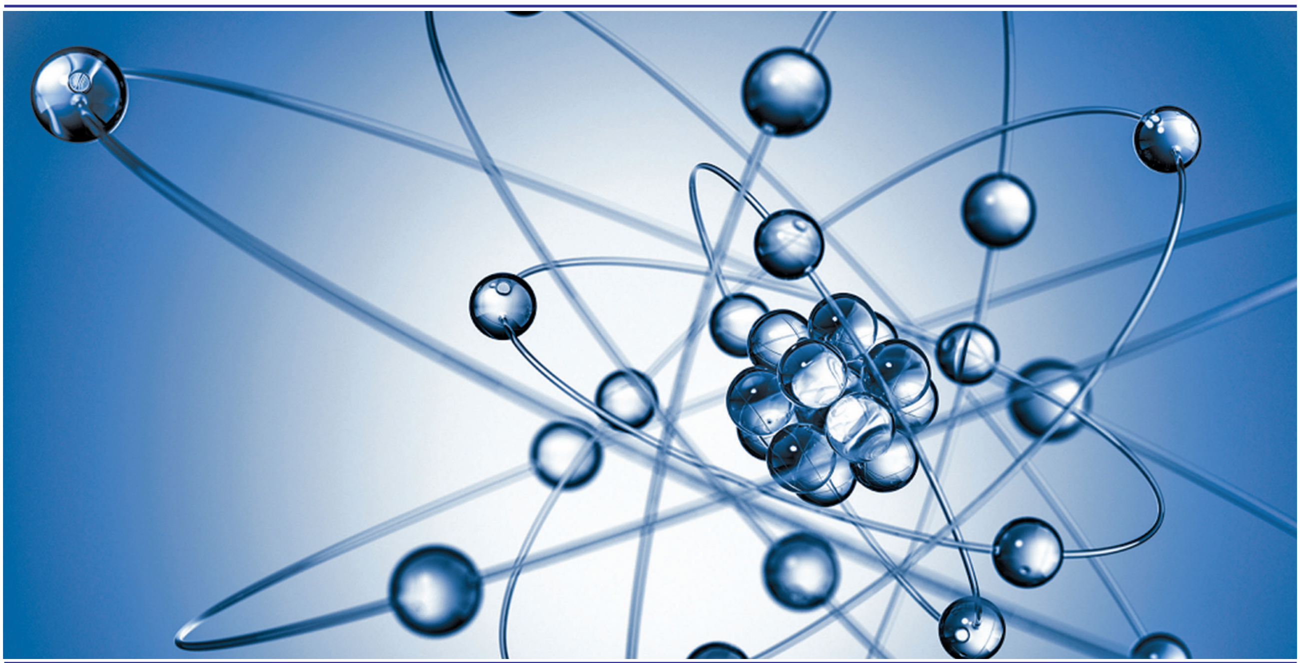

द हिंदू

1 मार्च से 20 मार्च, 2017

काबुल के रास्ते चीन

- अफगानिस्तान फिर से भारत-चीन संबंध के मोर्चे पर संभावनाओं के द्वार के रूप में उभरा है। पिछले हफ्ते भारत-चीन के बीच 'पुनर्रचित सामरिक वार्ता' (Restructured Strategic Dialouge) में विदेश सचिव एस. जयशंकर ने भाग लिया। जयशंकर ने कहा 'अफगानिस्तान पर उनके दृष्टिकोण और नीतियाँ हमसे मिलती मालूम पड़ती हैं।' सामरिक वार्ता पाँच उप-समूहों में बँटी हुई थी जिसमें एक उप-समूह अफगानिस्तान पर भी केंद्रित था। चीन ने अफगानिस्तान के विकासात्मक कार्यों की प्रशंसा की तथा काबुल में सरकार को मज़बूत बनाने की व्यापक रूपरेखा पर सहमति भी प्रकट की।
- यह प्रगति चीन के लिये इस्लामिक स्टेट के बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में हुई है। इस्लामिक स्टेट द्वारा जारी किये गए एक वीडियो में चीनी उइगर मुस्लिमों ने चीन वापस आकर खून की नदियाँ बहाने की धमकी दी है। चीन के सीमावर्ती शिनजियांग प्रांत में अधिकांश उइगर मुस्लिम रहते हैं, जहाँ पर चीन ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। घबराया हुआ चीन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात कर रहा है। साथ ही यही वजह है कि चीन ने रूस-तालिबान वार्ता में भी सहयोग किया है।
- चीन की सरकार ने कई वर्षों से शिनजियांग प्रांत में हिंसा के लिये उइगर 'अलगाववादियों' को ज़िम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेतावनी भी जारी की है कि इनमें वैश्विक जिहादी समूह से संपर्क साधने की क्षमता है। चीन अफगानिस्तान में जारी अस्थिरता के पूरे क्षेत्र में फैलने को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान की अस्थिरता का प्रभाव केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि शिनजियांग में भी महसूस किया जाएगा जहाँ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सक्रिय है। इसके अलावा, पाकिस्तान में चीन की 'मेगा निवेश योजना' (Mega Investment Plan) भी क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर ही की गई है।
- ट्रंप प्रशासन की नीति अभी अफगानिस्तान को लेकर स्पष्ट नहीं है। यह भी नहीं लग रहा कि पश्चिमी देशों की घटती उपस्थिति अमेरिका द्वारा भरी जाएगी। ऐसे में चीन की भारत को साथ लेने की कोशिश आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होती। भारत को लेकर अफगानिस्तान में व्यापक सद्भावना है। साथ ही वहाँ भारत द्वारा किये गए कार्य भी नज़र आते हैं।

अफगानिस्तान पर मतभेद

- भारत और चीन के बीच अफगानिस्तान और सीमापार आतंकवाद को लेकर कुछ बुनियादी मतभेद हैं। पिछले दिसंबर ही विदेश सचिव एस. जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन आतंकवाद को लेकर प्रभावशाली तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। विदेश सचिव जयशंकर का उपरोक्त बयान वैश्विक आतंकियों की सूची में अज़हर मसूद को शामिल करने के संदर्भ में चीन द्वारा तकनीकी आधार पर रोक लगाने को लेकर आया था।
- भारत लंबे समय से चीन के साथ सीमापार आतंकवाद पर बातचीत में अफगानिस्तान को शामिल करना चाहता था। भारत-चीन आतंकवादरोधी वार्ता को शुरू में उत्साहजनक द्विपक्षीय पहल के रूप में देखा गया था लेकिन बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर नहीं आया। भारत के लिये आतंकवाद का प्रमुख स्रोत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है जिसे वहाँ की सरकार राज्य की एक वैध नीति के रूप में देखती है। पाकिस्तान चीन का सदाबहार दोस्त है तथा दक्षिण एशिया नीति की धुरी भी है। इसलिये दक्षिण एशिया में आतंकवाद से लड़ने के संदर्भ में चीन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिये।
- 2014 में अफगानिस्तान से नाटो फौजों की वापसी पर चिंताएँ प्रकट की जा रही थीं। चीन ने भारत से संपर्क साधा था लेकिन कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था, क्योंकि आतंकवाद पर भारत के साथ साझा दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण चीन ने लिये पाकिस्तान से संबंध है। इसलिये भारत को चीन की अफगान नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिये। काबुल में स्थिरता की राह रावलपिंडी से होकर जाती है। पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख को बदलने में चीन को कोई लाभ नहीं है। चीन की अफगानिस्तान को लेकर भारत से बातचीत क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएँ खोल सकती है। भारत को आगे बढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिये। निश्चित रूप से बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चीन अतिवाद से लड़ने को लेकर कितना प्रतिबद्ध है।

आयकर दायरे से बाहर के लोग

- लगभग 127 करोड़ भारतीयों में सिर्फ 2.6 करोड़ लोग ही आयकर जमा करते हैं। यह संख्या कुल आबादी का 3% से भी कम है। इससे सामान्य निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि अधिसंख्य लोग आयकर जमा नहीं करते। अपने बजटीय भाषण में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अतिरंजित बयान दे दिया कि भारत कर जमा नहीं करने वाला समाज है। एक बड़ी मज़बूत धारणा बनी हुई है कि करदाताओं की संख्या ही कम नहीं है बल्कि अधिकांश लोग अपनी सही आय दर्ज नहीं कराते।

आँकड़े क्या कहते हैं?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा था कि सिर्फ 24 लाख भारतीयों का वार्षिक आय का विवरण 10 लाख से अधिक है। यह अविश्वसनीय है। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने भी 2013-14 के बजटीय भाषण में कहा था कि भारत में लोग कर नहीं देना चाहते और लोगों के पास बड़ी मात्रा में कालाधन है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि केवल

डाउन टू अर्थ

डाउन टू अर्थ पत्रिका के 16-28 फरवरी, 2017 और 1-15 मार्च, 2017 के अंकों में प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों का सार

सिर्फ वादे, फंड नहीं

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए कहा कि बजट यह सुनिश्चित करेगा कि विकास का लाभ 'किसानों, गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा समाज के कमज़ोर तबकों तक पहुँचे।' लेकिन बजट पर गौर करने पर कुछ और ही दिखता है।

- श्री अरुण जेटली ने अगले पाँच साल में किसानों की आय दुगुनी करने की सरकार की योजना को दोहराया। हालाँकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट रणनीति का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया।
- बजट से कृषि ऋण का भी मुद्दा गायब है जो देश के आधे से अधिक किसान परिवारों पर प्रभाव डालेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर भी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में कृषि मंत्रालय का आवंटन घटा दिया है। यहाँ तक कि पिछले वर्ष के संशोधित आकलन (Revised Estimate) की तुलना में कृषि क्षेत्र में कुल बजटीय आकलन में मात्र 6 फीसदी की वृद्धि हुई है।
- सरकार की फ्लैगशिप कृषि बीमा योजना- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को सिर्फ 9000 करोड़ रुपए मिले, जबकि सरकार ने पिछले बजट संशोधित आकलन में इस योजना के लिये 13,240 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया था।
- बजट में दलहन और तिलहन फसल की पैदावार बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया। भारत दाल का 25% और खाद्य तेल का 70% हिस्सा आयात करता है।

महिलाओं, बच्चों के लिये कोई मदद नहीं

लोक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए जेटली ने कालाजार तथा फाइलेरिया के लिये 2017, कुष्ठरोग के लिये 2018, खसरा के लिये 2020 तथा टी.बी. के लिये 2025 तक समाप्ति का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

- हालाँकि उन्होंने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के तहत संचालित जननी एवं शिशु स्वास्थ्य फ्लैक्सी पूल के बजट में 30% की कटौती की है।
- महिला कल्याण की सिर्फ एक योजना 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' के बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है।
- बजट में पोषण आधारित कोई योजना नहीं है, जबकि वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2015 के अनुसार वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के कुल कुपोषित बच्चों में लगभग आधी भागीदारी भारत की है।
- राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना के आवंटन में कोई बदलाव नहीं लाया गया है, जबकि यह एकमात्र योजना है जो लड़कियों की पोषण संबंधी ज़रूरत से संबंधित है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कोई राहत नहीं

- सरकार के बजटीय एवं गैर-बजटीय खर्च को आपस में मिलाने के फैसले से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कल्याण योजनाओं के लिये उपलब्ध धनराशि कम हो गई है।
- अनुसूचित जाति के लिये योजनाओं की संख्या 294 से घटाकर 256 कर दी गई, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिये योजनाओं की संख्या 307 से घटकर 261 हो गई है।

जलवायु परिवर्तन के लिये बुरा

सामाजिक कल्याण योजनाओं की तरह ही पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा की गई है।

पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC–Intended Nationally Determined Contributions) की पूर्ति के लिये 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर (2014-15 के मूल्य पर) की लागत का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2017-18 के बजट में पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित न कोई नई योजना शुरू की गई और न ही चल रही योजनाओं के लिये आवंटन में ज़्यादा वृद्धि की गई।

हालाँकि पिछले वर्ष के कुल आवंटन की तुलना में इस बार 19% की वृद्धि की गई है तथा संशोधित आकलन की तुलना में कुल 15% की बढ़ोतरी हुई है। किन्तु यह वृद्धि गुमराह करनेवाली है, क्योंकि यह राजस्व खर्च में वृद्धि है जिसका उपयोग वेतन तथा अन्य योजनागत मद में होता है। वहीं पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 27% की कटौती की गई है।

कृषि

- बजटीय आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.59% की वृद्धि हुई है।
- कृषि ऋण के लिये इस बजट में ₹ 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
- ₹ 9,000 करोड़ फसल बीमा योजना पर खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत 40% फसल लगे क्षेत्र कवर हो जाएंगे।
- ₹ 40,000 करोड़ का प्रावधान नाबार्ड के अंतर्गत दीर्घावधि सिंचाई फंड के लिये किया गया है।
- ₹ 1900 करोड़ का प्रावधान कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समूह को कंप्यूटराइज़ एवं एकीकृत करने के लिये किया गया है।

ग्रामीण विकास

- पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 11.8% की वृद्धि, 1 करोड़ परिवारों को वर्ष 2019 तक गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा।
- वर्ष 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतें गरीबी से मुक्त हो जाएंगी।
- मनरेगा के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये ₹ 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- वर्ष 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

टू द पॉइंट

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

पाकिस्तान के बिना सार्क (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

क्यों है खबरों में?

सितम्बर 2016 में उरी (कश्मीर) में सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में नवंबर 2016 में आयोजित होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था।

भारत ने "क्षेत्र में सीमा पार से बढ़ते आतंकी हमले और एक देश द्वारा सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप" का हवाला दिया था।

हालाँकि, सार्क का सम्मेलन पहली बार स्थगित नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूहों को दिये जा रहे समर्थन को स्पष्टतया उद्धृत करते हुए पहली बार सम्मेलन का बहिष्कार किया है।

बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा भूटान ने भी सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस एकजुट बहिष्कार ने सम्मेलन को रद्द करने पर मजबूर कर दिया। गहरे अविश्वास और तनाव के इस वातावरण में बहुपक्षीय प्रक्रिया तो कमज़ोर होगी ही साथ ही सार्क के औचित्य एवं भविष्य पर भी प्रश्न उठेंगे।

सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation -SAARC) : 1985 में सार्क की स्थापना, क्षेत्रीय सहयोग की रूपरेखा विकसित करने की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति थी। वर्तमान में सार्क में आठ सदस्य हैं- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका।

सार्क के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:

- दक्षिण एशिया में लोगों की खुशहाली/समृद्धि (Welfare)।
- आर्थिक विकास को तीव्र करना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग व सहायता बढ़ाना।

सार्क समझौते का क्रियान्वयन अपेक्षा से कम रहा है। सदस्य देशों की अपनी सीमाएँ हैं जिसमें क्षमता में कमी भी शामिल है। अंकटाड (United Nations Conference on Trade & Development -UNCTAD) के एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2013 में सार्क सदस्य देशों के आपस में कुल व्यापार का योगदान 5.8% रहा जबकि आसियान (Association of Southeast Asian Nations) के देश आपस में कुल व्यापार का 24.2% व्यापार करते हैं।

इस नाजुक समय में तथा अनिश्चित व्यापार व आर्थिक माहौल में सार्क क्षेत्र में व्यापार और बड़े स्तर पर आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता और ज़्यादा महसूस की जा रही है।

पाकिस्तान एक बाधा के रूप में

पाकिस्तान अपनी नीति के माध्यम से आर्थिक समन्वय की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस नीति के तहत पाकिस्तान अपने भू-भाग के माध्यम से कनेक्टिविटी की सुविधा की अनुमति प्रदान नहीं करता है। सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी इसने अनिच्छा ज़ाहिर की है। यह मोटर वाहन समझौता दक्षिण एशियाई देशों को सार्क देशों में वाणिज्यिक वाहनों को भेजने की अनुमति प्रदान करेगा।

पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के साथ यही रुख अपनाया है जो कि पूर्णत: द्विपक्षीय मुद्दा है। इस प्रकार इसने सार्क देशों की अंर्तसम्बद्धता में सीमित योगदान ही किया है।

इसके अन्य दो उदाहरण व्यापार उदारीकरण और ऊर्जा में सीमापारीय व्यापार हैं जिन पर पाकिस्तान ने उस समय ही अपनी असहमति प्रकट कर दी थी जब ये समझौते हस्ताक्षर करने हेतु पूरी तरह से तैयार थे। इसके अतिरिक्त, भारत के द्वारा सार्क उपग्रह के निर्माण के सुझाव पर भी पाकिस्तान द्वारा रोक लगा दी गई थी।

इस प्रकार, आपसी संदिग्धता के कारण सार्क समूह के देश अपनी विस्तृत क्षमता का उचित ढंग से प्रयोग करने में असफल रहे हैं।

पाकिस्तान रहित सार्क

यद्यपि पूर्व में यह माना गया था कि सार्क की प्रगति पाकिस्तान के बिना नहीं हो सकती परन्तु सार्क अकेले भारत के सहयोग से भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में भारत ने एक भिन्न मार्ग अपनाया है। एक देश के द्वारा ही सम्पूर्ण क्षेत्र की मेज़बानी करने की अपेक्षा भारत ने इस समूह के अन्य सदस्यों को भी एक-दूसरे के साथ समन्वय करने के लिये तैयार किया है।

इस 'सार्क माइनस वन' (SAARC Minus One) रणनीति अथवा 'टू स्पीड सार्क' (Two Speed SAARC) का तात्पर्य कार्यों का प्रबंधन और सार्क के भीतर उपक्षेत्रीय समूहों को बढ़ावा देते समय पाकिस्तान को इससे अलग रखना है।

ऐसा ही एक उपक्षेत्रीय समझौता, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) का मोटर वाहन समझौता है जो इन देशों के मध्य यात्रियों और मालवाहक वाहनों के निर्बाध आवागमन की अनुमति प्रदान करता है।

आगे की राह

भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान रहित अन्य क्षेत्रीय विकल्पों की तलाश कर रहा है। बिम्सटेक (BIMSTEC) में सार्क के सात में से पाँच सदस्य शामिल हैं। बिम्सटेक में पाकिस्तान की अनुपस्थिति इसे भारत के लिये अधिक आकर्षक बनाती है। वर्ष 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स और बिम्सटेक के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक इसका प्रमाण है।

हालाँकि, ऐसा करने से भारत की उस समस्या का समाधान नहीं होता जिसमें वह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय को बढ़ावा देने प्रयास कर रहा है। चूँकि, भारत की अफगानिस्तान तक कोई भौतिक पहुँच नहीं है अत: भारत को काबुल के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समन्वय को मज़बूत बनाने तथा त्रिपक्षीय समन्वय के माध्यम से अपने अन्य साझेदारों के साथ मज़बूत संबंध स्थापित करने के लिये नए मार्गों की तलाश करनी होगी।

रोहिंग्या संकट (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

क्यों है खबरों में?

बांग्लादेश द्वारा हाल ही में 2015 की एक कार्ययोजना को पुनः क्रियान्वित किया गया है जिससे म्याँमार से आए नए और पुराने शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित थेंगर चार नामक सुदूर और संकटग्रस्त द्वीप में पुनर्वासित किया जा सके। इस द्वीप तक पहुँचने के लिये मुख्य भूमि से नाव द्वारा कई घण्टों का समय लगता है। उच्च ज्वार की स्थिति में यहाँ बाढ़ की स्थिति होती है और यह द्वीप साल के कई महीने पानी में डूबा रहता है जिससे यह निर्जन दलदल भूमि बन जाती है। 2015 की कार्य योजना को सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की आलोचना और विरोध के कारण खारिज कर दिया गया था।

इस कार्ययोजना की पुनर्स्थापना तब की गई थी जब म्याँमार की सेना द्वारा दमनात्मक कार्यवाही के पश्चात् अक्तूबर-नवंबर 2016 में लगभग 65,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश आ गए थे।

रोहिंग्या कौन हैं?

रोहिंग्या का सबसे ज़्यादा स्वीकार्य अर्थ "रोहांग का निवासी" है। रोहांग, अराकान का शुरुआती मुस्लिम नाम है।

रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक नृजातीय समूह है जो मुख्यतया म्याँमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रहते हैं। रोहिंग्या म्याँमार के प्रभुत्वशाली बौद्ध समूह से भाषायी, नृजातीय और धार्मिक रूप से अलग हैं। इनकी मोटे तौर पर पहचान अवैध बंगाली आप्रवासी की है जो कई सदियों से म्याँमार में रह रहे हैं।

म्याँमार की सरकार रोहिंग्या लोगों को म्याँमार का नागरिक नहीं मानती है और उनको नागरिकता प्रदान करने से इनकार करती है। इस कारण अधिकांश रोहिंग्या लोगों के पास कोई विधिक कागज़ात नहीं है जिसके कारण ये लोग राज्यविहीन हैं।

म्याँमार में, अधिकांश रोहिंग्या लोगों की नागरिकता छीन ली गई है तथा उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन लोगों के स्वतंत्र रूप से आवागमन, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर तरह-तरह के प्रतिबंध हैं। जबरन गर्भ-निरोध, मनमाना कर-वसूली और बेगारी भी इन पर थोपा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी आयुक्त ने पूर्व में रोहिंग्या समुदाय को "दुनिया का सबसे ज़्यादा बहिष्कृत, सताया हुआ तथा सुभेद्य (Vulnerables) समुदाय" बताया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने रोहिंग्या विरोधी हिंसा को मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी का बताया है और इसे 'जाति संहार अभियान' (Campaign of ethnic cleansing) बताया है।

दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश रोहिंग्या लोगों को म्याँमार से आए अवांछनीय शरणार्थियों के रूप में देखता है जबकि म्याँमार इन्हें बांग्लादेश से पूर्व में आए आप्रवासी के रूप में देखता है। इस कारण लगभग 10 लाख लोगों के इस समूह के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है।

परिणामस्वरूप इन्हें 'राज्यविहीन लोग' (Stateless Peoples), 'चलायमान लोग' (Floating Peoples) या 'नाव के लोग' (Boat peoples) आदि नामों से भी जाना जाता है।

रोहिंग्या-विरोधी हिंसा इसलिये भी ज़्यादा तकलीफदेह बन जाती है क्योंकि यह सब आंग सान सू की के नेतृत्व में चल रही सरकार के अधीन हो रही है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार उनके साहसिक और प्रेरणादायी लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के अहिंसक संघर्ष के लिये दिया गया था।

आंग सान सू की ने इस मामले के लिये अगस्त 2016 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व में एक नौ-सदस्यीय आयोग का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट अगस्त 2017 में देगा।

आगे की राह

रोहिंग्या पर हो रहे अत्याचार कट्टरवाद के पनपने के कारकों में शामिल हैं। धार्मिक कट्टरता के पनपने की संभावना, म्याँमार की क्रूरताओं के जवाब में मुद्दे को और ज़्यादा संगीन बना देती है।

म्याँमार सरकार की प्रतिक्रिया

म्याँमार अपने सैनिकों द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती करने से इनकार करता है। सरकार द्वारा नियुक्त एक जाँच आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि "इस क्षेत्र में नरसंहार तथा धार्मिक उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है।"

रोहिंग्या संकट का स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता है और इसकी ज़िम्मेदारी म्याँमार की सरकार की है। आखिरकार यह राजनीतिक मुद्दा भी म्याँमार का ही है, जब तक इस मुद्दे का हल नहीं हो जाता तब तक यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुनिश्चित करना चाहिये कि ये लोग मूलभूत मानवाधिकार व गरिमा के साथ जियें।

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

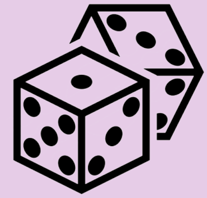

प्रश्नः आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 में सार्वभौमिक बुनियादी आय की चर्चा की गई है। सार्वभौमिक बुनियादी आय से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक बुनियादी आय के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिये तथा इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत कीजिये।

उत्तरः सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income) से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुनियादी अथवा मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक निश्चित आय प्रदान की जाय। सार्वभौमिक बुनियादी आय के पीछे प्रमुख उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करना है।

सार्वभौमिक बुनियादी आय के पक्ष (सकारात्मक) में तर्क

- सार्वभौमिक बुनियादी आय को गरीबी के निवारण के मामले में सर्वाधिक अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ आय का स्तर काफी निम्न है, वहाँ गरीबी दूर करने में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- गरीब लोग इस सार्वभौमिक बुनियादी आय के माध्यम से अपनी मूलभूत ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
- सार्वभौमिक बुनियादी आय से लोगों को इस बात का आश्वासन प्राप्त होगा कि हर हालत में उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी और इससे निश्चिंत होकर वे आजीविका के नवीन अवसर तलाश कर सकते हैं।
- इससे लाभार्थियों को लक्षित कर बेहतर ढंग से लाभान्वित किया जा सकता है।
- सार्वभौमिक बुनियादी आय से सामाजिक न्याय की स्थापना की ओर मज़बूत कदम बढ़ाया जा सकेगा।
- सबसे बढ़कर सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करके सब्सिडी के लीकेज एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि सार्वभौमिक बुनियादी आय को सब्सिडी आदि को समाप्त कर लागू किया जाएगा।

सार्वभौमिक बुनियादी आय के विपक्ष (नकारात्मक) में तर्क

- सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करने से लोगों में अकर्मण्यता बढ़ सकती है तथा इससे लोगों में कार्य करने की प्रेरणा में कमी आ सकती है।
- सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करने से सरकार के व्यय में बढ़ोतरी होगी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी जाएगी।
- सार्वभौमिक बुनियादी आय के रूप में जब लोगों को नकद राशि प्राप्त होगी तो वे इसका संभावित दुरुपयोग नशा आदि के लिये भी कर सकते हैं।
- यदि लोगों को बिना किसी उत्पादन कार्य के एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी तो उससे मुद्रास्फीति के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
- सबसे बढ़कर सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करने के लिये सरकार के पास संसाधनों का अभाव है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक बुनियादी आय के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। इसे लागू करने के लिये संसाधनों को वृहद् स्तर पर बढ़ाना होगा। संसाधनों में वृद्धि के लिये कराधार (Tax base) को बढ़ाना अत्यावश्यक है।

प्रश्नः कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ते जाने के पीछे कौन से प्रमुख कारण हैं तथा इस संघर्ष को टालने के लिये कौन से प्रयास किये जाने चाहियें? सविस्तार स्पष्ट कीजिये।

उत्तरः कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी तथा यह संघर्ष लगातार तीन वर्षों तक जारी रहा। अंततः 1953 ई. में उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के रूप में दो राष्ट्रों का अस्तित्व सामने आया। दरअसल वह समय शीतयुद्ध का था और वैश्विक शक्तियों ने अलग-अलग रूप में दोनों कोरियाई देशों का समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ एवं चीन ने उत्तर कोरिया का और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया।

यद्यपि 1953 में दोनों राष्ट्रों का विभाजन 38 डिग्री समानांतर रेखा के द्वारा किया गया था किंतु दोनों के बीच सीमा अभी भी खुली हुई है। इस सीमा के खुले होने के कारण अक्सर होने वाला संघर्ष पिछले कुछ समय से पुनः काफी उभार पर है।

कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष के लगातार बढ़ते जाने के पीछे प्रमुख कारण

- उत्तर कोरिया के द्वारा लगातार परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है।
- उत्तर कोरिया ने किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानने से मना कर दिया है तथा इन परीक्षणों को अपनी सुरक्षा के लिहाज़ से उचित बता रहा है।
- इस संघर्ष को बढ़ाने में चीन की भी अहम भूमिका रही है। उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अपना अधिकांश व्यापार चीन की सीमा से होकर ही करता है।
- इसी प्रकार अमेरिका ने जिस प्रकार से जापान एवं दक्षिण कोरिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है उससे भी उत्तर कोरिया काफी अधिक सशंकित है।

कोरियाई प्रायद्वीप में संघर्ष को टालने के लिये किये जाने वाले उपाय

- उत्तर कोरिया के कारण शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो सकती है, जो कोरियाई प्रायद्वीप के साथ-साथ संपूर्ण विश्व की शांति के लिये भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। इसके लिये विश्व के सभी देशों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिये।

पी.टी. एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री

भारतीय इतिहास

- इसकी रचना बाणभट्ट ने ईसा की सातवीं सदी में की। यह लगभग जीवन चरित के ढंग का गद्यकाव्य है। अत्युक्तियों की भरमार होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की चहल-पहल और अपने युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। यह है- ***हर्षचरित***
- संध्याकर नंदी की इस रचना में कैवर्त्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच लड़ाई और रामपाल के विजय की गाथा है। यह रचना है- ***रामचरित (बारहवीं सदी)***
- यह आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसकी रचना कल्हण ने बारहवीं सदी में की। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है और यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। यह है- ***राजतरंगिणी (राजाओं की धारा)***
- गंगा के मैदानों में लोहे के उपकरणों के व्यापक प्रयोग और मानव-बस्तियों में वृद्धि का काल था- ***500 ई. पू. और उसके बाद***
- मगध में अकाल और जैनियों का मगध से दक्षिण भारत की ओर विस्थापन का काल था- ***300 ई. पू.***
- भारतीय भाषायी सर्वेक्षण (द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया) के संपादक ग्रियर्सन के अनुसार भारतीयों द्वारा लगभग 180 भाषाएँ और 550 बोलियाँ बोली जाती हैं। ये भाषाएँ जिन चार महत्त्वपूर्ण वर्गों के अंतर्गत हैं, वे हैं- ***ऑस्ट्रो-एशियाटिक (Austro-Asiatic), तिब्बत-बर्मी (Tibeto-Burmese), द्रविड़ (Dravidian) और हिंद आर्य (Indo-Aryan)***
- घग्घर हकरा की समरूपा नदी सरस्वती यमुना और सतलज से मिल गई और तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। ये काल था- ***2500 ई. पू.***
- द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप भारतीय उपमहादेश के पाकिस्तान स्थित उत्तर-पश्चिमी भाग में पाया जाता है। द्रविड़ भाषा का प्राचीनतम रूप माना जाता है- ***ब्रहुई को***
- सतलज और संभवत: यमुना पूरब की ओर बढ़ गईं जिसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये काल था- ***1700 ई. पू.***
- उत्तर भारत पर जब पालों और प्रतिहारों का शासन था तब दक्कन पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। यह एक उल्लेखनीय राजवंश था जिसने योद्धाओं और कुशल प्रशासकों की लंबी शृंखला प्रस्तुत की। इस राजवंश का संस्थापक था- ***दंतिदुर्ग***
- इस महान राष्ट्रकूट राजा ने 64 वर्षों तक शासन किया, पर वह युद्ध पर धर्म और साहित्य को वरीयता देता था। वह स्वयं एक लेखक था और कन्नड़ में काव्यशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय उसे दिया जाता है। यह था- ***अमोघवर्ष***
- राष्ट्रकूट प्रशासन में राजकुमारियों को शासन के पदों पर शायद ही कभी नियुक्त किया जाता था, पर एक राष्ट्रकूट राजकुमारी जिसने इस दौर में कुछ समय तक रामचूड़ दोआब का प्रशासन चलाया, थी- ***अमोघवर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रबालाब्बी***
- शिशु हत्या को साधारण हत्या के समान ही घोषित करने वाले अधिनियम थे- ***1795 का बंगाल विनियमन अधिनियम- XXI तथा 1804 का बंगाल राज्य अपराध विनियमन- III***
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राजनीतिक संगठनों, बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसायटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे- ***दादाभाई नौरोजी***
- कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्य के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किये गए, जिनमें से इस मत का प्रस्तुतीकरण लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक 'यंग इंडिया' में 1916 में किया। इस सिद्धांत का उपयोग कांग्रेस के नरमपंथी गुट पर प्रहार करने के लिये किया गया। यह सिद्धांत था- ***सुरक्षा कपाट सिद्धांत (Safety Valve Theory)***
- उग्रवादी राष्ट्रीयता के उदय के प्रमुख कारण थे- ***ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान, राजनीतिक निराशा, लॉर्ड कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव***
- इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया और 1893 ई. में 'गणपति उत्सव' तथा 1895 में 'शिवाजी उत्सव' की शुरुआत की। ये थे- ***बाल गंगाधर तिलक***
- महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं (दामोदर एवं बालकृष्ण) ने 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैण्ड एवं एमहर्स्ट की हत्या करके क्रान्तिकारी गतिविधियों की नींव डाली। चापेकर बंधु जिस क्रान्तिकारी संस्था से संबद्ध थे। वो थी- ***हिंदू धर्म संघ***
- कांग्रेस का शुरुआती नेतृत्व उदारवादी (Moderate) राष्ट्रीय नेताओं ने किया। ये उदारवादी नेता विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि चाहते थे तथा इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत एवं पंजाब में नई काउंसिलों तथा वायसराय की कार्यकारी काउंसिल में दो भारतीय सदस्यों की मौजूदगी की मांग की। इन नेताओं की एक अन्य महत्त्वपूर्ण मांग थी- ***ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन***
- कलकत्ता से दिल्ली, राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंककर उसकी हत्या करने की योजना इतिहास में 'दिल्ली षड्यंत्र केस' के नाम से चर्चित है। यह योजना बनाने वाले थे- ***रासबिहारी बोस***

समसामयिकी

- 28 फरवरी, 2017 को जारी किये गए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाले प्रथम तीन राज्य कौन-से हैं? *केरल, मेघालय और छत्तीसगढ़*
- हिन्द महासागर रिम संघ (Indian Ocean Rim Association) के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? *जकार्ता (इंडोनेशिया)*
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (गर्भपात कानून) के अनुसार कितने हफ्ते से ज़्यादा के भ्रूण को नष्ट करना गैर-कानूनी है? *20 हफ्ते*
- एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कराए गए सर्वे, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, 2016 के अनुसार भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन-सा देश है- *भारत*
- इस अभ्यास का आयोजन हर साल बारी-बारी से भारत और नेपाल में किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना और पहाड़ी इलाके में आतंकवाद रोधी कार्यक्रम का अभ्यास करना है। यह है- *सूर्य किरण अभ्यास*
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में इस शहर पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि विश्व विरासत स्थलों वाला यह शहर अब सिर्फ मलबा बनकर रह गया है। यह शहर है- *अलेप्पो*
- हाल ही में किस बाल्टिक देश द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान किया गया है? *स्वीडन*
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र की महिलाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये एक कोष बनाने की घोषणा की गई है। यह कोष होगा- *₹100 करोड़ का*
- यूरोप के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा नोटबंदी के बाद की स्थितियों को देखते हुए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर कितना कर दिया गया है? *7.0 प्रतिशत*
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार ऐसे बैक्टीरिया (सुपरबग) की सूची जारी की गई है जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। इस बैक्टीरिया की सूची में कितने बैक्टीरिया शामिल हैं? *12*
- राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मजीवों की तीन ऐसी नई प्रजातियों का पता लगाया है जो मोबाइल फोनों पर पनपते हैं। इन तीन सूक्ष्मजीवों के नाम हैं-
  1. लायसिनबैसिलस टेलिफोनिकस
  2. माइक्रोबैक्टिरियम टेलिफोनिकम
  3. पायरेनोकाएटा टेलिफोनी
- देश के पहले टेलिपोर्ट की शुरुआत भारत के किस शहर में की गई है? *दिल्ली*
- भारतीय रेल द्वारा हाल में नई ट्रेन सेवा जिसे 'अंत्योदय एक्सप्रेस' नाम दिया गया है, की शुरुआत की गई है। अंत्योदय एक्सप्रेस लंबी दूरी की अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। यह किन स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है? *एर्नाकुलम-हावड़ा*
- जम्मू-कश्मीर में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्राचीन जीव प्रजाति की खोज की है जो आज से 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर में निवास करती थी। इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? *रामाडैपिस साहनी*
- 22 मार्च (23 मार्च : विश्व जल दिवस) को 'वाइल्ड वाटर नामक रिपोर्ट में विश्व भर की पानी की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है? *6.30 करोड़*
- हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 80वाँ और नेपाल को 99वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 155 देशों की इस सूची में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? *122वाँ*
- इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में महिला सांसदों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन-सा है? *148वाँ*
- दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत द्वारा किसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से बर्खास्त कर दिया गया? *राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे*
- फ्राँसीसी विमान निर्माता कंपनी एयरबस द्वारा पायलटों और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों के लिये एशिया का पहला प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? *नई दिल्ली*
- न्यूज़ीलैण्ड की संसद द्वारा हाल ही में माओरी समुदाय द्वारा अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली नदी को 'जीवित मानव' (Living Entity) का दर्जा दिया गया है। इस नदी का क्या नाम है? *वांगनुई*
- देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को वर्ष 2018 तक 100 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? *भारतनेट प्रोजेक्ट*
- विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक टी.बी. को समाप्त करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित की गई। टी.बी. समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है- *2025*
- अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों और अन्य तत्त्वों के अध्ययन के लिये चीन द्वारा शिचुआन प्रांत में विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। इस वेधशाला को क्या नाम दिया गया है? *लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शॉवर आब्जर्वेटरी (ल्हासो)*

मानचित्रों

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

मानचित्र-1

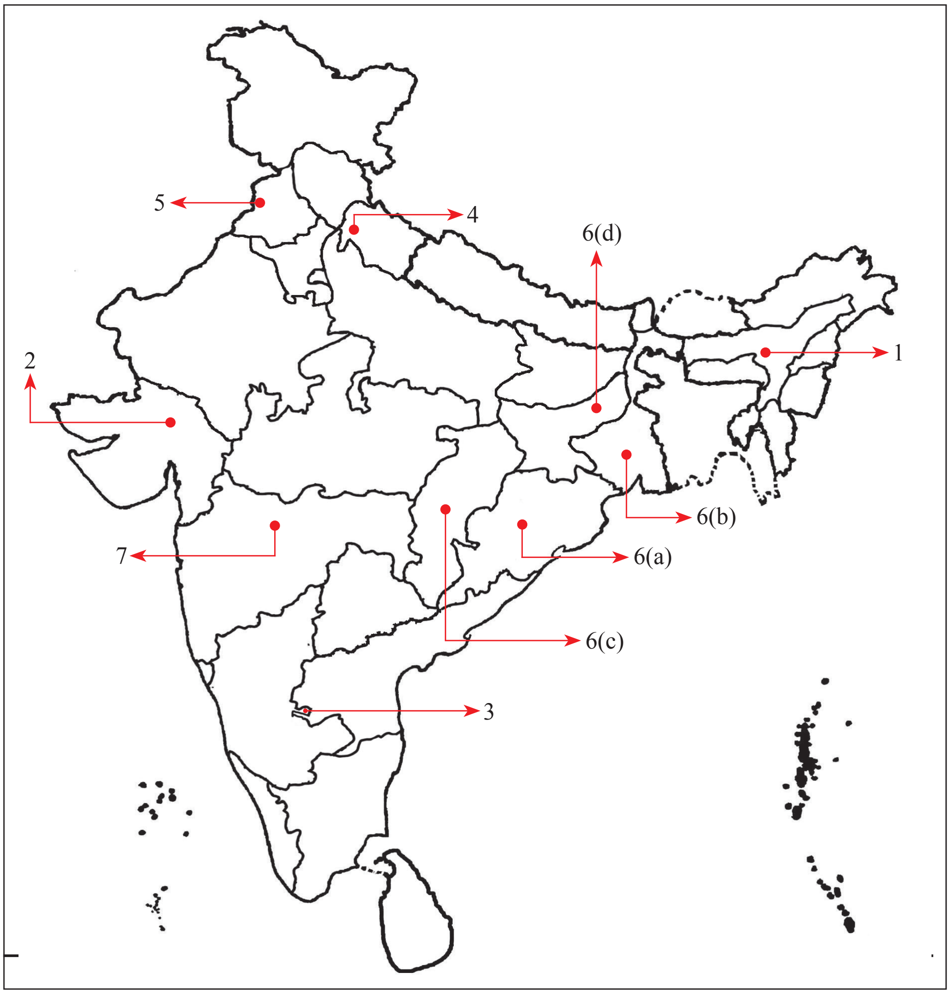

प्रश्न

1. क्रमांक 1 से चिह्नित वह वन्यजीव अभयारण्य जहां भारत में पाए जानेवाले एक सींग वाले गैंडों का सर्वाधिक संकेन्द्रण पाया जाता है।
2. क्रमांक 2 से चिह्नित वह शहर जहां हाल ही में महिला सरपंचों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ।
3. क्रमांक 3 से चिह्नित वह स्थान जहां राज्य सरकार विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पार्क स्थापित कर रही है।
4. क्रमांक 4 से चिह्नित वह स्थान जहाँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव सम्पन्न हुआ।
5. क्रमांक 5 से चिह्नित वह स्थान जहाँ भारत का सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
6. क्रमांक 6a, 6b, 6c तथा 6d से चिह्नित वे चार राज्य जिन्हें संभवत: पहली बार एक ही समय में हाथी गणना (Synchronised Elephants Census) के लिए चुना गया।
7. क्रमांक 7 से चिह्नित उस झील का नाम बताएँ जो उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित हुई है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-290 पर देखें)

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2

प्रश्न

1. क्रमांक 1 से चिह्नित वह सागर जिसे अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR) द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।
2. क्रमांक 2 के रूप में चिह्नित स्थान जहाँ हाल ही में सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है।
3. क्रमांक 3 के रूप में चिह्नित स्थान जहाँ हाल ही में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित हुआ।
4. क्रमांक 4 के रूप में चिह्नित स्थान जहाँ भूमि पर अवस्थित टी.आर.ए.पी.पी.आई.एस.टी (TRAPPIST) रोबोट टेलीस्कोप वेधशालाएँ अवस्थित हैं। टी.आर.ए.पी.पी.आई.एस.टी. रोबोटिक टेलीस्कोप तथा नासा की स्पीत्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के सात बाह्यग्रहों की खोज की है। यहाँ जीवन की संभावना जताई गई है।
5. क्रमांक 5 के रूप में चिह्नित देश जहाँ हाल ही में अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से 6 साल बाद लागू किया गया है। ऐसा रूस समेत वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-290 पर देखें)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

इतिहास

वैकल्पिक विषय

द्वारा– अखिल मूर्ति

कक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- कक्षा में ही संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी "नवीन परिवर्तनों" के अनुरूप।
- उत्तर लेखन अभ्यास एवं मानचित्र के अध्ययन पर विशेष बल।
- विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा एवं उनके आदर्श उत्तर प्रारूप का निर्माण।
- नियमित जाँच परीक्षा।

641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
फोन: 8750187501, 011-47532596

मॉक इंटरव्यू

इस अंक में हमारी उम्मीदवार हैं– अक्षिता रौतेला। वे उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली हैं तथा उनकी पूरी शिक्षा–दीक्षा उत्तराखंड में ही हुई है। वे उत्तराखंड में खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग) के रूप में डीडीहार में नियुक्त हैं। वे चौथे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुँची हैं। उससे पूर्व उन्होंने दो बार U.P.S.C. की मुख्य परीक्षा दी पर वे सफल नहीं हो सकीं। उनके पिता श्री गौतम रौतेला एक प्राथमिक शिक्षक व माँ सुशीला रौतेला एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। तीन भाई–बहनों में सबसे बड़ी अक्षिता के प्रयास की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने गृह शहर कोटद्वार में रहकर ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। वे तैयारी व कोचिंग आदि के लिये गृह शहर से बाहर दिल्ली जैसी जगह पर नहीं गईं। हाँ, उन्होंने उसके लिये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का सहारा अवश्य लिया। अक्षिता की एक और विशेषता यह भी रही कि शुरू से अंग्रेज़ी माध्यम की छात्रा होने के बावजूद उन्होंने संस्कृत से एम.ए. किया और फिर संस्कृत साहित्य को वैकल्पिक विषय लेकर हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी। वे लोग जो किन्हीं वजहों से अपने घर पर ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने को विवश हैं, उनके लिये अक्षिता का संघर्ष एक प्रेरणादायक प्रसंग है। अक्षिता का इंटरव्यू श्रीमती अलका सिरोही के बोर्ड में पड़ा। अक्षिता ने अंततः सिविल सेवा परीक्षा, 2014 में सफल रहकर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में जगह बनाई। वे भविष्य में पुनः अपने प्रयास आई.ए.एस. (प्रॉपर) बनने के लिये जारी रखना चाहती हैं। अक्षिता की अकादमिक पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली रही है और साथ ही वे वाद–विवाद प्रतियोगिताओं में काफी सक्रिय रूप से भाग लेती रही हैं। निश्चय ही अक्षिता की संघर्ष यात्रा से आप सभी कुछ–न–कुछ सीख सकते हैं तथा अपनी संघर्ष यात्रा को सफल बनाने में उपयोग कर सकते हैं।

साक्षात्कार

बोर्ड अध्यक्ष: अक्षिता, आप हिमालय क्षेत्र से हैं, अगर किसी भी तरह हिमालय भारत की सीमा पर न रह जाए तो भारत की इकोलॉजिकल कंडीशन पर क्या–क्या फर्क पड़ेंगे?

अक्षिता: मैम, हिमालय भारत की जलवायु की रक्षक दीवार है। मानसूनी हवाएँ उसी से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं। साइबेरिया व तिब्बत की ठंडी हवाएँ वह भारत नहीं आने देता है तथा भारत की कई जीवनदायिनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अगर हिमालय न हो तो भारत एक रेगिस्तान में परिवर्तित हो सकता है।

उम्मीदवार का परिचय

नाम: *अक्षिता रौतेला*

पिता का नाम: *गौतम रौतेला*

माता का नाम: *सुशीला रौतेला*

जन्म स्थान: *कोटद्वार उत्तराखंड*

जन्म तिथि: *2 अक्तूबर, 1988*

वर्ग: *सामान्य*

शैक्षणिक योग्यताएँ:

- *हाईस्कूल:* *डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कोटद्वार (CBSC बोर्ड) 84.5%*
- *इण्टरमीडिएट:* *डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कोटद्वार (CBSC बोर्ड) 86.2%*
- *स्नातक:* *हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि. (श्रीनगर) (हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान) (63.2%)*
- *परास्नातक:* *हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल वि.वि. (श्रीनगर), संस्कृत (74.5%)*
- *शोध :* *मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में गुणीभूत व्यंग्य (शोधविषय)*
- *वैकल्पिक विषय:* *संस्कृत साहित्य*
- *माध्यम:* *हिन्दी*
- *प्रयास:* *चतुर्थ*
- *हॉबी:* *कथा साहित्य का अध्ययन*
- *विशेष:* *अनेक वाद–विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत, 2011 जून की UGC-JRF संस्कृत विषय में।*
- *पूर्व चयन:* *2012 उत्तराखंड सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा में खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग) के रूप में चयनित।*

सेवा संबंधी वरीयताएँ:

IAS, IFS, IRS, IPS, IC & ES, IRTS, IRAS

राज्य संबंधी वरीयताएँ:

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अग्मुट, असम–मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड।

बोर्ड अध्यक्ष: अक्षिता क्या आप गेम्स और स्पोर्ट्स में अंतर बता सकती हैं?

अक्षिता: मैम, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स एक शारीरिक गतिविधि है जिसके कुछ नियम होते हैं और गेम एक मनोरंजक गतिविधि है जो मानसिक भी हो सकती है।

इनमें एक या एक से अधिक खिलाड़ी कुछ निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। जैसे- क्रिकेट एक स्पोर्ट है और शतरंज एक गेम।

बोर्ड अध्यक्ष: ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव के मुख्य बिंदु क्या हैं?

अक्षिता: मैम, सऊदी अरब में इस्लाम का जन्म हुआ था तथा वहाँ इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र दोनों स्थल मक्का एवं मदीना स्थित हैं। हर मुसलमान एक बार 'हज़' करने वहाँ जाना चाहता है। सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम के एक चरमपंथी धड़े वहाबी संप्रदाय को आगे बढ़ाता है, जबकि ईरान शिया बहुल देश है और 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद उसके मन में इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने की महत्त्वाकांक्षा जाग गई है जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से इस्लामी दुनिया के नेता सऊदी अरब से उसके मतभेद पनप रहे हैं। सऊदी अरब अपने शिया बहुल पूर्वी प्रांत, यमन के हूती विद्रोहियों, बहरीन आदि के मामलों में ईरान के ऊपर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता रहा है, जबकि ईरान, सीरिया तथा शेष विश्व में सऊदी द्वारा प्रेरित वहाबी आतंकवाद का आरोप जड़ता रहा है। सीरिया और यमन वस्तुत: सऊदी अरब व ईरान के बीच के मतभेदों की सज़ा भुगत रहे हैं।

बोर्ड अध्यक्ष: अक्षिता, कथा साहित्य को आपने हॉबी बताया है, आप केवल हिन्दी में पढ़ती हैं या अंग्रेज़ी में भी पढ़ती हैं?

अक्षिता: मैम, पहले केवल मैं अंग्रेज़ी फिक्शन ही पढ़ती थी पर अब मैं हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का अनूदित कथा साहित्य भी पढ़ती हूँ।

बोर्ड अध्यक्ष: आपने सबसे ताज़ातरीन क्या पढ़ा?

अक्षिता: मैम, मैंने इधर गेब्रियल गार्शिया मार्केज़ की 'वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलीट्यूड्स' पढ़ी।

बोर्ड अध्यक्ष: क्या कथानक है उसका?

अक्षिता: मैम, यह एक काल्पनिक गाँव मामोंडो की कहानी कहता है, जहाँ सौ वर्ष पहले एक अमेरिकी फ्रूट कंपनी केला उगाने व उसका व्यापार करने के लिये आती है। उसने वहाँ जो दमन किया, वह स्थानीय निवासियों की स्मृति में बसा रहा। उसी की कथा मार्केज़ ने इस उपन्यास में अपने जादुई यथार्थवादी ढंग से सुनाई है। वास्तव में यह कहानी उनके नाना की कहानी है और यह काल्पनिक गाँव उनके ननिहाल अरकाटाका से मिलता-जुलता है।

बोर्ड अध्यक्ष: यदि आपको किसी एक पसंदीदा नॉवेल को चुनना हो तो किसे चुनेंगी?

अक्षिता: मैम, मैं फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के 'अपराध एवं दंड' को चुनूंगी। मैं इस उपन्यास को बार-बार पढ़ती हूँ तथा बार-बार जीवन के नए अर्थ पाती हूँ।

बोर्ड अध्यक्ष: राजनीतिक मोर्चे पर सोशल इंजीनियरिंग शब्द का बड़ा प्रचलन है, आप इससे क्या आशय लगाती हैं?

अक्षिता: मैम, वैसे तो इस शब्द के व्यापक मायने हैं, पर आजकल इस शब्द का उपयोग चुनाव जीतने के लिये जातियों के गणित को अपने पक्ष में करने की कला के संदर्भ में अधिक हो रहा है।

बोर्ड अध्यक्ष: डी.ए.वी. कॉलेजों का देशभर में संगठन है, क्या आपका स्कूल उसी का अंग था? डी.ए.वी. स्कूलों के बारे में कुछ बताएँ।

अक्षिता: हाँ मैम, हमारा स्कूल उसी स्कूल-शृंखला का ही भाग था जो निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है। डी.ए.वी. 'दयानंद एंग्लो वैदिक' का संक्षिप्त रूप है। डी.ए.वी. स्कूल पूरे भारत में फैले हैं तथा स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा यहाँ उपलब्ध है। इसकी स्थापना सन् 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में की थी। देशभर में करीब 700 शिक्षण संस्थाएँ इसके ट्रस्ट के अधीन आती हैं।

बोर्ड अध्यक्ष: आपका वैकल्पिक विषय संस्कृत रहा है। क्या इस विषय का प्रशासन में कोई उपयोग रह गया है?

अक्षिता: मैम, भारतीय प्रशासनिक परंपरा का अधिकांश ज्ञान संस्कृत साहित्य से ही निकला है। चाणक्य कृत अर्थशास्त्र, महाभारत का अनुशासन-पर्व, विदुर नीति जैसे तमाम अंश आज भी प्रासंगिक लगते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष: कहा जाता है कि संस्कृत लैटिन की तरह एक मृत भाषा है। लैटिन भाषा व लैटिन अमेरिका के बारे में कुछ बताएँ।

अक्षिता: मैम, लैटिन प्राचीन रोम साम्राज्य की भाषा थी, पर रोमन कैथोलिक चर्च व वेटिकन सिटी की यह अब भी राजभाषा है। यह एक शास्त्रीय भाषा कही जाती है तथा संस्कृत की तरह यह भी हिंद-आर्य समूह से संबंधित है। मैम, मैं संस्कृत को मृत भाषा नहीं मानती। अभी भी हज़ारों लोग इसमें साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा इसके सक्रिय अध्येता लाखों में हैं। हाँ, यह जनभाषा नहीं रह गई है और ऐसा भी इसके ऊपर कर्मकांडीय ठप्पा लग जाने के कारण हुआ है। मैम, फ्राँसीसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमानियन आदि भाषाएँ लैटिन से ही निकली हैं। चूँकि मैक्सिको से लेकर पूरा मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्पेनिश या पुर्तगाली बोलता है इसलिये इस पूरे क्षेत्र को लैटिन अमेरिका कहा जाता है।

बोर्ड अध्यक्ष: आप ज्योतिष पर विश्वास करती हैं, यह नास्त्रेदमस का क्या चक्कर है?

अक्षिता: मैम, व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर विश्वास नहीं करती तथा नास्त्रेदमस को एक फ्रॉड मानती हूँ जिसे कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिये इस्तेमाल करते हैं। अस्पष्ट भाषा में बेतरतीब कविताओं को कोई किसी अर्थ तक पहुँचाकर निष्कर्ष निकाल सकता है तथा अफवाह और दुष्प्रचार क्षेत्र को मज़बूत कर सकता है पर वह कभी भी लोकहित में एक भी काम नहीं कर सका है। हाँ, वैदिक ज्योतिष के पीछे की मंशा फ्रॉड की न थी, ऐसा मेरा मानना है।

बोर्ड अध्यक्ष: ज्योतिष के बारे में आपने अपनी राय किसके प्रभाव में बनाई है?

अक्षिता: मैम, मैंने अपनी राय सामान्य पर्यवेक्षण से बनाई है। भविष्य कथन महज़ कुछ शब्दावलियों पर निर्भर है तथा उनमें 1% भी सत्यता नहीं है। ऐसा मैं इसलिये कह रही हूँ क्योंकि ज्योतिष के जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी यह नहीं पढ़ा है कि कोई दुर्घटना या आपदा ज्योतिष की वजह से टल गई है।

(अध्यक्ष, सदस्य-1 की तरफ संकेत करती हैं।)

सदस्य-1: आप उत्तराखंड से हैं जिसका पहले नाम उत्तरांचल था, फिर इसका नाम बदल दिया गया। इसके पीछे क्या कारण था?

जानिये अपनी हॉबी : सिनेमा

(भाग-1)

कुछ महत्त्वपूर्ण हॉबीज़ पर आधारित कॉलम

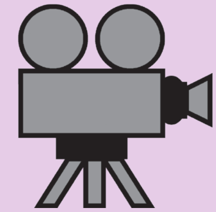

-सुधांशु धर द्विवेदी

अपने सौ से अधिक साल के इतिहास के बाद सिनेमा बेहद प्रभावशाली माध्यम हो चुका है। साहित्य, सिनेमा और मीडिया को हम समान रूप से शक्तिशाली तथा समाज के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाले माध्यमों के रूप में परिगणित कर सकते हैं। सिविल सेवा के साक्षात्कार में ऐसे प्रतियोगियों की भारी संख्या होती है जिनकी हॉबी 'सिनेमा देखना' होती है। अत: सिनेमा के बारे में एक परिपूर्ण समझ हेतु एक आलेख की दरकार थी जिसे इस कॉलम के अंतर्गत पूरा किया जा रहा है। सिनेमा एक बेहद विशाल माध्यम है। भारत की बात करें तो हिंदी सिनेमा के अतिरिक्त अंग्रेज़ी तथा लगभग हर क्षेत्रीय भाषा में सिनेमा का निर्माण हुआ है। फीचर फिल्मों के अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्री फिल्में, कमर्शियल फिल्में वगैरह भी बनाई गई हैं। कथित मुख्यधारा का लोकप्रिय सिनेमा और यथार्थ दिखाने वाला समानांतर सिनेमा हमारे अध्ययन के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। समानांतर सिनेमा को हम प्रचलित भाषा में 'आर्ट फिल्म' कहते रहे हैं (शायद इसलिये कि सिनेमाई कला के विविध आयामों को इन फिल्मों द्वारा ही दिखलाया जाता रहा है। भारत में हिंदी सिनेमा का गढ़ मुंबई बना जो एक मराठीभाषी क्षेत्र है, इसे हॉलीवुड की तर्ज़ पर बॉलीवुड कहा जाने लगा। ऐसे ही बंगाली सिनेमा के लिये टॉलीवुड तथा तमिल सिनेमा के लिये कॉलीवुड, मलयालम सिनेमा के लिये मॉलीवुड, कन्नड़ सिनेमा के लिये सन्दलवुड जैसे नाम प्रचलित हो गए हैं। ऐसे उपनाम अब पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। दुनिया में सिनेमा लगभग हर महत्त्वपूर्ण देश में अपनी स्थानीय रचनात्मकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता दिखता है। विश्व सिनेमा को आमतौर पर लॉस एंजिल्स स्थित हॉलीवुड से समीकृत कर दिया जाता है पर जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्राँस, रूस, पोलैंड, स्वीडन, जापान, चीन, ईरान जैसे तमाम देशों में सिनेमा की विशिष्ट एवं शानदार ज़मीन रही है। सिनेमा में विविधता तथा आयामों की विशाल संभावना है। सिनेमाघर तक फिल्म के आने के पहले हज़ारों ऐसे काम हैं जिनके संभव होने पर ही फिल्म सेल्यूलाइड पर आ पाती है। निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन व संगीतकार से लेकर भीड़ बढ़ाने वाले एक्स्ट्रा कलाकारों तक हज़ारों ऐसे पहलू हैं जो सिनेमा को संभव बनाते हैं। सिनेमा के बारे में जानने का मतलब सिर्फ सिनेमा की कहानी जानना भर नहीं है। सिनेमा की तकनीक, पर्दे के पीछे के संघर्ष तथा उसकी पृष्ठभूमि को समझना भी इस जानने में छिपा है। ऊपर से सिनेमा एक संस्कृति भी है जो अनिवार्य रूप से समाज तथा राजनीति से जुड़ी होती है। इन पहलुओं को भी एक सजग प्रतियोगी को संज्ञान में रखना होता है। सिनेमा का जन्म तो महज़ मनोरंजन के लिये हुआ था पर इस विधा का इतना व्यापक विस्तार हुआ है कि यह अब एक सामाजिक दस्तावेज़ में बदल गई है। ऐसे में सभी तरह की परीक्षाओं के साक्षात्कार में फिल्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिविल सेवा में तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और यदि किसी ने सिनेमा को अपनी हॉबी ही बताया हो तो उसे निम्नांकित बिंदुओं पर पहले से अपनी राय व जानकारी बना लेनी चाहिये:

- सिनेमा का जन्म तथा विकास
- भारत में सिनेमा का आरंभ तथा विकास
- सिनेमा तकनीक तथा उससे जुड़ी तकनीकी शब्दावलियाँ
- आरंभिक वैश्विक सिनेमा
- आरंभिक भारतीय सिनेमा
- हिंदी सिनेमा की शुरुआत तथा विकास
- हिंदी सिनेमा की समानांतर धारा
- भारत में क्षेत्रीय सिने धाराएँ (बांग्ला, असमिया, ओडिया, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी वगैरह)
- हॉलीवुड का इतिहास, इसका विकासक्रम।
- मूक सिनेमा का दौर।
- सिनेमा में एनीमेशन।
- डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का संसार।
- आपकी पसंदीदा फिल्में, कलाकार, संगीतकार वगैरह।

  (a) महानतम फिल्मों की श्रेणीवार सूचियाँ, जैसे महानतम युद्ध फिल्में, महानतम ऐतिहासिक फिल्में, महानतम प्रेमकथाएँ आदि।

  (b) उपरोक्त सूची को भारत के संदर्भ में पुनरीक्षित करना।
- विश्व के कुछ महान निर्देशक।
- भारत के महान निर्माता एवं निर्देशक।
- विश्व के प्रमुख सिने कलाकार।
- भारत के महान कलाकार कुछ प्रमुख विशिष्टताओं के संदर्भ के साथ। यथा कॉमेडी।
- साहित्य एवं सिनेमा का संबंध।
- सिनेमा का समाजशास्त्र।
- सिनेमा का अर्थशास्त्र: क्या भारत में इसे उद्योग का दर्जा मिलना चाहिये?
- सिनेमा में जीवन का विश्लेषण: सिनेमा और यथार्थ।
- कुछ महान फिल्मों की समालोचना।
- फिल्मों में कोरियोग्राफी, छायांकन, एक्शन, संगीत संयोजन जैसे कम चर्चित विषयों पर चर्चा।
- सिनेमा का सौंदर्यशास्त्र।
- सोवियत सिनेमा और सिनेमाई परिवर्तन की संभावनाएँ।
- कुरोसावा: सिनेमा में पेंटिंग की संभावनाएँ।
- सत्यजीत रे व ऋत्विक घटक पर विशेष।
- सेंसर बोर्ड की स्थापना/इसका महत्त्व व इसकी सीमाएँ/अन्य सरकारी संगठन (फिल्म संबंधी)
- तकनीकी विकास और सिनेमा का सहसंबंध
- यू-ट्यूब क्रांति और सिनेमा
- न्यू वेब सिनेमा
- सिनेमा में स्त्री, भारतीय सिनेमा के संदर्भ।
- प्रतिरोध का सिनेमा, अश्वेत व अफ्रीकी सिनेमा।
- डर उत्पन्न करने वाला सिनेमा
- अल्फ्रेड हिचकॉक व सिने मनोविज्ञान में प्रयोग

प्रेरणा खंड

आई.ए.एस. टॉपर निशांत जैन की कलम से...

सतह पर ही न रहें, मर्म भी समझें....

किसी नगर में चार ब्राह्मण रहते थे। उनमें खासा मेल-जोल था। बचपन में ही उनके मन में ख्याल आया कि कहीं चलकर पढ़ाई की जाए।

अगले दिन वे पढ़ने के लिये कन्नौज नगर चले गए। वहाँ जाकर वे किसी पाठशाला में पढ़ने लगे। बारह वर्ष तक जी लगाकर पढ़ने के बाद वे सभी अच्छे विद्वान हो गए।

अब उन्होंने सोचा कि हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब अपने गुरु की आज्ञा लेकर वापस अपने नगर लौटना चाहिये। यह निर्णय करने के बाद वे गुरु के पास गए और आज्ञा मिल जाने के बाद पोथी संभाले अपने नगर की ओर रवाना हुए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में एक तिराहा पड़ा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आगे के दो रास्तों में से कौन-सा उनके अपने नगर को जाता है। अक्ल कुछ काम न दे रही थी। वे यह निर्णय करने बैठ गए कि किस रास्ते से चलना ठीक होगा। अब उनमें से एक पोथी उलटकर यह देखने लगा कि इसके बारे में उसमें क्या लिखा है।

संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय पास के नगर में एक बनिया मर गया था। उसे जलाने के लिये बहुत से लोग नदी की ओर जा रहे थे। इसी समय उन चारों में से एक ने पोथी में अपने प्रश्न का जवाब भी पा लिया। कौन-सा रास्ता ठीक है और कौन-सा नहीं, इसके विषय में उसमें लिखा था, ''महाजनो येन गतः सः पन्थाः''

किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ महाजन का अर्थ क्या है और किस मार्ग की बात की गई है। श्रेणी या कारवाँ बनाकर निकलने के कारण बनियों के लिये 'महाजन' शब्द का प्रयोग तो होता ही है, महान व्यक्तियों के लिये भी होता है, यह उन्होंने सोचने की चिन्ता नहीं की। उस पण्डित ने कहा, "महाजन लोग जिस रास्ते जा रहे हैं, उसी पर चलें" और वे चारों श्मशान की ओर जानेवालों के साथ चल दिये।

श्मशान पहुँचकर उन्होंने वहाँ एक गधे को देखा। एकान्त में रहकर पढ़ने के कारण उन्होंने इससे पहले कोई जानवर भी नहीं देखा था। एक ने पूछा, "भाई, यह कौन-सा जीव है?"

अब दूसरे पण्डित की पोथी देखने की बारी थी। पोथी में इसका भी समाधान था। उसमें लिखा था–

'उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे।
राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति सः बान्धवः।।'

बात सही भी थी, बन्धु तो वही है जो सुख में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रुओं का सामना करने में, न्यायालय में और श्मशान में साथ दे। उसने यह श्लोक पढ़ा और कहा, ''यह हमारा बन्धु है।'' अब इन चारों में से कोई उसे गले लगाने लगा तो कोई उसके पाँव पखारने लगा।

अभी वे यह सब कर ही रहे थे कि उनकी नज़र एक ऊँट पर पड़ी। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह जानवर है क्या बला!

इस बार पोथी तीसरे को उलटनी पड़ी और पोथी में लिखा था, 'धर्मस्य त्वरिता गतिः'। धर्म की गति तेज़ होती है। अब उन्हें यह तय करने में क्या रुकावट हो सकती थी कि धर्म इसी को कहते हैं। तभी चौथे को सूझ गया एक रटा हुआ वाक्य, 'इष्टं धर्मेण योजयेत' अर्थात् प्रिय को धर्म से जोड़ना चाहिये। अब क्या था। उन चारों ने मिलकर उस गधे को ऊँट के गले से बांध दिया।

अब यह बात किसी ने जाकर उस गधे के मालिक धोबी से कह दी। धोबी हाथ में डण्डा लिये दौड़ा हुआ आया। उसे देखते ही वे वहाँ से चम्पत हो गए।

वे भागते हुए कुछ ही दूर गए होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ गई। सवाल था कि नदी को पार कैसे किया जाए। अभी वे सोच-विचार कर ही रहे थे कि नदी में बहकर आता हुआ पलाश का एक पत्ता दिख गया। संयोग से पत्ते को देखकर पत्ते के बारे में जो कुछ पढ़ा हुआ था वह एक

परिचय

UPSC की वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वाँ रैंक हासिल करने वाले निशांत जैन, हिन्दी/भारतीय भाषाओं के माध्यम के टॉपर हैं। मुख्य परीक्षा में देश के तीसरे सर्वाधिक अंक (851अंक) प्राप्त करने वाले निशांत ने निबंध के प्रश्न-पत्र में 160 अंक और वैकल्पिक विषय- हिन्दी साहित्य में 313 अंक प्राप्त किये हैं, जो संभवतः सर्वाधिक अंक हैं।

मेरठ में पले-बढ़े, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले निशांत जैन, 2013 में अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। नेट-जे.आर.एफ. उत्तीर्ण कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एम.फिल. उपाधि प्राप्त निशांत जैन लोक सभा सचिवालय के राजभाषा प्रभाग में दो साल सेवा कर चुके हैं।

कविताएँ लिखने और युवाओं से संवाद स्थापित करने में रुचि रखने वाले निशांत जैन भाषा-साहित्य-संस्कृति और वंचित वर्गों के कल्याण के क्षेत्र में गहरा रुझान रखते हैं। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) में राजस्थान कैडर मिला है।

प्रेरणा खंड

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की प्रशिक्षण डायरी

तेरहवाँ पन्ना

आँच न आए कभी आन पर घटे न अपनी शान,
लोकतंत्र के पहरेदारों रहे निरंतर ध्यान।
सोने की चिड़िया कहलाए फिर निज देश महान,
लोकतंत्र के पहरेदारों रहे निरंतर ध्यान...।।

किसी भी लोकतंत्र के लिये सबसे बड़ा उत्सव और महापर्व 'चुनाव' होता है। ज़िला प्रशासन के लिये भी यह सबसे बड़ा कर्त्तव्य और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि ये निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निडरतापूर्वक हो जाते हैं तो वहाँ के ज़िलाधिकारी को प्रभावी नेतृत्व वाला और कुशल प्रशासक माना जाता है। यह सर्वाधिक व्यस्ततम, विशाल, अत्यंत कठिन एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके चलते ज़िला प्रशासन ज़मीनी स्तर पर 24 घंटे कार्य करता है। इस संबंध में आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे- पहला, चुनाव प्रबंधन और दूसरा, वी.आई.पी. दौरों की देखरेख।

हालाँकि, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य वर्षभर चलता है किंतु चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद अनेक कार्य समानान्तर करने पड़ते हैं। चुनावी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात है कि यदि हम निर्वाचन आयोग के आदेशों, नियमों, आचार संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1951 इत्यादि का अक्षरश: पालन करें तो चुनाव बिना त्रुटि के सहजतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची आधार का काम करती है। यदि इसमें गड़बड़ी हो तो शिकायतों और आरोपों का दौर शुरू हो जाता है, इसलिये इसमें तमाम सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। इस संबंध में एक वाकया बताना चाहूंगा कि एक बार एक मतदान बूथ पर एक मोहल्ले के एक समुदाय विशेष के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब था जिसका पता मतदान के दिन चला। इसके विरोध में भारी भीड़ जमा हो गई और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। अंततोगत्वा पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आई। हालाँकि, भीड़ शांत हो गई किंतु जब चुनावी नतीजों के दिन उनका प्रत्याशी हार गया तो असंतोष फूट पड़ा। भीड़ ने रिटर्निंग अधिकारी को घेरकर नारेबाज़ी शुरू की, व्यक्तिगत आक्षेप लगाया। बहरहाल महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक पटवारी या लेखपाल की थोड़ी सी असावधानी ने जनता के मन में सदा के लिये यह बात बैठा दी कि ज़िलाधिकारी ने जानबूझकर यह गलती की है। इसलिये ऐसी स्थितियों से निपटने का सही तरीका यह है कि स्वयं सभी अधिकारियों से कम-से-कम 10% मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण करवा लिया जाए।

जैसे ही चुनावी घोषणा होती है, पूरे ज़िले की फिज़ा बदल जाती है और अगुआ की भूमिका निभाते हुए पूरी मशीनरी में नई जान डालनी पड़ती है। इसमें हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि चुनावी प्रक्रिया में हम उन कंधों पर अधिक विश्वास करें जो अनुभवी, कानून के अच्छे जानकार, अधिक सक्रिय व कठोर, सतर्क, ईमानदार, दबाव में भी टिके रहने वाले और सभी से तालमेल बैठाकर काम लेने वाले हों। इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि हरेक को अपनी ओर से शत्-प्रतिशत देना चाहिये।

इसके बाद बारी आती है मतदान प्रक्रिया की जिसमें मतदानकर्मियों और उनसे जुड़े प्रशिक्षण, परिवहन, कानून-व्यवस्था, मतदान के दिन की व्यवस्था, मतगणना इत्यादि को ध्यान में रखना होता है। मतदानकर्मियों की पोस्टिंग करना भारी-भरकम काम होता है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और तीन-चार मतदान अधिकारी तैनात रहते हैं। इसमें अनेक सिफारिशें भी आती हैं किंतु हमें निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके

परिचय

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया का जन्म श्रीगंगानगर ज़िले के श्रीकरणपुर कस्बे में हुआ। इन्होंने बी.कॉम., बी.एड., बी.ए. (एडीशनल, अंग्रेज़ी), एम.ए. (अंग्रेज़ी), एम.ए. (भूगोल), नेट/जे. आर.एफ. (भूगोल), गांधी दर्शन में डिप्लोमा और पारिस्थितिकी में पी.एच.डी. की है। डॉ. राजेन्द्र का अनुभव-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इन्होंने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में टॉप किया तथा 6 वर्षों तक अध्यापक रहे। इसके उपरान्त आर.ए.एस. की परीक्षा में सफल होकर बी.डी.ओ. बने। इस पद पर अभी 4 महीने ही हुए थे कि अगली आर.ए.एस. परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल करके एस.डी.एम. बन गए और चार वर्षों तक इसी पद पर प्रभावशाली तरीके से काम करते रहे। 2014-15 की सिविल सेवा परीक्षा में इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के लिये हुआ। इन्हें सेवा के लिये उत्तर प्रदेश कैडर दिया गया है।

डॉ. राजेन्द्र की प्रिय रुचियों में बैडमिंटन खेलना, साहित्य पढ़ना, लेखन-कार्य करना, दूसरों से बातें करना, चर्चाओं तथा वाद-विवाद में भाग लेना तथा बच्चों का मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन करने की इस रुचि के कारण ही उन्होंने यह श्रृंखला लिखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

आप जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से कुछ पुरस्कार राशि का प्रावधान भी किया गया है।

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-22

विषय: **क्या परंपरा की आड़ में पशुओं के साथ बर्बरता को उचित माना जा सकता है?**

प्रतियोगिता के नियम:

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं, परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009. लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***15 मई, 2017*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम जुलाई अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहियें। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित है। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे और इसकी सूचना दिये गए टेलीफोन नंबर पर भी आपको दे दी जाएगी। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।
9. पुरस्कार राशि इस प्रकार है- **प्रथम पुरस्कार-₹ 5000, द्वितीय पुरस्कार-₹ 4000 तथा तृतीय पुरस्कार-₹ 3000.**

नोट: जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-20 के सभी विजेताओं को 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं-

प्रथम पुरस्कार- आर.के. मीना (जयपुर, राजस्थान); द्वितीय पुरस्कार- संजीव कुमार स्वामी (सीकर, राजस्थान); तृतीय पुरस्कार- रंजना कुमारी (राँची, झारखंड)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम .... मोबाइल नंबर ....

पता ....

....ई-मेल पता ....

सुपरफास्ट रिवीज़न
भारतीय अर्थव्यवस्था

fç; vH;fFkZ;ks]

bl [k.M esa vkbZ-,-,l- ¼çkjfEHkd½ ijh{kk ij vk/kkfjr Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ls lacaf/kr ikB~;&lkexzh dks ladfyr fd;k x;k gSA xkSjryc gS fd vkbZ-,-,l- ¼çkjfEHkd½ ijh{kk esa Hkkjrh; vFkZO;oLFkk [k.M dh egÙoiw.kZ Hkwfedk gS vkSj bl [k.M ls çR;sd o"kZ yxHkx 15&20 ç'u iwNs tkrs gSaA bUgha ckrksa dks è;ku esa j[kdj ;g ikB~;&lkexzh rS;kj dh xbZ gSA

vè;;u dh lqfo/kk ds fy;s bl ikB~;&lkexzh dks dqy 11 [k.Mksa esa ckaVk x;k gSA bu [k.Mksa esa vk;kstu] jk"Vªh; vk;] ikSth fuekZ.k rFkk 'ks;j cktkj] cSafdax rFkk foÙkh; çca/ku] jktdks"kh; uhfr] eqnzkLQhfr] lekos'kh fodkl rFkk foÙkh; lekos'ku] tula[;k] xjhch] csjkstxkjh rFkk Hkkjr dk varjk"Vªh; txr ls vkfFkZd laca/k ij çkjfEHkd ijh{kk dh n`f"Vdks.k ls foLr`r ppkZ dh xbZ gSA

xkSjryc gS fd dbZ ç'u vkfFkZd leh{kk vkSj ctV ls Hkh iwNs tkrs gSaA bu [k.Mksa ij ikB~;&lkexzh ds fy;s ^n`f"V djsaV vQs;lZ VqMs& ekpZ 2017* vad ns[ksaA

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

भूगोल

वैकल्पिक विषय

द्वारा
कुमार गौरव

कक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- संपूर्ण पाठ्यक्रम की कक्षाएँ तंत्र विश्लेषण की संकल्पना पर आधारित।
- मानचित्र की सहायता से तथ्यों को संकल्पनाओं में बदलने पर विशेष बल।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण जिससे कम समय में ही संपूर्ण विषय की तैयारी।
- नियमित जाँच परीक्षाएँ।

641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः
8750187501, 011-47532596

खंड-1 : आयोजन

- राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, आर्थिक नियोजन कहलाता है। कल्याणकारी राज्य आर्थिक नियोजन के माध्यम से समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखता है।
- भारत में आयोजन प्रक्रिया अपनाने के कारणों में व्यापक गरीबी, बेरोज़गारी, निम्न उपभोग स्तर, गरिमाहीन जीवन शैली, उद्योगों का अभाव, व्यापार का अभाव, कौशल का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव आदि थे।

उत्पादन ढाँचे का वर्गीकरण

किसी देश के उत्पादन ढाँचे का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

उत्पादन संरचना के आधार पर

किसी क्षेत्र विशेष का कुल उत्पादन में प्रतिशत अंशदान के आधार पर–

- **विकसित उत्पादन संरचना:** इसमें कृषि क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम, उद्योग का उससे अधिक तथा सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक होता है।
- **अविकसित उत्पादन संरचना:** इसमें सेवा क्षेत्र का अंश न्यूनतम, उद्योग का उससे अधिक एवं कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अंश सर्वाधिक होता है।
- **विकासशील उत्पादन संरचना:** इसमें कृषि का प्रतिशत अंश कम होता जाता है तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का प्रतिशत अंश निरंतर बढ़ता जाता है।

पेशागत संरचना के आधार पर

किसी देश के कुल रोज़गार में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत अंशदान को पेशागत संरचना कहा जाता है।

- **विकसित पेशागत संरचना:** देश के कुल उपलब्ध रोज़गार में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोज़गार का प्रतिशत न्यूनतम हो तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ता जाए।
- **अविकसित पेशागत संरचना:** सेवा क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम हो तथा कृषि क्षेत्र का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जाए।
- **विकासशील पेशागत संरचना:** कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अंश कम होता जाए तथा उद्योग एवं सेवा का प्रतिशत अंश बढ़ता जाए।

आयोजन का वर्गीकरण

- अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर आयोजन को निम्न प्रकार से बाँटा जा सकता है:

आदेशात्मक आयोजन *(Imperative Planning)*

- यह एक केन्द्रीय व्यवस्था है।
- इसके अंतर्गत राज्य तथा सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है।
- ऐसी व्यवस्था सामान्यत: समाजवादी देशों में होती है। जैसे- रूस, चीन।
- यहाँ एक विशाल प्रशासनिक ढाँचा होता है।
- यहाँ प्रशासनिक ढाँचे को सक्रिय रखने के लिये दण्ड विधि का प्रयोग किया जाता है।
- यहाँ वितरण प्रणाली में प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका होती है तथा प्रशासित मूल्य व्यवस्था (Administered price mechanism) का प्रयोग किया जाता है।

निदेशात्मक आयोजन *(Indicative Planning)*

- यह एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है। जिसमें राज्य संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है तथा निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है।
- यहाँ सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों द्वारा होता है।
- यहाँ बाज़ार मूल्य व्यवस्था (Market price mechanism) का उपयोग किया जाता है।
- 1980 के दशक से ही पूरी दुनिया के कई देशों में आदेशात्मक आयोजन की लोकप्रियता घटती जा रही है तथा निदेशात्मक आयोजन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

भारत में सन् 1991 से पहले अंशत: आदेशात्मक आयोजन की स्थिति थी, वहीं 1991 के व्यापक आर्थिक सुधारों के बाद यह निदेशात्मक आयोजन के ज़्यादा करीब है।

संरचनात्मक आयोजन *(Structural Planning)*

- यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए तो यह संरचनात्मक आयोजन कहलाता है। जैसे- भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि।
- संरचनात्मक कार्यक्रम लागू करने से अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ जाती है।

प्रकार्यात्मक आयोजन *(Functional Planning)*

- यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधन, स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह प्रकार्यात्मक आयोजन कहलाता है। जैसे- हरित क्रांति, बिजली आपूर्ति आदि।

आर्थिक आयोजन के उद्देश्य

- 1991 के सुधारों के लागू होने के बाद आर्थिक आयोजन/नियोजन का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक संवृद्धि रहा है।
- भारत की आर्थिक संवृद्धि के दो प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं–

प्रथम चरण (1951-1980)

- जब हम आयोजन काल के पहले तीन दशकों में संवृद्धि दर पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वह बहुत साधारण रही है। इस समय में जी.डी.पी. में वार्षिक वृद्धि दर औसतन 3.2% रही। इस वृद्धि दर को ही 'हिन्दू वृद्धि दर' (Hindu growth rate) की संज्ञा दी जाती है।

द्वितीय चरण (1981-2010)

इस अवधि में आर्थिक संवृद्धि की औसत दर 5.7% के करीब रही। इसी समय में वित्तीय घाटे में वृद्धि, भुगतान संतुलन पर दबाव, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई। इस चरण के प्रमुख उद्देश्य थे–

खंड-2: राष्ट्रीय आय

- किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है।
- अंतिम वस्तुओं में उपभोग वस्तुएँ तथा पूंजीगत वस्तुएँ दोनों आती हैं।
- माध्यमिक वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाएँ

- जीडीपी (Gross Domestic Product-GDP) किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का योग सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
- यदि इसे बाज़ार कीमत पर व्यक्त किया जाता है तो इसे GDP_{MP} कहते हैं।

जीडीपी साधन लागत पर *(GDP at Factor Cost)*

बाज़ार कीमत पर व्यक्त जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा सब्सिडी का योग कर साधन लागत पर जीडीपी GDP_{FC} प्राप्त हो जाती है।

निवल घरेलू उत्पाद *(Net Domestic Product)*

जीडीपी में उत्पादन के दौरान हुए मूल्यह्रास को घटा देने पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP) प्राप्त होता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product)*

- सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित आय का योग कर तथा विदेशों में भेजी गई आय को घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। GDP-NFIA (Net Flow of Income from Abroad) = GNP
- यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो यह निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product) हो जाता है।

साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद *(NNP at Factor Cost)*

- जब प्रचलित बाज़ार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को व्यक्त किया जाता है तो इसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{MP}) बाज़ार मूल्य कहते हैं।
- यदि बाज़ार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तथा सब्सिडी जोड़ दी जाए तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC}) प्राप्त हो जाता है।
- सैद्धांतिक रूप से साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{FC}) को ही राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा नवीन निर्देश के अनुसार स्थिर बाज़ार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA-Gross value added) का योग होगा, राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेगा।

चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी तथा स्थिर मूल्य पर व्यक्त जीडीपी

- जब जीडीपी की गणना बाज़ार में प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है तो इसे चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी (Nominal GDP) कहते हैं।
- इसके विपरीत जब जीडीपी की गणना में स्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिये जीडीपी को किसी पिछले वर्ष (आधार-वर्ष) के मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं तो इसे स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी (Real GDP) कहा जाता है।
- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिये आधार वर्ष की नई श्रृंखला 2011-12 अपनाई गई है। इसके पूर्व में यह 2004-05 थी।

राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ

उत्पादन विधि

इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों के उत्पादन का कुल योग शामिल होता है।

- इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना वाले वर्ष में हुए उत्पादन के योग को ही शामिल किया जाता है।

आय विधि

- इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें चार साधन आय जोड़े जाते हैं-

कर्मचारियों की आय (जिसमें मज़दूरी तथा वेतन, नियोक्ता द्वारा सामाजिक अंशदान का मूल्य शामिल होता है), कुल ब्याज, किराया व रॉयल्टी आय तथा लाभ (निगामित व असंबद्ध NDP_{FC})।

व्यय विधि *(Expenditure Method)*

- बाज़ार मूल्य पर जीडीपी (GDP_{MP}) को देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर किये गए कुल व्यय के रूप में भी देखा जा सकता है। इन व्ययों में शामिल हैं-
- घरेलू/निजी अन्तिम उपभोग व्यय (C)
- सरकारी अन्तिम उपभोग व निवेश व्यय (G)
- विनियोग व्यय (I)
- निवल विदेशी निवेश (निर्यात-आयात) (X–M)
- [$GDP_{MP} = C + G + I + (X - M)$]

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किये जाने वाले मद

- आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएँ तथा सेवाएँ।
- गणना वर्ष में उत्पादित परंतु उस वर्ष का न बिका हुआ स्टॉक।
- सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएँ।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय।
- सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई नि:शुल्क सेवाएँ।
- लाभांश।
- भविष्य निधि कोष में लोगों का अंशदान।
- स्वयं उपभोग के लिये किया गया उत्पादन।

खंड-5 : राजकोषीय नीति

- संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय के विवरण को संसद (दोनों सदनों) के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय के इस विवरण को ही 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा बजट कहते हैं।
- सरकार की आय एवं व्यय का प्रबंधन तीन खातों के माध्यम से किया जाता है-

संचित निधि *(Consolidated Fund)*

- संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियों, ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त ऋण (loan) और ऋण अदायगी के माध्यम से सरकार को प्राप्त धन इसमें जमा कराया जाता है।
- इस निधि से कोई भी धन निकासी तभी की जा सकती है जब संसद ने विनियोग अधिनियम (Appropriation act) या अनुपूरक अनुदान (Supplementary grant) संबंधी अधिनियम पारित किया हो।

लोक लेखा *(Public Account)*

- इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(2) में किया गया है।
- संचित निधि से भिन्न सभी सार्वजनिक राशियाँ 'भारत के लोक लेखा' में जमा होती हैं। इस खाते से धन निकालने के लिये सरकार को संसद की मंज़ूरी लेना आवश्यक नहीं होता है।
- इसके अंतर्गत बचत बैंक जमा, भविष्य निधि, डाक जमा, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि आते हैं।

आकस्मिकता निधि *(Contingency Fund)*

- इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत किया गया है।
- इसका उद्देश्य यह है कि जब तक किसी आकस्मिक व्यय के लिये संसद ने सरकार को प्राधिकृत न किया हो, तब तक राष्ट्रपति उस व्यय की पूर्ति के लिये इस निधि में से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम (advance) के रूप में दे सकेगा।
- यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और इसे संचालित करने के लिये संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है।

बजट घाटा *(Budget Deficit)*

- कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाने पर बजट घाटा प्राप्त होता है।
- कुल व्यय को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है:
  - (i) ब्याज व्यय- इसे द्वितीयक व्यय भी कहा जाता है।
  - (ii) गैर-ब्याज व्यय- कुल व्यय में से ब्याज भुगतान घटाने पर गैर-ब्याज व्यय प्राप्त होता है, इसे प्राथमिक व्यय भी कहते हैं।
- कुल प्राप्तियों को भी दो वर्गों में बाँटा जा सकता है:
  - (i) बाज़ार उधार या ऋणकारी प्राप्तियाँ- सरकार द्वारा लिये गए बाज़ार उधार (जिस पर सरकार को ब्याज देना हो) को बाज़ार उधार कहते हैं। इन्हें द्वितीयक प्राप्तियाँ भी कहा जाता है।
  - (ii) प्राथमिक प्राप्तियाँ या गैर-ऋणकारी प्राप्तियाँ- कुल प्राप्तियों में से बाज़ार उधार को घटाने पर प्राथमिक प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं।

सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय

सरकार की प्राप्तियों और व्यय को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(i) राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय
(ii) पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय *(Revenue Expenditure)*

- सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो और न ही देयताओं (Liabilities) में कमी आए, राजस्व व्यय कहलाता है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्ययों को शामिल किया जाता है:
  - (i) आतंरिक एवं बाह्य ऋण (Loan) के लिये सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज
  - (ii) सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और भविष्य निधि
  - (iii) सब्सिडी
  - (iv) रक्षा व्यय
  - (v) डाक घाटा
  - (vi) कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये किया जाने वाला व्यय
  - (vii) सामान्य सेवाओं (कर-संग्रहण आदि) तथा विभिन्न सामाजिक सेवाओं (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन) के लिये किया जाने वाला व्यय।

राजस्व प्राप्तियाँ *(Revenue Receipts)*

- सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जो न तो परिसंपत्तियों में गिरावट का प्रतिफल हों और न ही जिनके कारण देयताओं में वृद्धि हो।
- राजस्व प्राप्तियाँ दो तरह की होती हैं:

कर राजस्व प्राप्तियाँ

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण करके प्राप्त धनराशि को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं।

- **प्रत्यक्ष कर:** व्यक्तिगत आयकर एवं निगम आयकर
- **अप्रत्यक्ष कर:** जमा प्रमाण-पत्र कर, शिक्षा कर तथा सेवा कर

गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

कर के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश
- सरकार द्वारा दिये गए विभिन्न ऋणों (Loan) पर प्राप्त ब्याज
- वित्तीय सेवाओं (मुद्रा एवं डाक टिकटों के छापने) से हुई धन की प्राप्ति
- सामान्य सेवाओं (विद्युत वितरण, सिंचाई, बैंकिंग, बीमा एवं सामुदायिक सेवाओं) से प्राप्त आय
- विभिन्न शुल्कों (fees) और जुर्मानों से प्राप्त आय
- अनुदान द्वारा प्राप्त धनराशि

राजस्व घाटा =
राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

पूंजीगत व्यय *(Capital Expenditure)*

- सरकार का ऐसा व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर जिनके कारण देयताओं में कमी आए।

- इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, म्याँमार, सिंगापुर, वियतनाम, कम्बोडिया, थाइलैंड, ब्रुनेई इसके सदस्य देश हैं।
- आसियान का भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के साथ भी व्यापार समझौता है।
- आसियान के विभिन्न एशियाई देशों के साथ व्यापारिक समझौते से एशिया एक बड़ा व्यापार स्थल बन सकता है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन *(European Free Trade Association)*

- इसमें वर्तमान में चार सदस्य आइसलैंड, नॉर्वे, स्विटज़रलैंड तथा लिचेंस्टीन हैं।
- संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है।
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सहमति हुई जिसे यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) कहा गया। यह समझौता 1 जनवरी, 1994 से प्रभावी हुआ।

उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

- नाफ्टा अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको के बीच व्यापारिक समझौता है।
- यह समझौता वर्ष 1994 से प्रभावी हुआ।
- इस समझौते में शामिल मुख्य प्रावधान प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश आदि हैं।

पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी साझा बाज़ार *(COMESA)*

- यह पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के 19 देशों का समूह है।
- इस साझा बाज़ार की स्थापना दिसंबर 1994 में की गई थी।
- इस बाज़ार की स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्राकृतिक मानवीय संसाधनों के विकास हेतु सहयोग स्थापित करना था।
- इसका मुख्यालय लुसाका (जाम्बिया) में है।

मर्कोसुर *(MERCOSUR)*

- इसकी स्थापना वर्ष 1991 में असुनसियन संधि (Treaty of Asuncion) के फलस्वरूप हुई थी।
- इसके सदस्य देश हैं- अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे तथा उरुग्वे। वेनेजुएला को 1 दिसंबर, 2016 को इस संगठन से निलम्बित कर दिया गया है। बोलिविया, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और सूरीनाम को सहयोगी देश का दर्जा दिया गया है तथा न्यूज़ीलैंड तथा मैक्सिको को पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है।

शंघाई सहयोग संगठन *(SCO)*

- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय बीजींग में है।
- इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं।
- भारत और पाकिस्तान को अस्ताना में होने वाली इसकी अगली बैठक में पूर्णकालिक सदस्य देश का दर्जा मिलने की संभावना है।

यूरोपीय संघ *(European Union)*

- यूरोपीय संघ मुख्य रूप से यूरोप में अवस्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जो सदस्य राष्ट्रों के बीच लोगों, वस्तुओं, सेवाओं एवं पूँजी के स्वतंत्र आदान-प्रदान को सुनिश्चित करता है।

नोट: हाल ही में 'ब्रेक्जिट' काफी चर्चा में रहा। दरअसल जून 2016 में ब्रिटेन में हुए एक जनमत संग्रह में लोगों का बहुमत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में आया। लिस्बन संधि के अनुसार ब्रिटेन को अलगाव की प्रक्रिया पूरी करने में दो वर्षों का समय लगेगा।

- यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों पर लागू होने वाले मानकों के द्वारा एकल बाज़ार का विकास किया है।
- इसकी अपनी मुद्रा यूरो है जिसे 19 सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया है।
- नार्वे तथा स्विट्ज़रलैंड EU के सदस्य राष्ट्र नहीं हैं।

भारत इब्सा, ब्रिक्स, बेसिक, बिम्सटेक, मीकांग गंगा सहयोग समझौता, राष्ट्रमंडल देशों, G-20, G-4, G-77, सार्क आदि संगठनों का सदस्य है।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

- वर्ष 2016 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 'ओलिवर हार्ट' और 'बेंट हॉल्मस्टॉर्म' ने जीता है। यह पुरस्कार उन्हें 'अनुबंध और व्यापार में मानव व्यवहार' में अध्ययन व शोध पर मिला है।
- इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने शीर्ष अधिकारियों के लिये प्रदर्शन आधारित वेतन, बीमा में कटौती योग्य और सह-भुगतान, और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का निजीकरण जैसी संविदात्मक अभिकल्पना में कई मुद्दों का विश्लेषण करने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की है।

दृष्टि The Vision
Think IAS
Think Drishti
सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय
(रोचक, सुरक्षित, अंकदायी, भरोसेमंद तथा छोटा विषय)
हिन्दी साहित्य
(ऑडियो-वीडियो क्लासेज़)
द्वारा- डॉ. विकास
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009. फोन: 011-47532596, 8750187501

सुपरफास्ट रिवीज़न

भारतीय कला–संस्कृति

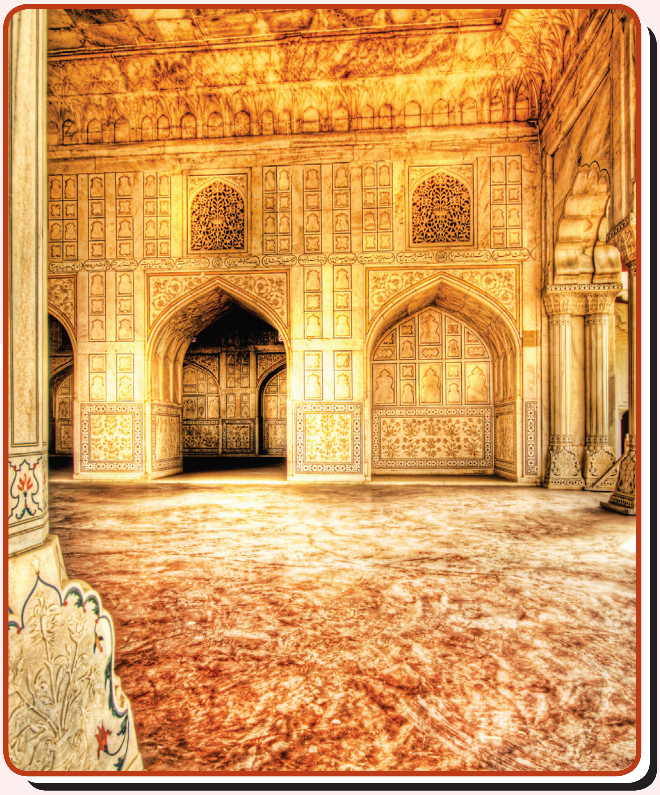

प्रिय अभ्यर्थियो,

यह खंड भारतीय कला–संस्कृति पर आधारित है। आई.ए.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा में इस खंड से भी लगातार (प्रत्येक वर्ष औसतन 5–6) प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर यह खंड तैयार किया गया है।

इस खंड के अंतर्गत भारतीय स्थापत्य/वास्तुकला, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला, भारतीय नृत्यकला, रंगमंच/नाटक/कठपुतली, भारतीय संगीत, भारतीय युद्धकला व परंपरागत खेल, पारंपरिक भारतीय वस्त्र एवं पर्व–त्योहार, प्रमुख भारतीय भाषाएँ एवं लिपियाँ, भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े प्रमुख संस्थान तथा कला–संस्कृति से जुड़ी महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।

हमें उम्मीद है कि यह पाठ्य–सामग्री आपके लिये उपयोगी साबित होगी।

खंड-1 : भारतीय स्थापत्य/वास्तुकला

भारतीय वास्तुकला की विशेषताओं को निम्नलिखित कालों में बाँटकर देखा जा सकता है:

सैंधव वास्तुकला

- सैंधव कला उपयोगितामूलक थी। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना एवं जल-मल निकास प्रणाली थी।
- सिंधु सभ्यता की नगर योजना में दुर्ग योजना, स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा, वाणिज्यिक परिसर आदि महत्त्वपूर्ण हैं।
- हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर आयताकार खंड में विभाजित थे जहाँ सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसे ग्रिड प्लानिंग कहा जाता है।
- हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के दो हिस्से थे- पश्चिमी टीला (Upper town) और पूर्वी टीला (Lower town)।
- हड़प्पा काल में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था।
- बरामदा घर के बीचोंबीच बनाया जाता था और मुख्य द्वार हमेशा घर के पीछे खुलता था।
- घर के गंदे पानी की निकासी के लिये ढकी हुई नालियाँ बनाई गईं और इन्हें मुख्य नाले से जोड़कर गंदे पानी की निकासी की जाती थी।
- जल-आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य 'धौलावीरा' से मिला है जहाँ वर्षा जल को शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी।
- हड़प्पा सभ्यता में दोमंजिला भवन हैं, सीढ़ियाँ हैं, पक्की-कच्ची ईंटों का इस्तेमाल है, किंतु गोलाकार स्तंभ और घर में खिड़की का चलन नहीं है।
- हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कहीं भी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला।
- हड़प्पा से प्राप्त विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार (39 × 23 × 8 फुट), अन्नागार व सभा भवन परिसर तथा लोथल (गुजरात) से प्राप्त व्यावसायिक क्षेत्र परिसर और विशालतम गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के उत्कृष्ट नमूने हैं।
- हड़प्पा सभ्यता (2750-1700 B.C.) में स्थापत्य/वास्तुकला ने जो ऊँचाई प्राप्त की थी वह वैदिक काल (1500-600 B.C.) तक आते-आते समाप्त हो चुकी थी। अत: वैदिक काल स्थापत्य कला की दृष्टि से ह्रास का काल है।
- वैदिकोत्तर काल के दो महत्त्वपूर्ण अवशेष हैं- बिहार में राजगृह शहर की किलाबंदी (6-5वीं ईसा पूर्व) तथा प्राचीन कलिंगनगर की किलाबंद राजधानी शिशुपालगढ़ (ईसा पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दी)।
- अशोक के काल में संगतराशी और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन थी।
- मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल समकालीन 'सूसा' साम्राज्य के प्रासाद को भी मात करता है।
- पाटलिपुत्र में एक विशाल इमारती लकड़ी की दीवार के अवशेष मिले हैं जिससे राजधानी को घेरा गया था।
- सारनाथ का स्तंभ मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है।
- इन स्तंभों पर एक खास तरह की पॉलिश 'ओप' की गई थी जिससे इनकी चमक धातु जैसी हो गई। किंतु पॉलिश की यह कला समय के साथ लुप्त हो गई।

सैंधव वास्तुकला

क्रम	आधार	पश्चिमी टीला (Upper town)	पूर्वी टीला (Lower Town)
1.	दिशा	अपेक्षाकृत यह पश्चिम दिशा में स्थित था।	यह पूर्व दिशा में स्थित था।
2.	ऊँचाई	यह ज्यादा ऊँचाई पर था।	यह कम ऊँचाई पर था।
3.	दुर्गीकरण	यह पूर्णतया दुर्गीकृत क्षेत्र था।	यह दुर्गीकृत नहीं था।
4.	जनसंख्या	यह कम आबादी वाला क्षेत्र था।	यह अधिक आबादी वाला क्षेत्र था।
5.	इमारतें	यहाँ विशिष्ट इमारतें मौजूद थीं, जैसे- स्नानागार, अन्नगार आदि।	यहाँ साधारण इमारतें थीं, जैसे- एककक्षीय श्रमिक भवन आदि।

अशोक स्तंभ और ईरानी स्तंभों के बीच अंतर

क्रम	आधार	अशोक स्तंभ	ईरानी स्तंभ
1.	कालखंड	यह मौर्यकाल में निर्मित हुआ	यह अकेमीनियम काल में निर्मित हुआ।
2.	पाषाण	यह एकाश्म पाषाण (monolithic) निर्मित है।	यह पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है।
3.	पाषाण प्रकार	चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया है।	यह भी बलुआ पत्थर से ही निर्मित है।
4.	स्थान	अशोक के स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर निर्मित किये गए हैं।	ये सिर्फ राजकीय भवनों और महलों में ही निर्मित किये गए हैं।

बौद्ध वास्तुकला

- गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं।
- प्रारंभिक गुफा, वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। बिहार की बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा जिसका सर्वाधिक बार काल निर्धारण किया गया है, विशिष्ट है।
- अशोक महान ने बराबर पहाड़ी में चार गुफाएँ लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, कर्णचौपोर और विश्व झोपड़ी गुफा जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाओं का निर्माण आजीवकों हेतु करवाया।
- मौर्योत्तर काल में पुणे ज़िले (महाराष्ट्र) में 'कर्ले' में एक अन्य गुफा का उत्खनन किया

यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल	
स्थल	वर्ष
ताजमहल (आगरा, यू.पी.)	1983
आगरे का किला (आगरा, यू.पी.)	1983
अजंता की गुफाएँ (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)	1983
एलोरा की गुफाएँ (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)	1983
कोणार्क का सूर्य मंदिर (पुरी, ओडिशा)	1984
महाबलीपुरम के स्मारक समूह (तमिलनाडु)	1984
गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट (गोवा)	1986
हम्पी के स्मारक समूह (बेल्लारी, कर्नाटक)	1986
खजुराहो के स्मारक समूह (छतरपुर, म.प्र.)	1986
फतेहपुर सीकरी का किला (आगरा, यू.पी.)	1987
बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर, तमिलनाडु)	1987
पट्टदकल के स्मारक समूह (कर्नाटक)	1987
एलीफैंटा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)	1987
साँची का स्तूप (म.प्र.)	1989
कुतुबमीनार एवं संबद्ध स्मारक (दिल्ली)	1993
हुमायूँ का मकबरा (दिल्ली)	1993
पर्वतीय रेलवे (दार्जिलिंग रेलवे (1999), नीलगिरी माउंटेन (2005) एवं कालका शिमला रेलवे (2008)	1999
महाबोधि मंदिर परिसर (बोधगया, बिहार)	2002
भीमबेटका गुफाएँ (म.प्र.)	2003
चंपानेर-पावानेर पुरातत्त्व पार्क (गुजरात)	2004
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुम्बई, महाराष्ट्र)	2004
दिल्ली का लाल किला	2007
जंतर-मंतर (जयपुर, राजस्थान)	2010
राजस्थान के पर्वतीय किले	2013
रानी की वाव (पाटण, गुजरात)	2014
नालंदा महाविहार (बिहार)	2016
ली कार्बुजियर निर्मित चंड़ीगढ़ वास्तु	2016

* यूनेस्को ने भारत के 35 स्थलों को 'अतुलनीय सार्वभौम महत्त्व' का स्थल मानते हुए उन्हें संरक्षण दिया है। विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण एवं देखभाल के लिये सालाना 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए जाते हैं।

नोट: इस सूची में प्राकृतिक वर्ग के 7 स्थलों तथा मिश्रित वर्ग के एक स्थल को नहीं लिखा गया है।

प्रमुख आधुनिक वास्तुविद्

चार्ल्स कोरिया

- इनके नेतृत्व में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय, मुम्बई में कंचनजंघा अपार्टमेंट टॉवर, जयपुर में जवाहर कला केंद्र, नवी मुम्बई का योजना निर्माण, बोस्टन में मिट्स ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस सेंटर, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली आदि इमारतें बनीं।
- 1984 में मुम्बई में इन्होंने नगरीय समुदाय की प्रगति एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को महत्त्व देने वाले अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
- वास्तुशिल्प क्षेत्र में एक श्रेष्ठ वास्तुविद् के रूप में अपने योगदान के लिये चार्ल्स कोरिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।

हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर

- हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के नेतृत्व में संपन्न किये जाने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट हैं-
  - डीएलएफ अरालियास, गुड़गाँव
  - एनआईसीएमएआर, पुणे
  - इन्फोसिस-बंगलूरू, मंगलौर, मैसूर, त्रिवेन्द्रम, पुणे
  - रजनीश ओशो आश्रम-पुणे
- इन्होंने भारत के सबसे बड़े भवनों इम्पीरियल I एवं II का डिज़ाइन तैयार किया।
- हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को 2016 में पद्म विभूषण दिया गया।

लॉरेन्स विल्फ्रेड 'लॉरी' बेकर

- बेकर ने तिरुअनंतपुरम में 'द इंडियन कॉफी हाउस' का डिज़ाइन तैयार किया।
- इन्हें धारणीय एवं ऑर्गेनिक वास्तु निर्माण के कारण गांधी ऑफ आर्किटेक्चर' भी कहा जाता है।
- इन्हें पद्मश्री, यूएनओ हैवीवेट अवार्ड आदि मिला।
- इन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट नामक संगठन की स्थापना की।

जोसेफ स्टीन

- ये एक अमेरिकी वास्तुविद् हैं। भारत में रहकर इन्होंने महत्त्वपूर्ण कृतियों के निर्माण में अपना योगदान दिया; जैसे-
- नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम आर्ट्स सेंटर
- केरल में कोझिकोड में भारतीय प्रबंधन संस्थान
- नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
- नई दिल्ली में श्री धरणी आर्ट गैलरी
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सार्वजनिक शिक्षा केंद्र तथा केनेडी ऑडीटोरियम।

क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिंगर

- ये एक अमेरिकी-भारतीय वास्तुविद् तथा योजना निर्माणकर्त्ता हैं।
- इन्होंने विश्व बैंक और मद्रास नगरीय विकास प्राधिकरण के लिये 4 स्थानों पर 20,000 इकाइयों का डिज़ाइन तैयार किया।
- हुडको के सहयोग से इन्होंने हैदराबाद में कम आय वाले परिवारों के लिये टाउनशिप का निर्माण किया।
- श्रीलंका, नेपाल और भूटान में भी इन्होंने कई निर्माण कार्यों को अंजाम दिया।

चार्ल्स एडुवर्ड ज्यारेंट (ली कार्बूजियर)

आज़ाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर चंडीगढ़ है जिसके स्थापत्य का श्रेय चार्ल्स एडुवर्ड ज्यारेंट अथवा ली कार्बूजियर को जाता है।

वर्ष 2016 में कार्बूजियर और चंड़ीगढ़ के स्थापत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह मिली है।

ओट्टो कोसिनबर्गर और जूलियस वॉज

भुवनेश्वर शहर को बसाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जर्मन वास्तुकार ओट्टो कोसिनबर्गर और जूलियस वॉज रहे।

फ्रैंक गैरी

ये अमेरिकी वास्तुविद् हैं जिनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी अमरावती का निर्माण हो रहा है।

सत्रीया नृत्य (असम)

- असम के 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने मठों में 'अंकिया नाट' के सह-प्रदर्शन हेतु सत्रीया नृत्य विकसित किया।
- इस नृत्य को कई विधाओं में बाँटा गया है जैसे- अप्सरा नृत्य, बेहतर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि।
- सत्रीया नृत्य में शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहते हैं।
- इस नृत्यशैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवम्बर, 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।
- सत्रीया नृत्य के मुख्य नर्तकों में मनीराम दत्ता मोकतर, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पी. पी. बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि हैं।
- ओजा पल्लि भी असम का एक नृत्य है।

कत्थक (उत्तर प्रदेश)

- हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है-कत्थक नृत्य। कत्थक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है।
- कत्थक का आशय कथा कहने से है, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध पदचाप, विहंगम चक्कर आदि द्वारा पहचाना जाता है।
- कत्थक का जन्म भी मंदिरों में ही हुआ था, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुँच गया।
- इस नृत्यशैली को संगीत के कई घरानों का समर्थन मिला, यथा-जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना (सबसे नया है)।
- 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाज़िद अली शाह के संरक्षण में कत्थक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है।
- प्रसिद्ध कत्थक कलाकार हैं-
  - **जयपुर घराना-** गिरधारी महाराज, शशि मोहन गोयल, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, शोभना नारायण तथा राजेन्द्र गंगानी।
  - **बनारस घराना-** सितारा देवी और उनकी पुत्री जयंतीमाला।
  - **लखनऊ घराना-** पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज।
  - **रायगढ़ घराना-** जयपुर घराने व लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकारों को रायगढ़ के राजा चक्रघाट सिंह ने संरक्षण दिया, जिससे रायगढ़ घराने का जन्म हुआ। पंडित कार्तिक राम और उनके पुत्र पंडित रामलाल इस घराने के प्रमुख नर्तक हैं।

तालिका-1

लोक नृत्य	क्षेत्र
रउफ	कश्मीर घाटी
हिक्कात	कश्मीर
जाब्रो	लद्दाख
भांगड़ा	पंजाब
गिधा	पंजाब
गतका (सिख शस्त्र कला)	पंजाब
थुलाल	केरल
कोथू	केरल
नाटी नृत्य	हिमाचल प्रदेश
सिंधी छम्म (सिंह नृत्य)	लाहुल-स्पीति (लद्दाख)
शुंतो	लाहुल-स्पीति (लद्दाख)
बूरहा नृत्य	हिमाचल प्रदेश
गरबा	गुजरात
घूमर	राजस्थान
बिहू	असम
कालबेलिया	राजस्थान
रासलीला	उत्तर प्रदेश (मथुरा, वृंदावन, गोकुल)
छऊ नृत्य	बिहार, ओडिशा, प. बंगाल
तमाशा	महाराष्ट्र
कठपुतली	राजस्थान
बाँस नृत्य	मिज़ोरम
सरहुल	छोटानागपुर, छत्तीसगढ़ (ओरांव जनजाति)
चारकुला	उत्तर प्रदेश
यक्षगान	कर्नाटक
नौटंकी	उत्तर प्रदेश
डांडिया	गुजरात
समाचकेवा	झारखंड, बिहार
सांग, घोड़ीनाच	हरियाणा
कीर्तन	पश्चिम बंगाल
चैता	बिहार
विदेशिया	बिहार, उत्तर प्रदेश
पांडवानी	छत्तीसगढ़

तालिका-2

जनजातीय नृत्य	जनजाति
गोंडो नृत्य	गोंड (ओडिशा)
नवरानी चंद दिवाई, गुन्चू	गोड़ (मध्य प्रदेश)
माधा नृत्य	हो (छोटानागपुर)
सरहुल नृत्य	उराँव (बिहार)
सैला नृत्य	बैगा (छत्तीसगढ़)
करमा नृत्य	कोल (बिहार)
चेरिया नाच	मूरिया (बस्तर)
रेंगमा नृत्य	रेंगमा (नागालैंड)
बाँस नृत्य (बंबू)	कुकी एवं नागा
पाली नृत्य	भील (मध्य भारत)
बिल्मा नृत्य	बैगा (म. प्र., छत्तीसगढ़)
बिसोन नृत्य	करसन (गुजरात)
सुआ	म. प्र., छत्तीसगढ़
गरूण वाहन	पैका (ओडिशा)
घूर्मा	बिंझल एवं खोड़ा (ओडिशा)
डंडारिया	गोंड (आन्ध्र प्रदेश)

तालिका-3

लोकनाट्य मंच-क्षेत्र	
लोक नाट्य मंच	**क्षेत्र**
तमाशा	महाराष्ट्र
जशीन	जम्मू-कश्मीर
जात्रा	बंगाल
कृष्णाट्टम	केरल
थेय्याम	केरल
रासलीला, नौटंकी	उत्तर प्रदेश
ख्याल	राजस्थान

मैगज़ीन टैस्ट

मैगज़ीन के इसी अंक पर आधारित 100 महत्त्वपूर्ण प्रश्न जिनसे आप अपनी रीडिंग स्किल्स की जाँच कर सकते हैं।

1. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
   1. 1980 के दशक से ही पूरी दुनिया के कई देशों में आदेशात्मक आयोजन की लोकप्रियता घटती जा रही है।
   2. 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत निदेशात्मक आयोजन के ज़्यादा करीब आया है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. कौन-सी पंचवर्षीय योजना का मूल आधार महालनोबिस मॉडल था?

   (a) प्रथम (b) द्वितीय
   (c) तृतीय (d) चतुर्थ

3. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करने का भी एक लक्ष्य रखा गया था।
   2. 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. इंडिया विज़न-2020 के तहत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य है?

   (a) 7% (b) 7.5%
   (c) 8% (d) 9%

5. निम्न में से क्या राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है?

   (a) पूंजीगत लाभ या हानि
   (b) लाभांश
   (c) भविष्य निधि कोष में लोगों का अंशदान
   (d) स्वयं उपभोग के लिये किया गया उत्पादन

6. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
   1. उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिये पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात (COR) कहते हैं।
   2. किसी निश्चित अनुपात के लिये वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य को वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात (ICOR) कहते हैं।

   उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. 'निक्की' शेयर मूल्य सूचकांक किस देश से संबंधित है?

   (a) संयुक्त राज्य अमेरिका (b) ब्राज़ील
   (c) जापान (d) चीन

8. निर्यातकों व आयातकों द्वारा विदेशी विनियम दरों में होने वाले उच्चावचों से उत्पन्न हानियों से अपने आपको सुरक्षित रखना कहलाता है-

   (a) हेजिंग (b) आर्बिट्रेज
   (c) डच डिसीज (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिये लाभार्थी की आयु होनी चाहिये-

   (a) 21- 70 वर्ष (b) 18-70 वर्ष
   (c) 18-50 वर्ष (d) 21-50 वर्ष

10. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
    1. बैंक दर में वृद्धि या कमी से क्रमशः स्फीतिक दबाव में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
    2. अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिये जाने वाले ऋण को 'कॉल मनी' कहते हैं।

    उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. संचित निधि के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    1. इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में किया गया है।
    2. बिना संसद की अनुमति के इस निधि से कोई भी धन निकासी नहीं की जा सकती।

    कूट:

    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

12. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?

    (a) ब्याज व्यय को द्वितीयक व्यय भी कहा जाता है।
    (b) सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो और न ही देयताओं में कमी आए, राजस्व व्यय कहलाता है।
    (c) कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाने पर बजट घाटा प्राप्त होता है।
    (d) आकस्मिकता निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में किया गया है।

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

घर बैठे IAS बनने का सपना करें साकार!

DLP दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम
Distance Learning Programme

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे दृष्टि संस्थान द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन (प्रा.+मुख्य परीक्षा) (26+4 Booklets) ₹12000/-

सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (23 Booklets) ₹10000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट (26+4+8 Booklets) ₹15000/-

हिन्दी साहित्य- ₹6000/-

दर्शनशास्त्र- ₹5000/-

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें

www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

www.twitter.com/drishtiias

For any query please contact:

8130392354, 56, 87501-87501, 011-47532596

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2016-18
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 7-8 April, 2017
ISSN: 2455-6025
RNI : DELHIN/2015/63103
Publishing Date : 3rd April, 2017

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क परिचर्चा

17 April
3 PM

We don't have any franchise or branch . Please beware of any misleading advertisement.

641, Ist Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
E-mail: info@drishtiias.com
Ph.: 87501 87501, 011-47532596

ISSN 2455-6025

करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें- drishtiias.com

Drishti ias
IAS Preparation Redefined

अब आप "दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे" को amazon.in से भी खरीद सकते हैं।